खण्ड–3, अंक–1
शुक्रवार, 28 वैशाख, शक संवत् 1923
(18 मई, 2001 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(अनन्तिम विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2001)

(खण्ड–3 में 1 अंक है)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की, उत्तरांचल (भारत)
2003

मूल्य :

वार्षिक चन्दा :

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	अ
उत्तरांचल में विद्युत सामग्री की आपूर्ति के संबंध में नियम–311 के अन्तर्गत सूचना	1–2
प्रश्नोत्तर	2–16
ग्राम धारा झिरना व कोटीरो के ग्रामवासियों को भूमिधरी हक के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	16–17
देहरादून में आसन व शीतला नदी से रेत–बजरी, पत्थर, आदि निकालने के सम्बन्ध में 301 के अन्तर्गत सूचना ...	17–18
टिहरी नगरपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचारियों को दण्ड देने के सम्बन्ध में 301 के अन्तर्गत सूचना	18–19
वन विभाग में दैनिक–वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने के सम्बन्ध में 301 के अन्तर्गत सूचना	19
स्मारकों और महत्वपूर्ण स्थानों के डिफेक्ट को दूर करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	20–21
ऐतिहासिक इमारतों की रक्षा करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	21–22
अवैध रूप से बूचड़खाना चलाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	22–23
कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	23–38
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या, 25–खाद्य विभाग .... (स्वीकृत) ...	38–41
उत्तर प्रदेश के सजायाफ्ता पुलिस कर्मियों को उ0प्र0 में वापस भेजने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	41–42
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–25 खाद्य विभाग, अनुदान संख्या–6 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या–7 वित्त कर, नियोजन, सचिवालय तथा सामान्य सेवायें.......... (स्वीकृत) ...	42–55
उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2001 .... (पारित) ...	55–60

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तरांचल की चीनी मिलों को पर्याप्त गन्ना आपूर्ति हेतु गन्ना कमाण्ड क्षेत्र उ0प्र0 से लेकर उत्तरांचल में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अम्बरीष कुमार सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा ....(जारी)	60
अनन्तिम विधान सभा का कार्यकाल अधिकतम एक वर्ष निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा...................(जारी)	60
रुड़की नगर में सड़कों की सोचनीय स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम सिंह सैनी सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मा0 मुख्यमंत्री का वक्तव्य ...	60
विधान सभा कार्य संचालन नियमावली के नियम के अन्तर्गत श्री अम्बरीष कुमार, मा0 विधायक द्वारा दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य	61
नियम-52 की चर्चा के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	61
6 मई, 2001 को ओलावृष्टि से पर्वतीय क्षेत्र में फसलों को भारी नुकसान के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत सूचना ...	61-66
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	66
बजट के धन्यवाद प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों के उद्गार ...	66-80
सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने के प्रस्तुत प्रस्ताव पर मतदान .... (सर्व सम्मति से स्वीकृत) ...	80
राष्ट्र-गान	80

निम्नांकित सभी माननीय सदस्य उपस्थित रहे

क्र0सं0	नाम	क्र0सं0	नाम
1.	श्री अजय भट्ट	16.	श्री भगत सिंह कोश्यारी
2.	" अम्बरीष कुमार	17.	" भारत सिंह रावत
3.	श्रीमती इन्दिरा हृदयेश	18.	" गब्बर सिंह कण्डारी
4.	श्री ईसम सिंह	19.	" मुन्ना सिंह चौहान
5.	" केदार सिंह फोनिया	20.	" मोहन सिंह रावत 'गांववासी'
6.	" कृष्ण चन्द्र पुनेठा	21.	" रघुनाथ सिंह चौहान
7.	" काजी मो0 मोइउद्दीन	22.	" रमेश पोखरियाल 'निशंक'
8.	" के0सी0 सिंह 'बाबा'	23.	" राजेन्द्र सिंह
9.	" तिलक राज सिंह बेहड़	24.	" राम सिंह सैनी
10.	" तीरथ सिंह रावत	25.	" लाखी राम जोशी
11.	" नारायण सिंह राणा	26.	" बंशीधर भगत
12.	" नारायण राम दास	27.	" सुरेश चन्द्र आर्य
13.	" नित्यानन्द स्वामी	28.	" हरबंस कपूर
14.	श्रीमती निरूपमा गौड़	29.	" ज्ञान चन्द्र
15.	श्री बिशन सिंह चुफाल		

शुक्रवार, 18 मई, 2001 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री प्रकाश पन्त की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई)

उत्तरांचल में विद्युत सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में नियम–311 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, 311 के ऊपर हमारा नोटिस है, उसे जरूर सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

ये 311 में नहीं है, आप इसको 56 में लाते, 311 को इतना हल्का नहीं बनाना चाहिए।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, आप ग्राह्यता पर सुन लें, उसमें अगर आपको कोई तर्क नजर नहीं आएगा, व्यापकता नजर नहीं आएगी, तो आपका सर्वत्र अधिकार है।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा चलिए, ग्राह्यता पर 2 मिनट सुन लेता हूँ।

मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन्, इस प्रदेश की सबसे बड़ी चिंता का विषय है, हमारी बिजली से सम्बन्धित इंतजाम, जिसके बारे में सदन के अन्दर और इस प्रदेश के अन्दर रोज धरना, प्रदर्शन और चर्चा होती है। उसका इंतजाम सरकार को करना है हमारी पूरी सहानुभूति भी इस मामले में सरकार के साथ रहती है कि आपकी कठिनाइयां हैं कि परिसम्पत्तियों का विभाजन इत्यादि न होने की वजह से आपकी लिमिटेशन्स अपनी जगह हैं लेकिन आज परिस्थितियां ये पैदा हो गयी कि उत्तर प्रदेश का विद्युत विभाग का जो केन्द्रीय क्रय भण्डारक सर्किल है, जहाँ से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के साथ–साथ सम्पूर्ण उत्तरांचल को भी विद्युत सामग्री की आपूर्ति होती है। आज उत्तरांचल में बिजली का खम्भा नहीं मिल रहा, कण्डक्टर नहीं मिल रहा है, ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है, विद्युतीकरण का, सब स्टेशन का, लाईनों के बिछाने का, ये सारे काम बन्द हो गये है। तो, हमारा अनुरोध केवल इतना है कि सरकार इसे अत्यधिक गम्भीरता से ले, बाकयदा पहल करे, चाहे सदन की कोई सर्वदलीय कमेटी बनाये और भारत सरकार के सामने पैरवी करें।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसे मैं निरस्त कर रहा हूँ और सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा हूँ कि नियम 311 विशेष परिस्थितियों में लिया जाना चाहिए। इसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए। आप दूसरे किसी नियमों के दायरे में इस सूचना को लाएं।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मातवर सिंह कण्डारी)–

श्रीमन्, आपका संरक्षण चाहते है। हमारे बड़े विद्वान साथी हैं, माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी और कभी–कभी आपको इस उच्च आसन पर बैठने का शुभ 'अवसर भी मिलता है। आप कभी–कभी ऐसी बात उठा देते है, जो कि विधान सभा की नियमावली के अन्तर्गत नहीं आता है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कम से कम इस प्रकार की अव्यवस्था यहाँ पर न करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आप कृपया बैठ जाएं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन्, मार्ग–दर्शन के लिए आप हैं, लेकिन हम तो ये जरूर करेंगे कि इस व्यापक हित के प्रश्न पर जरूर सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश शुगर फेडरेशन के पास उत्तरांचल में स्थित चीनी मिलो के माध्यम से एकत्र सैस की जमा धनराशि

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

क्या गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री बतायेंगे कि उत्तरांचल में स्थित चीनी मिलों के माध्यम से एकत्र सैस की कितनी धनराशि उत्तर प्रदेश शुगर फेडरेशन के पास जमा है?

क्या उक्त धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये जाने हेतु कोई कार्यवाही की गई है ?

यदि नहीं तो क्यों ?

कृषि विपणन, सहकारिता, मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

उत्तरांचल में स्थित चीनी मिलों के माध्यम से एकत्र सैस की कोई धनराशि उत्तर प्रदेश शुगर फैडरेशन (उ0प्र0 सहकारी चीनी–मिल संघ) के पास जमा नहीं है,

प्रश्न ही नहीं उठता,

प्रश्न ही नहीं उठता,

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न था क्या गन्ना, चीनी, उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में स्थित चीनी मिलों के माध्यम से एकत्र सैस की कितनी धनराशि उ0प्र0 के शुगर फैडरेशन के पास जमा है। आपने कहा कि फैडरेशन के पास जमा नहीं है। सैस

की कोई भी धनराशि तो श्रीमन् मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि शुगर फैडरेशन की जितनी ये चीनी मिलें है क्या ये पूरे तरीके से अब उत्तरांचल के नियंत्रणाधीन है, या उ0प्र0 शुगर फैडरेशन के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

श्री बंशीधर भगत--

मान्यवर, अभी फैडरेशन की जो मिलें है वे उ0प्र0 के नियंत्रण में है, लेकिन सैस की या किसी अन्य प्रकार की कोई राशि जिस दिन से उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ है, उससे पहले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उससे पहले गयी है इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस दिन से उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ है किसी प्रकार की सैस की धनराशि उ0प्र0 को नहीं गई है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने यह प्रश्न तो कहीं पूछा ही नहीं कि उत्तरांचल राज्य बनने के पश्चात्, मैंने कहा उत्तरांचल में विद्यमान चीनी मिलों की धनराशि उत्तरांचल राज्य बनने से पूर्व या पश्चात् की कोई धनराशि उ0प्र0 शुगर फैडरेशन के पास जमा है या नहीं है। तो श्रीमन् सुनिश्चित कौन करेगा सरकार करेगी या हम करेंगे।

श्री बंशीधर भगत--

मान्यवर, उ0प्र0 से उत्तरांचल के अलग होने के दिन से पूर्व तक जो धनराशि उ0प्र0 के पास जमा है, वह है 15 करोड़ 89 लाख 10 हजार 775 रुपये जो उत्तरांचल राज्य निर्माण के बहुत पहले की बात है। उसके बाद कोई भी धनराशि किसी भी प्रकार की धनराशि उ0प्र0 को नहीं दी गई है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 15 करोड़ 89 लाख कुछ हजार रुपये की धनराशि उ0प्र0 शुगर फैडरेशन में राज्य निर्माण से पहले की जमा है। क्या माननीय मंत्री जी यह सुनिश्चित करेंगे (व्यवधान) क्या उस धनराशि को वापस उत्तरांचल को दिलाने के लिए कोई स्पष्ट घोषणा करेंगे, क्योंकि वह यहाँ की शुगर मिल है।

श्री बंशीधर भगत--

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य गठन के बाद से हमने 2 पत्र उ0प्र0 चीनी मिल संघ को भेजे है जिसमें उत्तरांचल की सैस की धनराशि का जो अंश हमको मिलना चाहिए, उसको हमको दिया जाये। अभी तक कोई प्रगति उ0प्र0 की तरफ से नहीं हुई है। हम पुनः प्रयास कर रहे है, कि उस अंश में से जो भी हमारा हिस्सा है, वह हमें दिया जाये। हम प्रयास कर रहे है।

उत्तरांचल में गुड़ की मण्डियों का प्रदेश से पलायन रोकने हेतु योजना

*2--श्री राम सिंह सैनी--

क्या गन्ना विकास मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में गुड़ की मण्डियों को प्रदेश से पलायन रोकने हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो वह योजना क्या है ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ,

राज्य में गुड़ की मण्डियों का प्रदेश से पलायन रोकने के लिए अधिसूचना संख्या–43/VIII/व0या0वि0/कृषि–मं0प0/2001 दिनांक 16–4–2001 द्वारा व्यवस्था की गई है,

प्रश्न नहीं उठता,

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या ये जो अधिसूचना इन्होंने जारी की है और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मंगलौर मण्डी न केवल हमारे भारत वर्ष की अपितु बहुत ही विख्यात मण्डियों में एक है और उसके ज्यादातर व्यापारी पलायन कर रहे हैं।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, प्रारम्भ में असर पड़ा जब हमने कोई समाधान योजना लागू नहीं की थी। जब मण्डी शुल्क को 2 प्रतिशत से एक प्रतिशत नहीं किया था उस समय तक निश्चित रूप से इसका प्रभाव मण्डियों पर पड़ा था। अब वर्तमान में हमने उसी कारण से कि हमारी मण्डियां कमजोर हो रही है या पलायन हो रहा है इसको देखते हुए एक समाधान योजना हम लाये है जिसमें 3 वर्ष का हमने औसत निकाला कि इन्होंने कितना मण्डी शुल्क दिया है या कितना इनके गुड़ की आवक हुई उसके 30 प्रतिशत में एक वर्ष के लिए समाधान योजना लागू की उससे उनको काफी लाभ हुआ। दो प्रतिशत का एक प्रतिशत मण्डी शुल्क किया तो उसके बाद से भी सुधार हुआ है। वर्तमान में कुल होल सेल मंगलोर में 17 है, हरिद्वार में 5 है, रुड़की में 3 है जिसमें मंगलौर के 9 व्यापारियों ने हमारे यहाँ आवेदन कर दिया है कि दुबारा से वे हमारे यहाँ की मण्डी में रहेंगे इसलिए मैं कह रहा हूँ, ज्योंही हमने लागू किया तब तक गुड़ का कार्य समाप्त हो चुका है इस कारण से अभी ये पूरा नहीं हो पाया है। अतिशीघ्र सब लोग वापस आ जायेंगे और मण्डी अपने पुराने स्वरूप में आ जायेगी।..........

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो गुड़ उद्योग है ये छोटे–छोटे जो कोल्हू है ये गुड़ बनाते है और आपने उन पर भारी सैस लगाने की बात की है या फिर उसमें घोटाला होता है चोर बाजारी होती है खाण्डसारी निरीक्षक उनसे सुविधा शुल्क लेते है तो क्या आप ऐसी नीति बनायेंगे कि खड़े कोल्हू जो बन्द है और उन पर जो सैस लगाने की बात करते है क्या आप एक्जामिन करेंगे।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, ऐसे प्रश्न पूर्व में भी आपके द्वारा पूछे गये हैं और हमारा जो टैक्स, लाइसेन्स शुल्क, विकास शुल्क लेते हैं, ये पट कोल्हू पर है खड़े कोल्हू पर लाइसेन्स फीस इत्यादि है ही नहीं।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, उन्होंने केवल यह आशय अभी रखा है कि वह किसान अपना गन्ना पेर सकता है या खरीद कर नहीं पेरेंगे, तो गुड़ के उत्पादन में कमी आयेगी। तो गुड़ को प्रोत्साहन किया जाय क्या आप उन्हें अनुमति प्रदान करेंगे कि गन्ना क्रय कर सकें।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, बहुत स्पष्ट है कि पट कोल्हू खरीद करके गुड़ का निर्माण करेंगे और जो खड़े कोल्हू हैं वे अपने गन्ने को ये लाइसेन्स लगाते समय उन्होंने खुद कहा है कि हम अपने गन्ना को क्रेश करके गुड़ बनाना चाहते हैं इस लिए उन पर लाइसेन्स शुल्क और किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगाया। जब हम लगाने की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगायेंगे यह स्थगित किया है बहुत पहले उसमें लगता था लेकिन बाद में राजनीतिक दबाव से उसको स्थगित किया है। अब सैनी जी आप कह दें कि उन पर शुल्क लगाकर खरीद की इजाजत दी जाय तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या मा0 मंत्री जी के यह भी संज्ञान में है कि जो खड़े कोल्हू के मालिक हैं वे भी दूसरे कृषकों का गन्ना लेकर पेर रहे है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मेरे संज्ञान में है कि वह अपने खेत का गन्ना नहीं पेरते हैं, लेकिन मैंने कहा आप सदन में खड़े होकर कह दें कि शुल्क लगा दें, मैं विचार करूँगा।

श्री ईसम सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि आपने पैरा–2 में कहा कि अधिसूचना जारी कर दी है 16–2–2001 में और गुड़ की मण्डियों को रोकने के सम्बन्ध में यदि सूचना जारी की है तो मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यदि अधिसूचना के माध्यम से भी ये व्यापारी नहीं रुक पाये तो इसके आलावा कोई योजना सरकार बनायेगी या व्यापारियों से बात करने के बाद उनकी राय के आधार पर क्या सरकार निर्णय लेगी।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, हम अभी जो सुविधा दे सकते हैं किसान को, काश्तकार को कोल्हू की वह हमने देने का प्रयास किया है। प्रारम्भ में उन पर दो प्रतिशत टैक्स लग रहा था लगातार वर्ष भर आफिसों में आना जाना और टैक्स जमा करना एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत

जहाँ उनको 100 रुपये टैक्स पड़ता था वहाँ 30 प्रतिशत में वर्ष भर का अनुबन्ध कर दिया। इसके कारण 9 व्यापारी हमारे वापस आ गये हैं क्योंकि अब गुड़ का काम खत्म हो गया है और आगे कोई दिक्कत आयेगी तो आपसे परामर्श करेंगे। मैंने किसी से बात नहीं करेंगे, ऐसे शब्द कहे ही नहीं।..........

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर माननीय राम सिंह सैनी जी कह दें कि टैक्स लगा दो तो मैं टैक्स लगा दूँगा तो जिस वक्त यह हटाने को कहेंगे तो उस वक्त हटा भी देंगे। (व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, पहले तो कहने वाले केस को देख लेते हैं, उसके बाद हटाने वाली बात फिर विचार करेंगे। मैंने तो पहले भी इस पर नहीं कहा, मैंने कहा आप अपना प्रस्ताव लायें कि इन कृषकों पर टैक्स लगाओ, मैंने यह नहीं कहा कि मैं मान लूँगा, मैंने कहा मैं विचार करूँगा। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ के पट कोल्हू खड़ा कोल्हू और शुगर मिल के बीच में गन्ने के विभाजन का प्रश्न है तो क्या इस प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं, उसके मुताबिक कोल्हुओं को उद्योग के रूप में ज्यादा विस्तारित किया जा सकें या बजाय डिस्करेज करने के। श्रीमन् क्या कोल्हुओं पर गन्ने के पेराई का जो काम है, बजाय उसको बन्द करने के उसको इनकरेज करें। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे–छोटे लोग हैं वो अपने आप अपने गन्ने से और अड़ोस–पड़ोस के गन्ने से कोई कारोबार कर सकें, क्या इसके बारे में भी सरकार कोई विचार करेगी।

श्री बंशीधर भगत–

मैं यह कहना चाहूँगा मान्यवर, कि जो कोल्हूओं पर प्रतिबन्ध लगाना था कि बाहर से खरीदेंगे ही नहीं, हम देखी की अनदेखी कर रहे हैं, यह कम संरक्षण उनका हम कर रहे हैं।

जसपुर और काशीपुर कताई मिलों में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन दिये जाने के लिए योजना

*3–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या मुख्यमंत्री जी को जानकारी है कि जसपुर और काशीपुर कताई मिलों में कार्यरत कर्मचारियों को पिछले 29—30 महीनों से वेतन नहीं मिला है ? यदि हाँ, तो सरकार वेतन दिलाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या सरकार इन मिलों को चलाने हेतु भी विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो क्या कार्ययोजना तैयार की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

औद्योगिक विकास, श्रम सेवायोजन, मंत्री (श्री केदार सिंह फोनिया)–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मान्यवर, अगर आप इसकी तिथि देखें सरकार को प्राप्त होने की, 27–3–2001 और आज 18 तारीख है तो लगभग पौने दो महीने हो गये, काशीपुर इतनी दूर है यह तो फैक्स–टेलीफोन से सूचना आई है, उद्योग निदेशालय इनका है। मान्यवर, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप माननीय मंत्री जी को यह निर्देश दें कि इतने पहले जो प्रश्न लग गया अगर उनमें भी सूचना एकत्रित की जा रही है, जो महत्वपूर्ण सूचना है, इससे हम लोग वंचित रह जाते हैं, हमारे अधिकार का हनन होता है। पौने 2 महीने में भी सूचना एकत्र नहीं की जा रही है। अन्तरिम उत्तर आता, कुछ तो आता।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न स्थगित नहीं हो रहा है।

श्री अम्बरीष कुमार–

6 महीने बाद दोबारा सत्र होगा, 6 महीने इस सूचना का फिर इंतजार करेंगे, जिन लोगों को 29–30 महीने से वेतन नहीं मिला, इनकी कठिनाई तो बढ़ती ही है, कोई हल तो निकालता नहीं।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, इस विषय पर बहुत गम्भीरता से सरकार विचार कर रही है और केन्द्र सरकार से यह हमारा परामर्श चल रहा है। यह जो कर्मचारी हैं, इनके प्रति हमारी संवेदनशीलता कम नहीं है और उसके अन्दर बहुत सी कठिनाईयां हैं, आप भी जानते हैं सूती मिल का आज बाजार में माल बिक नहीं रहा है और जो वहां स्टाफ होना चाहिए वह नहीं है, कोई प्राइवेट कम्पनी भी लेने को तैयार नहीं है, इसलिए सरकार से निरन्तर हमारी बात–चीत चल रही है। माननीय मंत्री जी उत्तर तभी देंगे, जब वह निश्चित सूचना होगी।

श्री अध्यक्ष–

मैं यहां पीठ से निर्देश भी जारी कर रहा हूँ कि जितने भी प्रश्न स्वीकार किये जा चुके हैं वह प्रश्न व्यपगत नहीं होंगे उन सारे प्रश्नों को अगले सत्र में ले लिया जायेगा।

उत्तरांचल प्रदेश में चाय उत्पादन हेतु टी–बोर्ड से आर्थिक निवेश हेतु समझौते के सम्बन्ध में

*श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल प्रदेश में चाय उत्पादन हेतु उनकी सरकार टी–बोर्ड से आर्थिक निवेश हेतु कोई समझौता कर रही है ?

यदि हाँ तो उसका विवरण क्या है ?

उद्यान, समाज कल्याण मंत्री (श्री नारायण राम दास)–

जी नहीं,

प्रश्न नहीं उठता,

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैंने पूछा था, उत्तरांचल प्रदेश में चाय उत्पादन हेतु इनकी सरकार टी–बोर्ड से आर्थिक निवेश हेतु कोई समझौता कर रही है ? मान्यवर, टी–बोर्ड चाय उत्पादन के लिए मदद करता है। मेरी निश्चित जानकारी है कि टी–बोर्ड से पर्वतीय क्षेत्र में चाय उत्पादन हेतु वार्ता की गई है, हो सकता है, समझौता न हुआ हो। तो क्या माननीय मंत्री जी को कोई जानकारी है कि हमारी टी–बोर्ड से कोई वार्ता हुई है ? क्या इस राज्य में चाय उत्पादन की दृष्टि से टी–बोर्ड को वित्तीय सहायता के लिए आप प्रयास करेंगे ?

श्री नारायण राम दास–

मान्यवर, वार्ता की जहाँ तक बात है, वार्ता हुई है, 11 जनवरी को कलकत्ता में वार्ता हुई है और वार्ता का मतलब यह नहीं कि समझौता हुआ।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, वार्ता हुई तो क्या टी–बोर्ड ने पूँजी निवेश के लिए आपको मना कर दिया ?

श्री नारायण राम दास–

जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, क्या वार्ता हुई, जब कोई प्रश्न सदन में उपस्थित है और माननीय मंत्री यह स्वीकार करते हैं कि वार्ता हुई, तो सदन को यह अधिकार है कि वह वार्ता किस सन्दर्भ में हुई। क्या वह पूँजी निवेश के मामले में हुई या अन्य किसी मामले पर ?

श्री नारायण राम दास–

मान्यवर, टी–बोर्ड ने आर्थिक सहायता के लिए सहमति दी है।

उत्तर प्रदेश विभाजन के बाद उत्तरांचल के पास आयी चीनी मिलों की जानकारी

*2–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश विभाजन के बाद चीनी उद्योग में कुल कितनी चीनी मिलें उत्तरांचल के पास आयी हैं ?

इनमें से क्रमशः कितने चीनी निगम सहकारी चीनी मिल्स संघ एवं निजी क्षेत्र के है ?

इनकी पेराई क्षमता क्रमशः कितनी है ?

क्या लागत की कमी व प्रशासनिक सुविधा हेतु एकीकृत "उत्तरांचल चीनी विकास व उत्पादन निगम" की स्थापना हेतु कार्यवाही शुरू कर दी गयी है ?

यदि हाँ तो कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

उत्तर प्रदेश विभाजन के बाद उत्तरांचल के पास दस चीनी मिलें आयी हैं,

चीनी निगम क्षेत्र की दो, सहकारी क्षेत्र की चार एवं निजी क्षेत्र की चार चीनी मिलें हैं,

निगम क्षेत्र की चीनी मिलों की पेराई क्षमता 6500 टी0सी0डी0 सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों की पेराई क्षमता 11000 टी0सी0डी0 एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलों की पेराई क्षमता 17000 हजार टी0सी0डी0 है,

उत्तरांचल राज्य में शीर्ष संगठन के रूप में "गन्ना एवं चीनी उद्योग नियंत्रक समिति" की स्थापना हेतु कार्यवाही शुरू कर दी गयी है,

मा0 मंत्री परिषद् की बैठक में यथाशीघ्र प्रस्ताव लाया जा रहा है,

प्रश्न नहीं उठता

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर हमको प्रेषित कर दिया है, आश्वासन ही चाहिए था।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पेराई क्षमता के बारे में बताया कि निगम क्षेत्र की क्षमता 6500 है, सहकारी की 11 हजार और निजी क्षेत्र की 17000। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी और निगम की मशीनों की क्षमता इतनी कम क्यों रही है ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैंने उत्तर बता दिया है कि प्राइवेट सेक्टर में 3 मिलें सामान्यतः बहुत बड़ी क्षमता की हैं। एक 6500 कुन्तल प्रतिदिन की है, दो 4000 कुन्तल प्रतिदिन की हैं जबकि सहकारी क्षेत्र में केवल एक मिल बाजपुर ऐसी है जो 4 हजार क्षमता की है, बाकी सब दो हजार से ढाई हजार की क्षमता की हैं।

श्री अध्यक्ष–

15 मई, 2001 को माननीय उद्योग मंत्री जी के अनुरोध पर स्थगित प्रश्न संख्या–2.

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि पूँजी निवेश की कोई सीमा नहीं होती, अपर लिमिट नहीं होती। यह बात ठीक है, लेकिन मैंने प्रश्न किया था क्या सरकार ने कोई लक्ष्य रखा है। जो भी काम सरकार करती है उसके लिए कोई न कोई टारगेट निर्धारित करती है। हम इतने करोड़ रुपये का, इतने अरब रुपये का पूँजी निवेश एक वित्तीय वर्ष में करेंगे ये हमारा लक्ष्य है यह दीगर बात है कि उस लक्ष्य को आप हासिल करते हैं या नहीं। सरकार का कोई लक्ष्य है कि कितना पूँजी निवेश इस वित्तीय वर्ष में होना चाहिए ? दूसरा श्रीमन् मैंने यह पूछा था कि पूँजी निवेश के कितने प्रस्ताव आपको प्राप्त हुए हैं। आपने बड़ा गोलमोल सा जवाब दिया कि पूँजी निवेश के कतिपय प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनका परीक्षण हो रहा है। यह कोई डिफेंस सीक्रेट तो है नहीं मान्यवर, जिसकी सदन के अन्दर चर्चा नहीं हो सकती। मैं जानना चाहता हूँ कि आज की तारीख में पूँजी निवेश के कितने प्रस्ताव शासन को, प्रदेश सरकार को प्राप्त हुए हैं।

श्री केदार सिंह फोनिया--

श्रीमन्, एकमात्र लक्ष्य है कि अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना की जाये। इसमें न कोई सीमा है, न कोई संख्या है जितने भी उद्योग धन्धे इस प्रदेश में आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। इसके लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित करना न आवश्यक है, न सम्भव है, लेकिन एक लक्ष्य अवश्य है कि हम चिन्हित कर सकते हैं कि किस प्रकार के उद्योग इस प्रदेश में आएं। पहला तो ये हो कि उद्योग प्रदूषण रहित हो, दूसरा यह है कि रोजगारपरक हो, तीसरा यह है कि इस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करें। इस प्रकार चिन्हित कर सकते हैं। इनकी सीमा कुछ भी हो सकती है, करोड़ो में हो सकती है। दूसरा प्रश्न जो आपका है वह महत्वपूर्ण है उसका मैं उत्तर देना चाहूँगा

मान्यवर, आपको जानकर खुशी होगी कि आई0टी0 के क्षेत्र में हमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव विदेश से आया है। कम्पनी का नाम मैं बताना नहीं चाहूँगा कि कम्पनी का रिटर्न आफर आ गया है, 200 मिलीयन डालर का पूँजी निवेश करना चाहते हैं, 200 मिलीयन डालर का मतलब है 800 करोड़ रुपया इसको आप नोट कर सकते हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश--

मान्यवर, कम्पनी का नाम लेने में क्या दिक्कत है।

श्री केदार सिंह फोनिया--

मान्यवर, ये पार्टी जो है आस्ट्रेलिया का ट्रेड डेलीगेशन के साथ भारत आया था और आस्ट्रेलिया के स्टेट मिनिस्टर जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, भी भारत आये, इनकी नजर बंग्लौर और हैदराबाद पर थी, हम दिल्ली गये और इनको देहरादून लेकर आ गये। फाइनल एम0ओ0यू0 साइन होने से पहले यह नाम नहीं बताना चाहते।

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

मान्यवर, मैं कोई शंका नहीं कर रहा हूँ, पर सिद्धान्त के तौर पर कह रहा हूँ किसी ट्रेड करने आयी कम्पनी के नाम को बताने के पीछे इतना संकोच नहीं होना चाहिए।

यह सर्वोच्च सदन है प्रदेश को इसी के माध्यम से, प्रदेश की जनता को बताते है कि कौन सा इनवैस्टमेंट करने जा रहा है।

श्री केदार सिंह फोनिया--

मान्यवर, मैं अपना स्पष्टीकरण दे रहा हूँ हमारी पकड़ बहुत मजबूत है, इस कम्पनी को उत्तरांचल के सम्बन्ध में कोई सूचना भी नहीं थी, यह कम्पनी केवल हैदराबाद और बंगलौर को टारगेट बनाकर आयी थी।

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

मान्यवर, मैंने कहा कि कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

श्री केदार सिंह फोनिया--

मान्यवर, इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत से जुबली सीमेन्ट कम्पनी से बातचीत हो गयी है, और एक फार्म ऑफर लेकर आने वाले हैं, अल्पार इलेक्ट्रिकल्स ये दिल्ली की पार्टी है इन्होंने लिखकर भेजा है, एम0ओ0यू0 फाइनल नहीं हुआ है और एक गुजरात की इलैक्ट्रो एम्यूजमेंट इक्विपमेंट जो वीडियो गेम्स वगैरा बनाती है उनका भी ऑफर आ गया है। हमारी बहुत लोगों से बात हो गई है, लम्बी सूची देने की स्थिति में हम होंगे कुछ समय के बाद।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश--

मान्यवर, मेरा एक प्रश्न इसी के सम्बन्ध में है, माननीय मंत्री जी बताये कि रोजगार सृजन की कोई सीमा नहीं होती, ठीक है कोई सीमा नहीं होती, लेकिन आपने कहा हमारा कोई लक्ष्य नहीं है तो क्या हम उत्तरांचल में ऐसी व्यवस्था बनाने का मन नहीं बना रहे हैं कि हम अब रोजगार का इतना प्रतिशत पूरा कर चुके हैं और इतना प्रतिशत बेरोजगार हैं जैसे दुनिया के सारे देश बताते है। लक्ष्य नहीं रखिये इतने बेरोजगार हैं, कितनों को रोजगार देंगे, इतनों को क्रमशः मिलेगी।.........

........यह तो बताना चाहिए, अब इतने प्रतिशत बेरोजगारी है। आप आज बताएं, कल बताएं बताना पड़ेगा।

श्री केदार सिंह फोनिया--

मान्यवर, हमने यह कभी नहीं कहा कि हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हमने यह कहा कि पूँजीनिवेश की कोई सीमा नहीं होती (व्यवधान) मैं स्वीकार करता हूँ रोजगार सृजन की सीमा नहीं होती है, रोजगार देने की सीमा तो है, तो मैं कितना रोजगार सृजन करूँ। (व्यवधान) जितने उद्योग धन्धे ज्यादा रहेंगे उतने ही रोजगार का सृजन होगा, इससे पूँजीनिवेश और रोजगार सृजन की कोई सीमा नहीं होती है जितना पूँजीनिवेश होगा उतने रोजगार ज्यादा बढ़ेंगे।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश--

मान्यवर, आप खूब पढ़ाई--लिखाई में विद्वान हैं, इसे जरा पढ़ लीजिए, वह क्या कहेंगे यह अलग बात है जो उत्तर दिया वह तो सही होता ही है, लेकिन जब वह कहते हैं कि पूँजीनिवेश व रोजगार की कोई सीमा नहीं होती है, इसका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, वह तो आपने उत्तर दिया है।

श्री अध्यक्ष--

उसके नीचे इन्होंने लिखा है कि पूँजीनिवेश एवं रोजगार सृजन के लिए सरकार प्रयासरत् है, लगातार अनवरत् प्रयासरत् है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

माननीय अध्यक्ष जी, एक तो मैं इस बात के लिए माननीय मंत्री जी को बधाई दूँगा कि इन्होंने स्वीकार किया कि सरकार लक्ष्य विहीन है, सरकार का कोई लक्ष्य नहीं है, इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

लक्ष्य असीमित है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

लक्ष्य विहीन को स्वीकार कर लें तो यह सब का काम खत्म हो जायेगा। श्रीमन् साफ तौर पे यह जानना चाहता हूँ कि सरकार टारगेट की अच्छी व्यवस्था जब करें तब करें, यह तो दूसरा प्रश्न है, पर पहला प्रश्न तो यह है कि सरकार का टारगेट क्या है, किसी योजना में प्रश्न मेरा सरकार के टारगेट को लेकर के था। श्रीमन्, जब तक सरकार का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, तब तक कोई रोजगार नीति बन ही नहीं सकती, तो श्रीमन् हम साफ तौर पर इस प्रदेश की जनता को कुछ बताने की स्थिति में हैं कि आपकी सरकार के कार्यकाल में आप कितने मानव दिवसों के रोजगार का सृजन करेंगे, कितने लोगों को मिनिमम इम्प्लाएमेन्ट देने की बात करेंगे, कोई लक्ष्य तो किसी तरह का तो आप बता दें।

श्री केदार सिंह फोनिया--

मान्यवर, मुझे तरस आ रहा है कि लक्ष्य की परिभाषा संख्याओं में अगर यह चाहते हैं तो यह तो लक्ष्य की गलत परिभाषा है। अगर आप सुनना चाहते हैं कि हमारे लक्ष्य का केवल 10 उद्योगों को लाकर के एक हजार श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पादन करना है, हम ऐसा लक्ष्य निर्धारण नहीं करेंगे, हमारा लक्ष्य यह है कि हम इस राज्य का औद्योगिकरण करेंगे, यह लक्ष्य असीमित है।

श्री हरबंस कपूर--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है कि उन्हें एक ऑस्ट्रेलियन कम्पनी से पूँजी निवेश करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, क्या उसके अतिरिक्त कोई और भी प्रस्ताव माननीय मंत्री जी को प्राप्त हुए हैं, क्या सरकार एक ही ऑस्ट्रेलियन कम्पनी पर आधारित रहेगी ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी ने डिटेल बता दी, कितनी आयी।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

मानननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, मैंने प्रश्न किया था कि क्या सरकार को यह ज्ञात है कि पिथौरागढ व चम्पावत अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए विख्यात हैं, जहां पर पर्यटन के लिए सुरम्य घाटी, रमणीक हिमालयन क्षेत्र एवं कतिपय महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक व पुरातत्व महत्व के स्थान पर्याप्त मात्रा में है, तो माननीय मंत्री जी का उत्तर आया जी हाँ। और उसी में मैंने दूसरा प्रश्न किया था कि उनके विकास और रख–रखाव के लिए कोई प्रयास करेगी ? तो इन्होंने कहा, जी नहीं। मैंने फिर पूछा था यदि नहीं तो क्यों ? माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया, अभी आवश्यकता नहीं पड़ी है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हम पर्यटन का विकास करेंगे, जो धार्मिक, तीर्थाटन, पर्यटन स्थल हैं, उनका सामूहिक रूप से विकास करेंगे वहीं दूसरी ओर कह रहे हैं, जी नहीं, अभी आवश्यकता नहीं। आखिर ये आवश्यकता कब होगी?

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ कि यह पूरा क्षेत्र बहुत ही सुरम्य, रमणीक, ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक व पुरातत्व महत्व का है और यहां पर जितना काम होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। कार्य होते हैं इच्छा शक्ति के आधार पर, जानकारी के आधार पर और उस इच्छा शक्ति और जानकारी के आधार पर जो योजनाएं बनती हैं, उनके लिए धन उपलब्ध करने के आधार पर, मैं इस चीज का अभाव देख रहा था, आज तक उन लोगों में जिन लोगों ने इस काम को देखा होगा। कल ही माननीय सदन ने हमारा यह बजट पास किया है, उसमें पूरे क्षेत्र के विकास की व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अन्दर हम इस क्षेत्र का विकास भी करेंगे और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, कई ऐसे स्थान हम चयनित कर चुके हैं। जिनका विकास करना है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने धन की भी विवशता बता दी, एकीकृत पिथौरागढ़, चम्पावत घाटी विकास प्राधिकरण का वास्ता देकर। मान्यवर, विकास प्राधिकरण इसलिए बने थे कि जो आर्थिक बोझ सरकार पर पड़ता था, विकास प्राधिकरण उसको दूर कर देता है। अगर हमारे पास संसाधनों की कमी है तो क्या हम अनन्त समय तक प्रतीक्षा करेंगे, क्या माननीय मंत्री इस सुझाव के अनुसार किसी भी रूप में विकास प्राधिकरण का स्वरूप बनाकर उसके विकास के लिए आर्थिक संसाधन जुटायेंगे ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, जब कल माननीय सदन ने एक बजट पास कर दिया तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि धन का अभाव है। मैंने कभी भी यह शब्द नहीं कहा कि धन का अभाव है। मैंने कहा जो धन आप लोगो ने बजट के रूप में दिया है उसका सदुपयोग किया जायेगा। विकास प्राधिकरण का जो प्रश्न है, वह प्रशासनिक व्यवस्था का प्रश्न है। विकास केवल प्राधिकरण बनाने से ही नहीं होता है। बिना प्राधिकरण के भी विकास हो सकता है। आपने, मान्यवर, उ0प्र0 सरकार ने गंगोत्री प्राधिकरण, कई प्राधिकरण बना दिये हैं। विकास

के बजाये विकास के कार्यों में अवरोध पैदा हो गया। इसलिए मान्यवर मैं नहीं चाहता हूँ कि विकास के कार्यों में कोई व्यवधान आये। इसलिए विकास प्राधिकरण की कोई आवश्यकता नहीं है और हमारी जो वर्तमान व्यवस्था है, जो हमारी वर्तमान प्रशासकीय ढांचा है, उस ढांचे के अन्दर क्षेत्र का पूरा विकास करेंगे।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के सुझाओं से सहमत होते हुए यह अनुरोध करना चाहूँगा कि विकास प्राधिकरणों का जो अनुभव है, वह कोई बहुत अच्छा नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, इसमें प्रश्न पूछना पड़ेगा आपको।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, विकास प्राधिकरण जहाँ तक उत्तरांचल में है, इन्हें विनाश प्राधिकरण के नाम से पुकारा जा रहा है। तो मैं ये अनुरोध करना चहूँगा कि विकास प्राधिकरण की कल्पना को बिल्कुल त्याग कर कोई और दूसरी व्यवस्था इसमें बनाएं जिससे इन क्षेत्रों का विकास हो सके। मान्यवर, इस पर अवश्य विचार किया जाये।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 12 लाख 65 हजार 799 रुपये काफी समय से ये पैसे पड़े हुए हैं और सेस फण्ड कमेटी की बैठकों के कुछ प्रस्ताव आये हैं और उन पर आज तक विचार क्यों नहीं हुआ, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, मान्यवर, काफी लम्बे समय से नदी से बजरी, पत्थर आदि का खनन भी होता है और उससे आस–पास की ग्राम सभाएं प्रभावित होती हैं, कटाव होता है। उस खनन में भी ऐसे सेस फण्ड की व्यवस्था की जावेगी जिससे आस–पास के ग्रामों की जो जमीन कटती है, उनकी सुरक्षा का काम हो सके।

श्री केदार सिंह फोनिया–

श्रीमन, शासन के नालेज में, संज्ञान में है कि इन 13 गांवो से अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया है तो हम जिला प्रशासन को आदेशित करेंगे कि अगर कोई प्रस्ताव आ चुका है तो तुरन्त उस पर काम करें। दूसरी बात बाकी स्थानों पर भी इस तरह सेस फण्ड क्रियेट करने का जो प्रस्ताव आया है माननीय विधायक राजेन्द्र सिंह जी का उसका मैं स्वागत करता हूँ और इस पर हम कार्यवाही करेंगे।..........

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, ग्राम तितरली विकास खण्ड सहसपुर देहरादून में 1992 में भूस्खलन के कारण गाँव के पुनर्निवास के लिए सेरान से पुनर्वास की योजना थी और अभी पिछले सत्र में भी उक्त गाँव का उल्लेख हुआ था, क्या कारण है सेस फण्ड की एवीबिलिटी होते हुए भी जो प्रभावित गाँव है उसके पुनर्वास के लिए कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, यह बात कही गयी है कि वर्ष 1992 में भूस्खलन से कई गाँव प्रभावित हुए जिला प्रशासन ने प्रतिटन एक रुपया अतिरिक्त सेस लगा करके धन भी उपलब्ध कराया। इसके लिए कुल 35 लाख रुपये उपलब्ध हैं। लेकिन जो सेस फण्ड कमेटी है वह निर्धारित करेगी कि किस मद पर यह व्यय किया जाय। इस कमेटी की बैठक अभी तक नहीं हुई है जिला प्रशासन को हम आदेशित करेंगे कि शीघ्र कमेटी की बैठक बुलवा लें।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, एक रुपया अतिरिक्त सेस फण्ड लगाया गया और पैसे की उपलब्धता होते हुए भी 89 से ये चल रहा है और मान्यवर, अब तक ये कहना कि बैठक नहीं हो रही है, किस प्रकार से नियोजित किया जायेगा, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि कब बैठक बुलायी जायेगी और इस समय सीमा के अन्दर पुनर्वास की कार्यवाही पूरी कर दी जायेगी।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, सेस फण्ड की बैठक समय–समय पर होती रहती है लेकिन सेस फण्ड की बैठक इस विषय विशेष के लिए नहीं हो पायी, हम कम से कम समय लेकर के बैठक करवायेंगे।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मा0 कपूर साहब ने जो यह प्रश्न उठाया जो यह सेस फण्ड से उत्पन्न हुआ ये श्रीमन् मेरे निर्वाचन क्षेत्र विकास खण्ड सहसपुर का मामला है यदि स्मरण हो तो पिछले सत्र में जब दैवी आपदा प्रबन्धन मंत्री जी ने दैवी आपदा से प्रभावित गावों की सूची जारी की थी तब यह प्रश्न उठा था कि तितरली गाँव को उसमें अंकित नहीं किया गया है ये बुरी तरह से प्रभावित है इसको रिहैबलीटेट होना है। मैं श्रीमन् आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस गाँव को पुनर्वासित होना है, एक तरफ वह गाँव है आपके पास जिसके लिए शासन ने शतप्रतिशत वित्तीय प्रबन्धन करना है, लेकिन इस गाँव में वित्तीय प्रबन्धन शासन को ज्यादा नहीं करना है कुछ मैचिंग ग्रान्ट शासन को जरूर देना होगा बाकी ये सेस फण्ड है तब भी हमने यही कहा था कि इसके लिए कोई तिथि निर्धारित करेंगे जिस गाँव को दैवी आपदा से प्रभावित मान लिया गया उस विषय में आज तक सेस फण्ड की बैठक नहीं हुई। क्या कोई तिथि बता देंगे कि फला तारीख तक हम करा लेंगे।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, दो अलग–अलग प्रश्न हैं पुनर्वास का प्रश्न और यूटिलाइजेशन ऑफ सेस फण्ड का प्रश्न। अगर इस गाँव का पुनर्वास होना है, तो सम्भवतः सेस फण्ड कमेटी ने इसका वितरण नहीं करना होगा, लेकिन अगर इस गाँव को वहाँ से उठाया नहीं जाना है तो मैं आज ही जिला प्रशासन को निर्देशित करूँगा कि इस धनराशि का वितरण किया जाये।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपकी पीठ से निर्देश हुआ था कि गंगा प्रदूषण नियंत्रण के बारे में मेरा प्रश्न था मा0 मंत्री जी ने कहा था यह मेरे विभाग से सम्बन्धित नहीं है। आपकी पीठ से ये व्यवस्था आयी थी इसी सत्र में यह प्रश्न दोबारा निर्धारित हो जायेगा, आज सत्र का अन्तिम दिन है और प्रश्न काल भी समाप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष–

मैं यह व्यवस्था दे रहा हूँ कि जिन पर चर्चा स्वीकार हो चुकी है या जो प्रश्न स्थगित हो चुके हैं उनको दोबारा लिया जाना था वे सारे प्रश्न व्यपगत नहीं होंगे, उनको अगले सत्र में ले लेंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, प्रश्न यह जो विशेषाधिकार से सम्बन्धित है, मैं इसमें व्यवस्था चाहती हूँ, मैंने 2 विशेषाधिकार सम्बन्धी सूचनायें दी थी। मान्यवर, उस के बारे में कोई भी निर्णय अभी तक नहीं हुआ, एक तो जनवरी की थी, उसके 6 महीने हो गये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय इन्दिरा जी उसकी जानकारी आपको होगी कि प्रक्रिया क्या होती है, चूँकि वह शासन से अभी तक हमारे पास जानकारी उपलब्ध नहीं हुई हैं, हम उसका एक रिमाइन्डर भिजवा देंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसे भी गम्भीरता से लिया जाना चाहिए कि अगर जिस व्यक्ति के विरूद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न हो, यदि वह उत्तर न दे और जानबूझकर विलम्ब करे, तो भी वह दोषी हो गया, तो मान्यवर इस पर निर्देश दें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसका संज्ञान ले लेंगे।
प्रश्नों का क्रम समाप्त हुआ अब मैं नियम 301 की सूचना ले रहा हूँ।

नियम 301 की सूचनायें

ग्राम–धारा, झिरना व कोठीरो के ग्रामवासियों को भूमिधरी हक के सम्बन्ध में

श्री के0सी0 सिंह "बाबा"–

मान्यवर, ग्राम धारा, झिरना व कोठीरो (जिला पौड़ी गढ़वाल) के लोगों की भूमिधर की भूमि के वन विभाग में शामिल कर बदले में वहाँ के ग्रामवासियों को काशीपुर (जनपद ऊधमसिंह नगर) के मानपुर (नई बस्ती) में बसाकर भूमिधरी हक देने को कहा गया था लेकिन इन लोगों को अभी तक भूमिधरी हक नहीं मिल पाये हैं।

जिसके कारण (1) न ही इन लोगों के किसी प्रकार का ऋण प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त हैं (2) न ग्राम वासियों व उनके बच्चों को स्थायी प्रमाण-पत्र प्राप्त है जिस कारण उनका भविष्य उत्तरांचल में अन्धकार में है। (3) न ही ग्राम वासियों को किसान की सुविधा प्राप्त है (4) न उन्हें सहकारी समिति लि0 के खातेदार व सदस्य बनने का हक प्राप्त है। (5) पहले इन्हें स्कूल अस्पताल आदि सुविधा थी लेकिन यहाँ पर नहीं है (6) सड़कों के लिए वहां पर जमीन अलग से मिली थी लेकिन वहां पर इनकी जमीनों की कटौती की गयी जिससे इनकी जमीनों का क्षेत्रफल कम पड़ गया है (7) और न ही इन लोगों को गन्ने का सट्टा बनता है जिससे ये लोग अपना गन्ना मिल को सप्लाई कर सके।

इस उत्तर के विषय में उत्तरांचल सरकार को गुमराह न किया जाये, कृपया पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सचिव, (जंगलात) उ0प्र0 सरकार को पत्र संख्या 8-38/9 एफ0सी0 दिनांक 03-07-92 को लिया गया था जिसका अवलोकन करने का कष्ट करें।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

इसे आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज रहा हूँ।

देहरादून में आसन व शीतला नदी से रेत, बजरी, पत्थर आदि निकालने के सम्बन्ध में

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, देहरादून जनपद में आसन व शीतला नदी में से किनारे बसे गाँव के निवासियों को नदियों से रेत, बजरी पत्थर आदि न निकालने देने के कारण उत्पन्न स्थिति के विषय में, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान एक अवलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कर प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ। जनपद देहरादून में उपरोक्त नदियों के किनारे बसें ग्राम कुलहाल, रामगढ़, प्रतीतपुर, फतेहपुर, जस्सोवाला, खुशालपुर, सहसपुर बदरीपुर मानरी तथा टकारानी आदि नदियों के किनारे बसे हैं। यहाँ के निवासियों को अपना मकान बनाने के लिए पत्थर-बजरी, रेत की आपूर्ति के लिए कोई रायल्टी नहीं ली जाती थी, परन्तु बीच में नीलामी की गई और सिंडीकेट ने रायल्टी लेना शुरु कर दिया जिसका वहां की जनता ने आन्दोलन किया तथा सरकार ने रायल्टी लेना बन्द कर दिया था, परन्तु अब फिर नई व्यवस्था के अन्तर्गत यह कार्य निगम के अधीन आ गया है। निगम ने 05-05-2001 से ग्राम वासियों से पुनः रायल्टी लेना प्रारम्भ कर दिया जिसके कारण वहाँ की क्षेत्रीय जनता में भारी असंतोष आक्रोश एवं रोष व्याप्त है। अतः मैं पूर्व की भाँति इन ग्राम वासियों से रायल्टी लेना बन्द किया जाये, जो नितांत आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष–

इसे मैं आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, काशीपुर स्थित सलोटा इण्टरनेशनल उद्योगपति ने फैक्टरी बिना पूर्व सूचना के बन्द करने की घोषणा कर दी है, इसमें कार्यरत कर्मचारी इस सूचना से भारी रोष एवं आक्रोश में हैं। बेरोजगारी के भय से सभी महिला एवं पुरूष कर्मचारी धरने पर बैठ गये हैं। फैक्टरी मालिक ने श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन किया है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि श्रम कानूनों के अन्तर्गत वहाँ पर कार्यरत कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान की जाये।

श्री अध्यक्ष–

इसे मैं आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

चौथी सूचना लाखी राम जोशी की है, लेकिन इसके शब्दों की संख्या ज्यादा है, चूँकि इनकी यह पहली सूचना है, इसलिए ले रहा हूँ।

टिहरी नगरपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचारियों को दण्ड देने के सम्बन्ध में

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, टिहरी नगरपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की समय बद्ध जांच कर दोषियों को दण्डित करने के सम्बन्ध में।

मान्यवर, टिहरी नगरपालिका परिषद् में भारी भ्रष्टाचार व अनिमितताऐं व्याप्त हैं, बार–बार जन प्रतिनिधियों द्वारा जांच की मांग करने पर भी दोषियों को अभी तक दण्डित नहीं किया जा सका है, दशम वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर मिले धन व शासन द्वारा नगरपालिका को दिये गये अनुदान धनराशि का भारी दुरूपयोग किया गया है। अधिशासी अधिकारी नगरपालिका को जनता की शिकायतों के आधार पर कई बार स्थानान्तरण अवैध किया गया, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष ने उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया और शासन हर बार किये गये स्थानान्तरण आदेश को स्थगित करता आ रहा है, अधिशासी अधिकारी एवं नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष द्वारा उक्त धन से सामग्री, विद्युत व सफाई उपकरण खरीदें दिखायें गये, लेकिन 16–04–2001 को नगरपालिका परिषद् की उपाध्यक्ष श्रीमती उषा भण्डारी द्वारा की गई शिकायत के आधार पर उप जिलाधिकारी मुख्यालय नई टिहरी ने पालिका परिषद् के तीन स्टोर जांच करने पर भारी अनियमितताऐं पायीं, लेकिन कुछ दिन पश्चात एक और स्टोर की जानकारी मिली और पूर्व में जिन स्टोरों में सामग्री कम मिली थी वह खरीदी ही नहीं गई थी वह सामग्री चौथे स्टोर में दिखाई गई, खरीदी गई सामग्री की दरों में भारी अन्तर है। नगरपालिका परिषद् के अधिकारी व नगरपालिका अध्यक्ष की सांठ–गांठ से किये जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता के प्रतिनिधियों द्वारा लगातार की जा रही शिकायतों पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लीपापोती कर भ्रष्टाचारियों को लगातार बचाए जाने से गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है।

अतः उक्त गम्भीर मामले में कार्यवाही हेतु सरकार को निर्देश देने का कष्ट करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

इसे मैं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित कर रहा हूँ। पांचवी सूचना श्री मुन्ना सिंह चौहान जी की है, लेकिन यह प्रकरण तो पहले भी उठ चुका है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, यह प्रकरण वन निगम का था, यह वन विभाग का है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

वन विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने के सम्बन्ध में

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

वन विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की लम्बे समय से मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का कार्य किसी भी रूप में नियमित कर्मचारियों से भिन्न नहीं है। विगत वर्षों में अग्नि सुरक्षा कार्यों में तथा वन माफियाओं के हाथों कई दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी मारे भी गए परन्तु उनके नियमितीकरण के बारे में विभाग पूरी तरह उदासीन रहा। इन कर्मचारियों को विभाग में कार्य करते हुए 10–20 वर्ष तक हो गये हैं। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों में रोष व्याप्त है इनकी मांगें निम्न प्रकार हैं–

1–सभी कर्मचारियों को मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार समान कार्य हेतु समान वेतन का भुगतान के सिद्धान्त के आधार पर दैनिक कर्मचारियों का नियमितिकरण एवं समायोजन किया जाय। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी उ०प्र० सरकार को इन कर्मचारियों के नियमितिकरण/समायोजन का आदेश दिया था जिसके क्रम में उ०प्र० सरकार द्वारा मैदानी क्षेत्रों में नियमितिकरण/समायोजन की कार्यवाही की गयी परन्तु उत्तरांचल क्षेत्र को छोड़ दिया गया जबकि उस समय उत्तरांचल नहीं बना था। उ०प्र० सरकार द्वारा वर्ष 1991 तक के समस्त कर्मचारियों को नियमित/समायोजित किया जा चुका है। अतः उत्तरांचल में भी समूह ग व घ के अन्तर्गत खाली कैडर के सभी पदों पर शैक्षिक योग्यतानुसार दैनिक कर्मियों का समायोजन किया जाय तथा वन सुरक्षा के लिए की जा रही सभी व्यवस्थाओं के कार्यों में इन्हें लगाया जाय।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन में उठाकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज रहा हूँ।

नियम 300 में पहली सूचना है, माननीय अम्बरीष कुमार और डॉ० इन्दिरा हृदयेश की।

स्मारकों और महत्वपूर्ण स्थानों के डिफेक्ट को दूर करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, यह एक महत्वपूर्ण सूचना है, जिस पर मैंने आपके माध्यम से व्यवस्था चाही, यह सदन के कर्तव्य और सदन की गरिमा के सम्बन्ध में सूचना है। ये किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में नहीं है, किसी घटना के सम्बन्ध में नहीं है। हमारे संविधान ने न्याय पालिका को विधायिका को और कार्यपालिका को अलग–अलग अधिकार दिये है और सबका स्वतंत्र अस्तित्व एक दूसरे से पृथक रहते हुए भी मिल कर कार्य करने की व्यवस्था हमारे संविधान ने की। हम जो कानून बना देते हैं, विधायिका के लोग, पार्लियामेन्ट के लोग या एसेम्बली के लोग अपने–अपने क्षेत्रों के अन्तर्गत अपनी विधियों का विधायन करते हैं, माननीय उच्च न्यायालय उनकी व्याख्या करते हैं कि हम अपनी परिधि से बाहर तो कोई कानून नहीं बना रहे हैं, और कसौटी पर कस कर यह निश्चित करते हैं कि वह कानून संविधान सम्मत है या नहीं, यह न्यायालय की जिम्मेदारी है कि जो जन आकांक्षाएं हैं, उनके अनुरूप संविधान के भाग–3, जिसमें मूल अधिकार है, उनको देखते हुए ऐसी विधि बनाने का काम करें, जो संविधान सम्मत हों। उस दिन आदरणीया इन्दिरा जी ने जो एक प्रकरण नैनीताल का उठाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें बताया था कि कुछ "आदेश हाई कोर्ट के प्रदान हुए हैं। "ठीक है, हाई कोर्ट का अपना काम है, वो आदेश देगा और जो अधिकारी हैं वो उसका पालन भी करेंगे, जब तक सरकार से या विधायिका से कोई दूसरा कानून उस डिफेक्ट्स को दूर करने का पास न हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में कहा, मेरे पास भी कार्यवाही है, आपके पास भी होगी, उसका अवलोकन करें, "मैंने जिलाधिकारी से कहा है कि वहां पर जो हमारे एडवोकेट जनरल है, उनसे मिलकर हाईकोर्ट के पास हमारी सारी बात पहुँचाएं कि सरकार इस सबके बारे में पूरी तरह से जागरूक है और हम कोई गलत काम नहीं होने देंगे लेकिन कुछ हमारे स्मारकों और कुछ हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हैं, उनको हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, अब मैं आपको अपनी विवशताएं भी बता देता हूँ" मान्यवर, विवशताओं पर आपका ध्यान चाहूँगा, देखिए एक ओर हाईकोर्ट है और एक ओर हाईकोर्ट का आदेश होता है, उसका पालन करना हमारे अधिकारियों का कर्तव्य हो जाता है। अब मैं यहां पर यह भी नहीं कह सकता कि हाईकोर्ट का आदेश गलत है। यह हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है।

मान्यवर, व्यवस्था मैं इस बात पर चाहता हूँ हाईकोर्ट का आदेश है जैसा मैंने पूर्व में भी कहा अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें, लेकिन जो नेता सदन है वे विवश नहीं है। मान्यवर, उन्होंने स्वयं कहा है कि जो हमारे कुछ स्मारक हैं, हम चाहते है कि वे सुरक्षित रहें लेकिन हमारी विवशता है, यह हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तो मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 245 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ "काम्पीटेंस टु ओवर राईट" जुडीशियर डिसीजन एण्ड टु मेक ए वैलीडेटिंग एक्ट मान्यवर, इट इज काम्पीटेंट फॉर लेजिस्लेचर टू पुट एण्ड टू द फिनालिटी

[*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।]

ऑफ ए जुडीशियल डिसीजन एण्ड रिओपेन ए पास्ट कान्ट्रोवर्सी एण्ड इवेन टू पास ए वैलीडेटिंग एक्ट टू डिक्लेयर टू दि वैलिड ए ला विच हैज बीन प्रोनाउनसस टू वाइड बाई द कोर्ट बाई सो इन एक्टिंग द लेजिस्लेचर इज नाट एक्सेसाइड इन जुडीशियल फंक्शन।" मान्यवर, इसके माध्यम से यह साफ कर दिया गया कि लेजिस्लेचर यहा काम तो किसी केस विशेष के बारे में नहीं कर सकता कि जो केस का निर्णय कोई भी माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय दे अपिलय कोर्ट की तरह उस निर्णय को रद्द कर दे, लेकिन इसमें 3 कन्डीशन्स दी गई है कि अगर हम उस निर्णय के आलोक में उसको उचित नहीं समझते, उसको बदलना जरूरी समझते हैं तो यह ओवरराईटर करने का पावर विधायिका को है। तीन चीजें उसके लिए शर्त लगा दी। "द वैलीडिटी ऑफ ए वैलीडेटिंग एक्ट इन टू बी जज बाई द फालोइन्ग टेस्ट वैदर द लेजिस्लेचर एन एक्टिंग द वैलीडेट हैज काम्पीटेंस ओवर द सब्जेक्ट मैटर वैदर द वैलीडेशन लेजिस्लेचर हैज रिमूव द डिफेक्ट व्हिच इज कोर्ट हैज फाउन्ड इन द प्रिवियस लॉ वैदर द वैलीडेटिंग एक्ट लॉ इज कन्सीटीटेंट विद द प्रोविजन्स् ऑफ पार्ट थर्ड ऑफ द कान्स्टीट्यूशन" मान्यवर, सारा मेरे कहने का अर्थ यह कि हाई कोर्ट का आदेश अधिकारी मानेंगे, लेकिन मान्यवर, जो मुख्यमंत्री जी ने विवशता जाहिर की तो मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था यह चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा निर्णय हाई कोर्ट का आया जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हमारे स्मारकों से सम्बन्धित है, हम उनको सुरक्षित रखना चाहते है, अगर उसके विपरीत निर्णय है तो मान्यवर, आपकी व्यवस्था इस पर चाहता हूँ कि इसके यह विधान सभा या सदन सक्षम है कि उसके डिफेक्ट्स को दूर करके कोई विधि पास कर दे तो मान्यवर, न ये विवशता रहेगी न ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है न ये रहेगा। आपकी व्यवस्था केवल इस बात पर चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के इस कथन से जो विवशता उन्होंने जाहिर की ऐसा लगा कि यह विवशता पूरे सदन की है। तो विवशता है या नहीं इस सन्दर्भ में आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

ऐतिहासिक इमारतों की रक्षा करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय अम्बरीष कुमार जी ने काफी विस्तार से कहा ऐसे उदाहरण पार्लियामेन्ट में भी और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के माध्यम से जब इस तरह के जनहित के मामलों में कोई निर्णय किया गया। यह उनका विवेक है, वे कर सकते है, लेकिन यदि जनहित में निर्णय पर संसद ने या प्रदेश की विधान सभाओं में जिनमें लोग निर्वाचित होकर आते हैं जनाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए तो मान्यवर, उसमें लेजिस्लेशन बनाएं। माननीय अम्बरीष जी का कथन बिल्कुल सही है, जहाँ कान्स्टीट्यूशन का उन्होंने हवाला दिया, 245 का तो मान्यवर, यह अधिकार इस माननीय सदन को है, विधान सभा को है कि ऐसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक या पुरातत्व के या जिनसे लोगों के इमोशनल रिलेशन जुड़े हुए है उनके बारे में यदि कोई निर्णय माननीय न्यायालय का है तो हमें और हमारी सरकार या माननीय मुख्यमंत्री जी विवश नहीं है। कान्स्टीट्यूशन ने यह व्यवस्था कर रखी है कि सदन में लेजिस्लेशन के माध्यम से यह अधिकार पूरी तरह से सदन को दे रखा है कि वह इस मामले में कानून बनाकर उसकी रक्षा करें और जनआकांक्षाओं की पूर्ति करें।

[*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।]

मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न इसलिए भी है क्योंकि आज सदन का अन्तिम दिन है, इसमें आगे भी कठिनाईयां आयेंगी और ऐसे मामलों में विवश होकर हम बैठ जाएं। विधान सभा के रहते हुए, लेजिस्लेशन बनाने के अधिकार का प्रयोग न करें तो मान्यवर, ऐसी विवशता की स्थिति न आये इसलिए इस औचित्य के प्रश्न को यहाँ उठाया गया है इसका उद्देश्य यह नहीं था कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं लॉयर है उन्हें भी जानकारी है कि वे लेजिस्लेशन बना सकते हैं। उन्होंने कहा हमारा एटार्नी जनरल इसमें हस्तक्षेप करेगा और हम रक्षा करेंगे। उन्होंने इसी भावना से कहा, उनकी भावना इससे विपरीत नहीं है, लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं और मान्यवर, आपका भी ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कि आप विवश नहीं है। यह विधान सभा है इसमें आप लेजिस्लेशन बना सकते हैं।.........

..........मान्यवर, आप विवश नहीं है कि अगर कोई निर्णय जनहित के विरूद्ध होता है तो मान्यवर आप में पूरी शक्ति समाहित है कि विधान सभा में लेजिस्लेशन करके ऐसी चीजों को रोके। इस औचित्य के प्रश्न पर चर्चा करायें, ये आगे के भविष्य के लिए आवश्यक समझती हूँ।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, माननीय अम्बरीष कुमार जी बहिन इन्दिरा ह्रदयेश जी ने जो आज कानून मुझे पढ़ा दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ जब शब्द है, शब्दों के ऊपर बहुत ज्यादा हम लोगों को तोड़ मरोड़ नहीं करनी चाहिए। मेरा केवल इतना आशय था कि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिये है और उनका हमें पालन करना है यह हमारी मजबूरी है, लेकिन मान्यवर, अभी तक कोई ऐसा आदेश नहीं था जिसके लिए हमें लेजिस्लेशन करना पड़े न उन्होंने मन्दिर तोड़ने का आदेश दिया और न उन्होंने मस्जिद तोड़ने का आदेश दिया तो इस लिए जो एक सामान्य आदेश दिया है उसके लिए हमने एडवोकेट जनरल से कहा है कि बात कर लें कि हम उस काम को कर रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, हम हनुमान जी की तरह आपको भी आपकी ताकत का अहसास करा रहे थे।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, जो तथ्य रखे हुए हैं वह मौजूदा कानून के सम्बन्ध में है इसलिए यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता इसे मैं निरस्त करता हूँ।

अवैध रूप से बूचड़खाना चलाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री हरबंश कपूर–

मान्यवर, 18–01–2001 में पिछले सत्र में मेरे द्वारा 301 की सूचना दी गई थी जो इनामुल्ला बिल्डिंग गाँधी रोड़ देहरादून में अवैध रूप से बूचड़खाना चलाने के सम्बन्ध में थी उसके उत्तर में मा0 नगर विकास राज्य मंत्री जी ने जो अपना उत्तर दिया था उन्होंने कहा था कि 27–03–2000 को मजिस्ट्रेट तथा पुलिस बल से स्वास्थ्य विभाग नगर निगम को इस अवैध कार्य को बन्द कराया गया लेकिन इसके विरूद्ध उन व्यक्तियों द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद से 24–05–2000 को स्थगन प्राप्त कर लिया गया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय, हरबंस कपूर जी आपका यह लिखित रूप में मेरे पास आ गया है मा0 मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत कर दूँगा।

श्री नित्यान्द स्वामी–

मान्यवर, हरबंस कपूर जी ने जो विषय उठाया है वह बहुत संवेदशील मामला है हम उन लोगों से बात कर रहे हैं एक तो काम होता है डंडा मारा और उनको भगा दिया, दूसरा काम होता है उनकी मर्जी से अभी जैसे मछली बाजार को भी हम बाहर ले जा रहे हैं दुकाने बाहर बना दी है। हम इस काम को बातचीत द्वारा हल करेंगे इम इस काम में लगे हुए हैं।

श्री हरबंस कपूर–

मेरी जानकारी के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश निरस्त कर दिया मा0 मंत्री जी मानते हैं कि ये अवैध रूप से चल रहा है और गंदगी फैला रहा है और क्या कारण है कि निरस्त होने के बावजूद भी वह अवैध रूप से बूचड़खाना चल रहा है।

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाऐं

श्री अध्यक्ष–

इसको मैं माननीय मंत्री जी को प्रस्तुत कर दूँगा। नियम–56 के अन्तर्गत कुछ सूचनायें है पहली सूचना है श्री राम सिंह सैनी, श्री मुन्ना सिंह चौहान, श्री अम्बरीष कुमार श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश, श्री ईशम सिंह तथा काजी मो0 मोहिउद्दीन की।

*श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, "उत्तरांचल निर्माण के संदर्भ में शासनादेश संख्या ए–1–208/दस–96–15 (1)–86 का उल्लंघन कर 2500/– रुपये से अधिक की आपूर्ति भी टेंडर के बिना करोड़ों रुपये के सामान क्रय करने से उत्पन्न स्थिति तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्रावधानों का उल्लंघन कर निर्माण, साज सज्जा कराने से उत्पन्न स्थितियों के सम्बन्ध में"

उपर्युक्त शासनादेश, ए–1–164/दस–15–(1)/80 दिनांक 20–01–1987 को निरस्त करते हुए, वित्तीय संग्रह खण्ड पाँच भाग–1 के परिशिष्ट उन्नीस के नियम–4 में निर्धारित रु0 500/– की सीमा को बढ़ाकर रुपये 2500/– कर दिया था नियम–9 में निर्धारित रु0 5000/– की सीमा बढ़ाकर 15000/– कर दिया है।

परन्तु उत्तरांचल राज्य के गठन के समय इस शासनादेश, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सभी प्राविधानों का उल्लंघन कर करोड़ों रुपयों का फर्नीचर एवं अन्य सामान की खरीद की गयी तथा मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अधिकारियों के निवासों का पुनरोद्धार कराया गया, जिसमें भारी घोटाला होने की चर्चा लोगों की जुबान पर है। उत्तरांचल जैसे नये और कम राजस्व वाले राज्य के संसाधनों पर यह असहनीय भार है तथा सार्वजनिक धन का दुरूपयोग है। यह भी ऐसी स्थिति में जबकि स्थायी राजधानी का चयन अभी होना शेष है।

[*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।]

यह सार्वजनिक धन के दुरूपयोग से जुड़ा हुआ अविलम्बनीय लोकमहत्व का विषय है। अतः कार्य स्थगित कर चर्चा करायें।

मान्यवर, जिस शासनादेश का मैंने उल्लेख किया, आपके सामने यह गम्भीर प्रश्न है, मान्यवर,, एक ओर तो हमारी सरकार एक आयोग का गठन करती है कि स्थाई राजधानी हमारी क्या होगी, यही कारण है कि जो विधायक लोग हैं, नियम के अनुसार सुसज्जित आवास नहीं मिला, कर्मचारियों को नहीं मिला और हम सब लोग उसके लिए तैयार हैं कि जब तक स्थाई राजधानी का चयन न हो, इन सब चीजों पर धन खर्च नहीं किया जाना चाहिए, क्यों मान्यवर यहां मकान बना दिया जाये और कल राजधानी कहीं और हो तो यह सारा व्यय हमारा बेकार होगा। तो मान्यवर, मेरा कहना यह था कि जब नये उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ तो बड़ी आदर्श स्थितियों में हुआ और यह कल्पना की गई की उत्तरांचल राज्य छोटा है, ऐसा राज्य होगा जो भ्रष्टाचार विहीन भी होगा, नियम कानूनों का पालन होगा, विधि का उल्लंघन भी नहीं होगा और जो नियम हमारे बने हैं, सब लोग उनका कड़ाई से पालन करेंगे, लेकिन यह घोर खेद की बात है, इन सब नियमों को ताक पर रख दिया, सब लोग जितने हैं उन्होंने मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि यह चर्चा पूरे उत्तरांचल में हो गयी कि इन निर्माण कार्यों में फर्नीचर की सप्लाई में छोटे–छोटे सप्लाई में जो इंफार्मेशन विभाग को हुई, कागज की सप्लाई स्टैपलर की सप्लाई। मान्यवर, छोटी से लेकर बड़ी तक कोई सप्लाई ऐसी नहीं है जहाँ के बारे में यह स्थिति न हो, अब कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस गरीब राज्य के लिए क्या बात व्यवहारिक थी। हमारे महामहिम राज्यपाल के बारे में उस दिन कहा, उसमें रह रहे हैं, ठीक बात है कोई तो जगह रहने को चाहिए, लेकिन स्थाई आवास नहीं बनाया, सर्किट हाऊस में रह रहे है, जो आवश्यक हुआ उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल था, वह भी आवश्यक है, एक गेस्ट हाऊस में और परमानेण्ट रहने के स्थान में तो अन्तर होता ही है, लेकिन यह है कि उसी सर्किट हाऊस की घुड़साल जिसमें घोड़े बंधते थे जिसकी दीवार आज भी मिट्टी की बनी हुई है, जिसको अबण्डन घोषित कर दिया गया है वह माननीय मुख्यमंत्री निवास के लिए आरक्षित कर दी गई और आरक्षित करने के लिए बाद, उस पर जो खर्च हुआ, वह कितना हुआ, वह 1 करोड़ 10 लाख, केवल रेनोवेशन का खर्च 1 करोड़ 10 लाख रुपया उस बिल्डिंग का, जो अबेण्डन घोषित कर दी गई, तो मान्यवर मैं कहना चाहता हूँ कि इस राज्य के वित्तीय संसाधनों का इतना बड़ा भार 1 करोड़ 10 लाख, मान्यवर, हम चाहते तो नया भवन भी बना सकते थे उस घुड़साल में माननीय मंत्री जी के आवास की व्यवस्था करने की कोई जरूरत नही थी। मान्यवर, दूसरे मंत्रियों की स्थिति भी आप सुन लें।

मान्यवर, आर–2 में कण्डारी जी रहते हैं, वो भी किसी इंजीनियर का निवास रहा होगा, उसके रेनोवेशन में 8 लाख 50 हजार रुपया खर्च हुआ। आर–4 में अजय भट्ट जी रहते हैं, उसमें लगा 7 लाख रुपया, आर–8, जिसमें माननीय निरूपमा गौड़ रहती है, उसमें लगा 5 लाख 86 हजार रुपया। एच–10 और एच–11, एक में माननीय नारायण राम दास जी रहते हैं और दूसरे में अन्य कोई मंत्री जी रहते हैं, इन पर लगा 12 लाख 42 हजार, कोश्यारी जी जिसमें रहते हैं, वो बंगला एस०ई०, पी०डब्लू०डी० का था, एस०ई०, पी०डब्लू०डी० तो कमिश्नर के बराबर का अधिकारी है, तो उसकी साज–सज्जा में वैसे ही ध्यान रखा गया होगा और इतना ही नहीं ये मंत्री तो बेचारे छोटे हैं, अधिकारी इस राज्य

में बड़े हैं। हमारे चीफ सेक्रेटरी, एफ0आर0आई0 के कैम्पस में चीफ इंजीनियर, हाइडिल के बंगले में रहते हैं और रेनोवेशन पर 25 लाख रुपया लगा। माननीय वंशीधर भगत जी ने एक होशियारी तो की, शासन का पैसा नहीं लगवाया, उन्होंने मण्डी परिषद् को दुह लिया और 7-8 लाख रुपया मण्डी समिति का उस बंगले के रेनोवेशन पर खर्च हुआ। इतना ही नहीं, किराया जो तय किया गया हैं, 7500 रुपया तो हम लोगों का आपकी कृपा से तय हो गया, अधिकारियों का तो उनके अपने हाथ में है, शासन के दस्तखत हो गये, उनका भी तय हो गया लेकिन ये भी जांच का विषय है कि जितने अधिकारियों के मकान इस देहरादून में बने हुए हैं और वो कर क्या रहें हैं ? मेरा मकान आपको किराये पर और आपका मकान मुझे किराये पर, क्योंकि किराया शासन से लेना है, ये काम यहाँ हो रहा है, इसके साथ ही 7 करोड़ रुपये एम0डी0डी0ए0 को भी दिए गये कि ये सरकार को कुछ मकान मुहैया करवाए। कितने मकान मुहैया करवाए, कब करवाए, यदि नहीं करवाए तो वे पैसा कहां है ? इसका भी कोई लेखा-जोखा नहीं है।इसके साथ ही ये जो फर्नीचर खरीदा गया, राज्य सम्पत्ति विभाग का जो इंजीनियर इस सबको देख रहा है, अगर उसका ड्राइंग रूम मुख्यमंत्री जी देख लें, तो उन्हें भी कॉम्प्लेक्स होगा कि मेरे से बढ़िया फर्नीचर है। तो, यह जो पैसे का विध्वंस और सरकारी पैसे पर ऐश और इस छोटे राज्य में जब हम संसाधनों का रोना रो रहे हैं, तो क्या ये सब उचित है ? और ये जो हमारी वित्तीय हस्तपुस्तिकाएं हैं, इनके प्राविधान हैं कि सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन होगी, 316 पब्लिक वर्क्स एकाउण्ट रूल जो है, उसके बाद 317 में एक्सपेंडिचर भी सैंक्शन होगी, जो पैसा खर्च होगा उसकी स्वीकृति, उसके बाद फिर टेक्निकल सैंक्सन होगी। इन सब चीजों का भी पालन नहीं किया गया और जिस शासनादेश का मैंने उल्लेख किया, केवल ये संशोधन किया गया है इसमें उत्तर प्रदेश में, जिसके शासनादेश और आदेश अभी हमारे ऊपर लागू हैं, उसमें व्यवस्था ये थी कि हम 500 रुपये तक का कोई सामान बिना कोटेशन और टेंडर के खरीद सकते हैं, वे सीमा बढ़ाकर 2,500 कर दी गई और जो पैटी रिपेयर हैं, वो 5,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई। इसके अलावा सारे नियम पूर्ववत लागू हैं लेकिन इस ढाई हजार की सीमा तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो लाखों, करोड़ो की सीमा नहीं समझी गई।

मान्यवर, मैं इस राज्य के हित में आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह एक गम्भीर जांच का विषय है और इसकी जांच अधिकारियों की कोई टीम नहीं कर सकती। माननीय मुख्यमंत्री जी पारदर्शिता का परिचय दें जिस पारदर्शिता के साथ वे काम को चला रहे हैं उसी पारदर्शिता का परिचय देकर हाउस कमेटी बनाने का भी काम कर दें, ताकि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको जिम्मेदार ठहराया जा सके। यह व्यवस्था कर दें कि भविष्य में किसी अधिकारी की, किसी नेता की, किसी आदमी की यह हिम्मत न हो कि कानून को तोड़कर, नियम को तोड़कर जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बरबाद करें। जब हम संसाधनों से ग्रस्त हैं तो ये सामन्तशाही मानसिकता है कि हम बहुत अच्छी स्थितियों में रहकर आम आदमी से अपने को अलग करके श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, इस ट्रेंड को रिवर्स करने का काम कम से कम इस उत्तरांचल में तो कर दें कि वह आदमी उतना ही श्रेष्ठ है जो जितना सरल रहेगा, आम आदमी के नजदीक रहेगा। तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ और यह भी देखिये एक छोटा सा उदाहरण मेरे पास है

इन्फॉरमेशन डायरेक्ट्रेट में छोटी ही सप्लाई 2400 रुपये की। मान्यवर, अगर अधिकारी के पास एक लाख रुपये का काम है, तो 15-15 हजार रुपये के 6 काम कर लेंगे, 10 हजार का एक कर लेंगे। मान्यवर, इन सब चीजों की जांच आवश्यक है ताकि किसी को कानून तोड़ने की, नियम तोड़ने की हिम्मत न हो। यह जो मैं उल्लेख कर रहा हूँ बहुत छोटे से आईटम हैं, लेकिन इससे जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार है कितना ? यह जो स्टेप्लर कंगारु का है, 27 रुपये मैक्सिमम इसका रिटेल प्राईस उस पर छपा है और उसकी सप्लाई 39 रुपये की है। छोटे से स्टेप्लर पर सूचना विभाग में 12 रुपये का अन्तर है तो जब स्टेप्लर का यह हाल है तो फर्नीचर का क्या हाल होगा। आज जो उत्तरांचल के शहीदों को शत्-शत् नमन, उत्तरांचल में आपका स्वागत है। शहीद और हम एक ही साथ कर दिये, वे तो पूज्य हैं, उनके साथ हमें कहाँ जोड़ दिया या हमारी लोगों की भी शहादत करवाने का इरादा है शासन का, पता नहीं। और नीचे लिख दिया नित्यानन्द स्वामी, मुख्यमंत्री। मान्यवर, मुख्यमंत्री जी से तो ऐसी आशा नहीं थी शहीदों के साथ हमें भी पहुँचा देंगे वहाँ। लेकिन मान्यवर, इनकी कीमत कितनी है 6-6 लाख रुपये, 5-5 लाख रुपये। बोर्ड के मामले में घपला, फर्नीचर के मामले में घपला, सड़कों के मामले में घपला। जो सड़कें इस राज्य के गठन के पश्चात बनी हैं ये गम्भीर प्रकरण हैं।

मान्यवर, मैं तो कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें मैं घपले की बात नहीं करता हूँ, लेकिन पालिसी की बात करता हूँ। हमारा यह शासन आने के बाद कम से कम 80 गाड़ी एम्बेस्डर नई खरीदी गई और उसी के साथ जिप्सी खरीदी गई। मण्डी समिति 3 नई गाड़ियाँ खरीदने जा रही है क्योंकि मण्डी समिति के जो हमारे अध्यक्ष बनाये गये हैं वे अपने लिए गाड़ी चाह रहे हैं तो डायरेक्टर कैसे रहेंगे बिना गाड़ी के। एक के बजाये 3 खरीदें। एक साहब तर्क दे रहे थे कि डायरेक्टर को जिप्सी या गाड़ी तो चाहिए ही। जिप्सी से डायरेक्टर क्यों नहीं चल सकता, ए0सी0 नहीं है, बैठने में दिक्कत है, सीट में कांटे है क्या परेशानी है क्यों नही चल सकते जिप्सी में और मान्यवर, हालत ये है कि अगर मण्डी परिषद् का अध्यक्ष भी उसी डाक बंगले में रहने के लिए चला जाये जिसमें डायरेक्टर मण्डी रहते हैं, नाक भौं सिकोड़ ली ये अध्यक्ष इस बंगले में, कैसे रहेंगे जिसमें डायरेक्टर रहता है। जब अध्यक्ष ने बहुत डांट-फटकार लगाई तब उस कमरे को सुधारने की स्थिति आई। हमारे 2-3 यहाँ अध्यक्ष बैठते हैं जो चुफाल साहब हैं, चौहान साहब हैं यू0पी0 32 पुरानी गाड़ी मिली है जबकि अधिकारियों को नई गाड़ियां दी गई हैं। मान्यवर, ये तो दो-दो चेयर मैन बने ये पॉलिटिकल आदमी है हैसियत है इनकी जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी का शिकंजा है और ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से जिस तरह से इस प्रदेश की दुर्दशा इसके गठन के समय से बनाई गई। मान्यवर, यह एक गम्भीर प्रश्न है। यह भी आप जांच करवा लें कि पुरानी गाड़ियां क्यों दी गई हमारे अध्यक्षों को। क्या कोई अधिकारी पुरानी गाड़ी लेने के लिए तैयार था जो अध्यक्षों को पुरानी गाडिया मिलीं। मैं कहना चाहता हूँ अगर राज सत्ता को कायम रखना है तो तंत्र से काम नहीं चलेगा, लोक को इसमें जोड़ना पड़ेगा और आपके माध्यम से मै कहना चाहता हूँ यह गम्भीर विषय है इस पर कार्य स्थगित करके चर्चा कराने का काम करें और मान्यवर, यह भी कि आज एक ही कार्य स्थगन है। तो कार्य स्थगन का जितना समय है बजाए इसके आप सब लोगों की बात सुनकर आपकी व्यवस्था आये। मेरा अनुरोध है कि उतने समय में चर्चा हो जायेगी। मान्यवर, चर्चा करा लें सब लोग अपनी बात कर देंगे।

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत ही संवेदनशील विषय को हम लोगों ने कार्यस्थगन के माध्यम से उठाया। श्री अम्बरीष जी ने तमाम सारी बातों का विस्तार से जिक्र किया, जिन बातों को लेकर बेहद चिन्ता है और शायद ही इस सदन के अन्दर कोई दिन ऐसा गुजरता हो, माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं, सरकार की तरफ से इस बात की दुहाई नहीं दी जाती कि नया प्रदेश है, अभी 6 महीने हुए हैं संसाधनों की कमी है, फलां चीज को अंजाम कैसे दिया जा सकता है इसमें वक्त लगेगा और जब यह तर्क सरकार की तरफ से आते हैं तो श्रीमन् हमारे पास भी विश्वास न करने का कोई कारण नहीं होता है, नवसृजित प्रदेश की अपनी सीमायें होती हैं, नवसृजित प्रदेश के पास अपने संसाधनों की लिमिटेशन होती है, मुझे आज भी याद है सम्भवतः यह प्रदेश अस्तित्व में नहीं आया था। मान्यवर, आदरणीय भारत सिंह रावत जी मुझसे लखनऊ में चर्चा किया करते थे कि देहरादून के अन्दर अस्थाई राजधानी बनने जा रही है तो क्यों न हम पुराने गेस्ट हाउसेज में, पुराने डाक बंगलों में, क्या हम उन पुराने कार्यालयों में यथावत् बैठ कर हम अपने काम को अंजाम नहीं दे सकते, हमने इस बात का संतोष डेवलेप कर लिया है कि यदि प्रदेश का सृजन हुआ है बड़े अधिकारी, बड़े स्तर के जनप्रतिनिधि वहाँ पर बैठेंगे तो उनके साधारण जीवन शैली से उनकी हैसियत पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं यह सवाल आप किया करते थे। मान्यवर, अति साधारण तरीके से हमें वहाँ पर शासन प्रशासन को अंजाम दिया जाना चाहिए था। आज यह चिन्ता का विषय है। माननीय अम्बरीष कुमार जी ने कुछ दस्तावेज पेश किये, मा0 मुख्यमंत्री जी अभी चले गये उक्त दस्तावेज मैंने अपने हस्ताक्षर और अपने हाथ से लिख करके शिकायतें मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय और तमाम सम्बन्धित विभागों को भेजे चाहे वह गढ़वाल मण्डल विकास निगम के अन्दर जो मार्डन गजेटरी सिस्टम है उसको खरीद–फरोक्त में चाहे कम्प्यूटर खरीदा गया हो, चाहे रीजियोग्राफ मशीन खरीदी गई हो, चाहे डुप्लीकेटर मशीन खरीदी गई हो, चाहे फोटो स्टेट मशीन खरीदी गई हो, जिस तरीके से उसके अन्दर जो प्रोडेक्ट का नाम था उसको भी मैनुपुलेट किया गया। मैंने उसकी लिखित शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी लेकिन अफसोस कि पारदर्शिता की ओर संवेदनशीलता की दुहाई देने वाली सरकार की तरफ से आज तक किसी का बालबांका नहीं हुआ। एक उदाहरण मैं और देना चाहता हूँ आखिकार जो नियम वित्तीय हस्तपुस्तिका और समय–समय पर शासन के निर्देश जारी होते हैं, जिसे शासनादेश के अन्दर वित्तीय संग्रह खण्ड–5 (1) के परिशिष्ट 19 नियम–4 में निर्धारित जो 500 रुपये की सीमा थी उसे बढ़ाकर 25 सौ किया गया उसे ढ़ाई लाख कर देते तथा नियम–9 में निर्धारित 5000 की सीमा को बढ़ाकर के 15 हजार कर दिया गया, उसको 15, करोड़ कर देते या 15 लाख कर देते, ऐसा नहीं किया गया।

माननीय अम्बरीष जी ने कहा इसी वजह से शासन के हर कृत में श्रीमन् आपको ज्ञात है, आप शासनादेश जारी करते हैं, आप पी0डब्लू0डी0 सेक्टर में कई सेंक्शन जारी करते हैं, आप कहते हैं कि यह प्रशासनिक स्वीकृति है, लेकिन व्यय करने से पहले उसमें तकनीकी स्वीकृति होनी जरूरी है, जब तक सेक्शन अधिकारी द्वारा टी0एस0 जारी नहीं हो जाता, तब तक धनराशि उपलब्ध हो जाने के बावजूद भी आप उसे खर्च नहीं करते, किस लिये यह फाइनेंशियल हैण्ड बुक है, कानून तो यह कहता है कि यदि फाइनेंशिल हैण्ड का कहीं पर उल्लंघन हुआ है तो उस व्यय को अपव्यय मानते हुए उसके रिकवरी का प्राविधान विधिसम्मत तरीके से होना चाहिए।

[*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।]

मैं एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ कौन सा कारण है, मैंने इसी सदन के अन्दर कहा था कि लोग चाहते हैं कि नीचे के सारे रिटायर हो जायें, ऊपर के सारे रिटायर हो जाये, नई कोई भर्ती न हो, लेकिन हाथ–पैर पकड़कर भी मुझे एक्टेंशन मिल जाये। उसका कारण है, लोक निर्माण विभाग के बारे में श्रीमन् आप कहेंगे भाषण का नहीं, उसका भी तथ्य दे रहा हूँ, लोक निर्माण विभाग ने एक–दो मेजें खरीदी, एक मेज की कीमत 2 लाख 54 हजार रुपया, उसमें भी हमें आपत्ति नहीं, सवाल इस बात का है कि इतने बड़े क्वांटम का परचेज हो रहा है, उसके जो परचेज के रूल हैं उसकी अनदेखी की जा रही है। श्रीमन् हमने वाउचर देखा उसमें यह देहरादून से खरीदी गई और देहरादून में बेची गई और उसकी हैण्डलिंग चार्ज 6000 रुपया, यह डकैती नहीं है क्या इस प्रदेश के कम संसाधनों के ऊपर क्या उत्तरांचल की जनता इजाजत देती है कि उनके गाढ़े खून–पसीने की कमाई को यहाँ लूटने की इजाजत दी जाये। उत्तरांचल में कितने आदमी हैं जिनका 20 लाख रुपये का मकान होगा, लेकिन मकान बनने में 20,25 लाख रुपया खर्च तो समझ में आने की बात है, जिस मकान में बिजली विभाग का पहले से चीफ इंजीनियर रहता हो, उस मकान में कोई छोटा आदमी नहीं होता, लेकिन एक वर्ग विशेष का आदमी चला गया तो उस पर 25 लाख रुपये मरम्मत पर खर्च होते हैं। आज श्रीमन् मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह राजधानी को सजाने संवारने का काम नहीं किया और मुझे आश्चर्य है, मुख्यमंत्री जी क्या आपकी पारदर्शिता है, इसमें हमें कोई अफसोस नहीं है, यह प्रदेश बनने के बाद 3 महीने तक हमें भी खराब सड़कों पर चलना पड़ता, लेकिन जिस तरीके से इन सब चीजों के अन्दर घपले हुए हैं, वह अपने आप में गम्भीर जांच का विषय है।

मान्यवर, जिस तरीके से कर्तव्य परायणता के नाम पर इन सब चीजों के अन्दर घपले हुए हैं, वो अपने आप में गम्भीर जांच का विषय है और जिस दिन बजट भाषण हो रहा था, उस दिन भी मैंने टोका था मैंने गुस्ताखी की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी, बीच में कहने की कि ये जांच तो एक जगह की हुई है, कितनी जगह की होनी चाहिए, क्या हालात हैं, आज की तारीख में, इतने पैसे में यदि किसी वीरान जगह पर सचमुच कहीं पर राजधानी बनाना शुरू कर देते, तो, आज तक बहुत कुछ बना डालते। हम जानते हैं कि जब आप अभी खड़े होंगे तो, जवाब क्या आएगा, आप कहेंगे कि जब ये व्यवस्थाएं हुई तब हम हुकूमत में नही थे, ट्रांजिशन पीरियड में उत्तर प्रदेश से चला आ रहा था, आप जब खड़े होंगे तब ये भी दुहाई देंगे, चूंकि आपातकालीन व्यवस्थाएं करनी थी, इसलिए तमाम सारी चीजों को कर देना पड़ा। सड़क बनना कोई इमरजेंसी नही है, मकान का रेनोवेशन होना कोई इमरजेंसी नहीं है, जिस मकान में पहले से ही चीफ इंजीनियर रह रहा है, उसमें अगर कोई दूसरा अधिकारी रहने चला जाए, तो कोई इमरजेंसी नहीं इसलिए उसकी तात्कालिकता को भी हम खारिज करते हैं कि इतना अपव्यय करने का कोई आधार था। इसलिए श्रीमन्, इससे समीचीन, इससे उपर्युक्त दूसरा कोई विषय आज इस प्रदेश की जनता के सामने नहीं हैं मैंने स्वयं इस विषय के ऊपर न जाने कितनी बार प्रश्न पूछा लेकिन अभी तक तो उसका उत्तर नहीं मिला, जिसमें मैंने राजधानी के निर्माण से सम्बन्धित पूरा डिटेल मांगा था, कुछ तो वजह है, कुछ तो बात है कि इस विषय पर प्रत्येक व्यक्ति कुछ बोलने से कतराता है, इसलिए बहुत जिम्मेदारी

[*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।]

पूर्वक, बिना किसी पर व्यक्तिगत दोषारोपण, बिना किसी चरित्र हनन के हम सभी साथियों ने प्रतिपक्ष में बैठकर यह विषय सदन में उठाया। हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि इस अति महत्वपूर्ण विषय पर आप सदन की कार्यवाही को स्थगित करके चर्चा कराने की कृपा करें, ताकि इस प्रदेश की जनता को यह मालूम हो सके कि आखिरकार उसकी बुनियादी चीजों के लिए जो पैसा स्वीकृत हुआ था, किस तरीके से उसका अपव्यय हुआ है। धन्यवाद।

*श्री ईसम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, नियम 56 के अन्तर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव के सन्दर्भ में माननीय अम्बरीष कुमार जी और माननीय विधायक गणों के इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। वैसे तो माननीय अम्बरीष कुमार जी ने सब बातें कह दी हैं, मैं अपने विचार माननीय विधायक श्री अम्बरीष कुमार, माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी से सम्बन्ध करते हुए एक दो बातें, तो छूट गई उनके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

मान्यवर, उत्तरांचल की इस अस्थाई राजधानी देहरादून में जितनी गाड़ियां चल रही हैं चाहे माननीय मंत्री जी की हो या अन्य विभागों की हो तो इनकी व्यवस्था, इनके तेल का खर्चा, क्या लेखा--जोखा है लागबुक में काफी दिन तक दर्शाया नहीं गया, तेल ले लिया और कहां जा रहा है, कहां नहीं जा रही उसकी व्यवस्था नहीं है। एक यह बात है दूसरी यह कि अस्थाई राजधानी का निर्माण होने के बाद जगह--जगह हम लोगों ने देखा है कि सड़कों पर डिवाईडर बने हुए हैं और पाईप के माध्यम से बनाये गये हैं और क्या कारण है कि मुश्किल से 4--5 महीने के बाद टूट गये हैं तो मान्यवर, धन का दुरुपयोग हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक भारतीय संविधान में भी यह व्यवस्था दी गई है कि जैसा माननीय अम्बरीष कुमार जी और माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा 500 के बजाए ढाई लाख की बात कही है और 15 हजार का प्राविधान बताया है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283 में यह बात कही गई कि "समुचित निधियों, आकस्मिता निधियों और लोक लेखाओं में धन राशियों की अभिरक्षा आदि इसके खण्ड--2 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य की समुचित निधियों और राज्य की आकस्मिता निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधि में धनराशि के समुदाय, उनसे धनराशियां निकाले जाने, ऐसी निधियों में जमा धनराशि को विभिन्न राज्यों की सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त लोक धनराशियों की अभिरक्षा, राज्य के लोक लेखें में उनके समुदाय और ऐसे लेखे से धनराशि के निकाले जाने की बात पूर्वात विषयों से सम्बन्धित या उनके अनुषांगिक अन्य सभी विषयों का विनियमन राज्य की विधान मण्डल द्वारा बनाई गई विधियों द्वारा किया जायेगा और जब तक इस निमित्त इस प्रकार के उपबन्ध नहीं किये जाते हैं तब तक राज्य के राज्यपाल द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा किया जायेगा।" तो मान्यवर, इसमें मेरा कहना है कि राज्य की तरफ से इस तरह की कोई विधि नहीं बनाई गई है और सीधे--सीधे यह धन खर्च कर दिया गया तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं दोबारा फिर इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के कार्य स्थगन की मांग करता हूँ और इस पर चर्चा कराई जाये।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी आज यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पर माननीय काजी जी, माननीय अम्बरीष जी, माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ,माननीय इन्दिरा जी सभी लोगों ने सामूहिक रूप से यह अत्यधिक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय आज सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। मान्यवर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो धन इस जनता की गाढ़ी कमाई, खून–पसीने की कमाई से यहाँ संचित होता है, इसके कस्टूडियन के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी हम मानते हैं व्यक्तिगत रूप से बहुत पारदर्शी हैं, बहुत संवेदनशील हैं, लेकिन या तो मैं समझता हूँ कि कहीं यह चूक हो गई है कि प्रभावी रूप से नहीं देख पाये की कितना खर्च किस मद में हो रहा है और इस तरह अपव्यय हुआ मैं माननीय अध्यक्ष जी कहना चाहता हूँ कि नियमों का, शासनादेशों का यदि सरकार ही पालन नहीं करेगी तो फिर जो जनता है, आप किस प्रकार से आशा करेंगे कि वह उन शासनादेशों का पालन करेंगी। शासनादेश हैं फाइनेन्शियल हैण्डबुक है उसमें यह स्पष्ट प्राविधान कर दिया गया है कि कोटेशन ली जाएंगी, उसके पहले स्वीकृति दी जायेंगी, फिर टेक्निकल स्वीकृति दी जायेगी, लेकिन यहाँ नियमों, उप नियमों का, शासनादेशों का पालन नहीं हुआ है। एक बात तो यह है कि शासनादेशों का पालन नहीं हुआ तो बहुत गम्भीर बात हैं। दूसरी बात मान्यवर, चूंकि हम लोग जनता के रक्षक है अगर जनता में यह मैसेज जायेगा कि रक्षक ही भक्षक हैं तो फिर जनता में या शासन की जो संवेदनशीलता की बात है, वह मान्यवर, प्रायः समाप्त हो जायेगी।.....

मान्यवर, मेज की बात अभी मुन्ना जी ने कही, लाखों–लाख रुपये की मेज खरीदी जा रही है, इनोगरेशन पर 25–25 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है। मान्यवर, वेस्ट बंगाल में अगर आप जाकर देखें तो माननीय मंत्रियों के पास भी गाड़िया नहीं है, वे टैक्सी मंगाते हैं और काम चलाते हैं जो हमारा एक प्रदेश है वह पश्चिम बंगाल से धनाढ्य तो नहीं है। यहाँ अभी हमारा नव सृजित प्रदेश है, हम कह देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमारी इच्छा है कि हम यह काम करें, यहाँ का विकास करें, लेकिन धन का अभाव आड़े आ रहा है, इसलिए फिलहाल उसको पोस्टपोंड कर दें। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में अभी 3–4 दिन पहले एक ट्यूबवैल में जो घोटाला है, करीब 20–25 लाख रुपये का गबन है, पम्प खरीदे नहीं गये और उनका पेमेंट कर दिया गया, और जैसे अभी मुन्ना जी ने कहा कि कागजों में भी हेराफेरी की जाती है, वहाँ डिपार्टमेन्ट में क्या 28–03–2001 का जो 2 था उसको जीरो बना दिया गया। क्योंकि 2 दिन में तो कोई काम सम्पादित हो नहीं सकता था उसे 02–03–2001 कर दिया गया। तो इस तरह जो यह घोटाला हो रहा है, ये पब्लिक का जो पैसा है जिसके कस्टड़ी में हमारे मा0 मुख्यमंत्री जी हैं, हमारी सरकार है, हम सब लोग हैं, ये देखना हमारा कर्तव्य बनता है कि इसमें पारदर्शिता हो, उसमें घोटाला न हो, उसमें जनता के लोग ऊँगली न उठाये जो लाखों–लाख रुपया खर्च हुआ उस शासनादेश का उल्लंघन हुआ है और हमारी और आपकी तरफ जो जनता की ऊँगली उठ रही है। आज पारदर्शिता समाप्त हो रही है, तो यह लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है और मैं यह माँग करता हूँ कि इस पर चर्चा कराई जाये और उन अधिकारियों और जिन लोगों ने कार्य किया उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय और मा0 मुख्यमंत्री जी ने एक समिति इसकी जाँच के लिए बैठाई थी

[*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।]

लेकिन मुझे नहीं पता इसकी रिपोर्ट क्या है, आज तक इसकी रिपोर्ट जो है कृपया मा0 मुख्यमंत्री जी बतायेंगे, और जो रिपोर्ट है यदि आई है तो क्या रिपोर्ट आई है, लेकिन इस तरह के जो अधिकारियों ने घोटाला किया है मैं जानना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि उस समिति की क्या रिपोर्ट आई है और क्या उस पर कार्यवाही मा0 मुख्यमंत्री जी ने की।

*श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह विषय अत्यन्त अविलम्बनीय भी है और लोक महत्व का भी है। यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि जो प्रश्न हमने लगाये थे कि मुख्यमंत्री आवास पर कितना रुपया खर्च हुआ और मंत्रियों के आवास पर कितना रुपया खर्च हुआ, सड़क पर कितना रुपया खर्च हुआ, यदि इनके उत्तर आ गये तो शायद यह कार्यस्थगन प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती, पर क्योंकि इन्हीं प्रश्नों के उत्तर नहीं आये सबको पता है कि एक मकान बनाने में कितने पैसे खर्च हुए और जब इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया तो यह सुनिश्चित हो गया कि इसमें कितना पैसा व्यय हुआ। क्या आपने टेण्डर माँगा था, क्या आपने कोटेशन माँगी थी तो यह प्रश्न आप दिखा लें आपके पास ही है, जो प्रश्न हमारे द्वारा पूछे गये उनके उत्तर नहीं आये। मान्यवर, इसलिए यह अविलम्बनीय भी है और यह जनता को और सदन को जानने का अधिकार है कि जब हमारा नया राज्य बना है और जिन परिस्थितियों में बना तो ऐसा तो नहीं कि अपनी सुख सुविधा के लिए पूरी विलासिता का प्रयोग किया जाए और जनता को देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेरोजगारों को देने के लिए हमारे पास पद सृजन नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं शिक्षक बन्धु और शिक्षक मित्र रखकर हम अस्थायी नियुक्तियां देकर कर्मचारी और बेरोजगारों के पेट पर लात मार रहे हों और हम अपनी विलासिता कम करने के लिए कहीं ऐसा तो नही कि एक व्यक्ति जिसे एक गाड़ी चाहिए वह 3–3 गाडियां रख रहा हो और इस विलासिता का परिचय दे रहा हो और प्रदेश की जनता की गरीबी मिटाने की दिशा में हम कोई आदर्श उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। मा0 मुख्यमंत्री जी मैं यह अपेक्षा करती थी कि 12 और 14 वर्ष हमारा आपका सम्पर्क रहा है जिस ढंग से आपने एक दिन यह कहा था कि मैं उ0प्र0 की तरह यह नहीं करूँगा कि मुख्यमंत्रियों के लिए आवास की व्यवस्था कर दूँ, आज क्या स्थिति है, आज उत्तर प्रदेश में एक लाख का भत्ता मा0 मंत्रीगण लेते थे जिसको राजनाथ सिंह ने 15 हजार किया मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से खबर ली आज उन्हीं राजनाथ सिंह को यह व्यवस्था करनी पड़ी कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़े घर नहीं दिये जायेंगे, आज वह घर छीन नहीं पा रहे हैं। आज स्थिति यह है कि उन्हें घर देने की परिस्थिति नही है। अच्छा है आपने एक आदर्श प्रस्तुत किया कि कम से कम यह व्यवस्था अपने राज्य में करके नहीं छोड़ जाऊँगा आप अपने आवास में रह रहे हैं ठीक है आपने यह कह कर एक ओर अपनी इस भावना का परिचय दिया इसका मतलब उ0प्र0 में जिस ढंग से यह व्यवस्था की जा रही थी, आप मन से अपनी आत्मा से उससे सहमत नहीं थे।

मैंने विधान परिषद् में एक प्रश्न लगाया तमाम माननीय मंत्रीगण बैठे थे आप लोग एक लाख का भत्ता लेते हैं, यदि कोई नहीं लेता हो तो कोई मा0 मंत्रीगण खड़े हो जायें तो एक साहब खड़े हो गये, खैर यह वहाँ का प्रकरण है, यहाँ का नहीं है।

[*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।]

लेकिन आज उत्तर प्रदेश में उनमें परिवर्तन करना पड़ा और माननीय मुख्यमंत्री जी उस भावना से शायद पीड़ित हो गये और आपने एक दिन कहा जो मुझे अच्छा लगा। आपने कहा कि मुझे मालूम है एक अधिकारी की कई शिकायतें हैं पर वह ईमानदार है इसलिए इसको रखना चाहिए हमें यह भी अच्छा लगा, अधिकारी कुछ कमजोर है काम करने की क्षमता में नहीं है परन्तु ईमानदार है इसलिए हम रख रहे हैं। आपने भावना व्यक्तिगत और सार्वजनिक रूप से हम लोगों के सामने व्यक्त की। तो जिस प्रदेश का मुखिया मुख्यमंत्री इन आदर्शों के प्रति व्यक्तिगत रूप से और सार्वजनिक रूप से व्यक्त करता हो, ईमानदार अधिकारी जो मितव्यता से जीना चाहते हैं, मान्यवर, उसके नेतृत्व में पैसे की खुली विलासिता का चित्रण जनता के सामने हो रहा है। मान्यवर, मुझे तो यह भी सूचना मिली कि एक लड़ाई में एक ने गाड़ी के लिए कहा कि हमारे लिए भी गाड़ी खरीद दो, मान्यवर, अधिकारी ने बताया अधिकारी को अधिकार है बताने का। तो मान्यवर, जनता के सामने यह चित्रण आना चाहिए, मुझे मालूम है कि नौकरशाही कहता है कि हम परमानेन्ट हैं, पर यह अस्थाई हैं। साल भर बाद ये हो जाये कि इधर वाले उधर बैठें, उधर वाले इधर बैठें। एक बार मैं डी0एम0 के यहाँ गई तो उस समय बरसात आ रही थी तो मैं वहाँ रुक गई। तो मुझे पता चला कि किसी मंत्री से झगड़ा हो गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मंत्री हम से नाराज हो गये, तो उन्होंने कहा कि क्या हम करते हैं, उन्होंने कहा कि इस देश में 2 ही हुकूमत करते हैं, डी0एम0, सी0एम0 और पी0एम0 उन्होंने जोड़ दिया, तो मन में मैंने सोचा कि मूल्यांकन तो सही है हुकूमत तो 2 ही करते हैं डी0एम0 या सी0एम0 और मान्यवर, हुकूमत सी0एम0 नही डी0एम0 ही करता है। एक अधिकारी के बारे में आपने कहा कि उसकी शिकायतें तो बहुत हैं, लम्बे समय से है, पर ईमानदार है हमें अच्छा लगा, एक अधिकारी मुझसे सुबह मिलने आया था, उनकी ईमानदारी का सर्टिफिकेट आपके पास भी है। मान्यवर, आपके नेतृत्व में 12 लाख, 10 लाख की कमी कोई नहीं है, मुझे मालूम है कि रेनोवेशन में ज्यादा पैसे लग जाते हैं। दक्षिण भारत में कालीन तो नही लगती, लेकिन जब हम कालीन नहीं लगाते तो लगता है कि वह द्वितीय श्रेणी का नागरिक है। तो हाइजीन का ख्याल रखते हैं, हमारी हाइजीन कालीन लेकर होती है, तो मान्यवर, हमारी हाइजीन हमारी विलासिता की दुनिया के देशों में भी आवासीय व्यवस्था है, जो इण्टरनेशनल मानक के अन्तर्गत है, उनमें इतना लकजरी नहीं जितना हमारे देश में निजी क्षेत्र में भी है, तो मान्यवर, इस मानसिकता को त्याग करके हमें यहाँ आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए।

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण बात, वित्तीय हस्तपुस्तिका का पालन क्यों नहीं होगा ? हमारी ये इच्छा है, हमारी ये माँग है, आपके नेतृत्व में वित्तीय हस्तपुस्तिका का पालन हो और आप कुछ उत्तर दें, इसलिए न दें कि आप सत्ता पक्ष में हैं, कुछ है तो स्वीकार कर लें और कुछ नहीं है, तो बिल्कुल स्वीकार न करें। क्या टेंडर बुलाया गया, क्या कोटेशन माँगी गई ? निर्माण निगम के पास लकड़ी थोड़ी है, कहीं से तो मंगाएगा ही, निर्माण निगम सरकारी संस्था है, ठीक है, बनाए लेकिन जनता के धन की लूट की इजाजत नहीं दी जा सकती है हमारे प्रश्नों का उत्तर सदन में नहीं दिया और हम ये मान रहे हैं कि जानबूझ कर अधिकारी ने उत्तर न देने की व्यवस्था की। इसलिए हमारे लिए आवश्यक हो गया, आज सम्पूर्ण विपक्ष ने मिलकर ये मन बनाया कि आप उत्तर नहीं

[*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।]

दे रहे हैं, तो हम उत्तर लेंगे। मान्यवर, ये हमारा अधिकार है कि आप बताएं, ये तपस्वियों और मुनियों की भूमि है, यहाँ हम ये भी अपेक्षा करते हैं, मुझे पता है, गांववासी जी झोला डाल कर घूमा करते थे, कोश्यारी जी भी ऐसे ही घूमा करते थे, ठीक है, अब मंत्री बन गये, सरकार में आ गये, तो पुराना झोला मत भूलिएगा, जिस दिन आप झोला भूल गये, जनता आपको भूल जायेगी। इसलिए मान्यवर, आज इस नोटिस के माध्यम से हम यह ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, उत्तरांचल की देव भूमि अपनी सादगी का परिचय दे। मैं माँग करती हूँ, जब आप जैसा पारदर्शी मुख्यमंत्री बैठा है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं और जितना हमने आपको समझा है, या तो हमारी समझ में भूल हुई, लेकिन अगर हमने आपको सही समझा है, तो आप जैसे पारदर्शी मुख्यमंत्री को इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अगर ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है, अगर कोई मंत्री जिम्मेदार है, यदि कोई विधायक जिम्मेदार है, सदन की एक कमेटी बनाकर जांच करायें, जिसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाये हमारी कोई बदनियती नहीं है। हम यह भी जानते हैं, कैसे व्यय होता है और क्या इमर्जेन्सी थी ? सारी की सारी इमर्जेन्सी के बाद भी जनता के धन के दुरूपयोग की इजाजत नहीं दी जा सकती है और न दी जानी चाहिए। ये अपेक्षा हम आपसे करते हैं, इसीलिए कार्य रोक कर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री काजी मो0 मोहिउद्दीन–

मान्यवर, मुझे शराफत की उपाधि फिर मिल गयी, तो मैं फिर धन्यवाद अदा करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का। मान्यवर, मेरे लोगों का तकाजा तो ये है कि मैं बोलूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी की खुशी इसमें है कि मैं भ्रष्टाचार पर न बोलूँ । मुझे तो दोनों का तकाजा पूरा करना पड़ेगा, खासतौर से माननीय नेता सदन का, जिगर मुरादाबादी ने कहा है–

"तेरी खुशी से गर गम में भी खुशी न हुई,
वो जिन्दगी तो मुहब्बत की जिन्दगी न हुई।"

मान्यवर, अभी माननीय इन्दिरा हृदयेश ने कुछ मुद्दे उठाये पहले तो आपने ये कहा था, ये तो बदलाव है, ये तो लॉ ऑफ नेचर है, इसे कोई रोक नहीं सकता। अब ये कहते हैं कि साहब उत्तरांचल बना था, तो ये कहा गया था, खुशहाली लायी जायेगी, ये सही बात है, खुशहाली लाने का तो वायदा किया गया था।

मान्यवर, कहते है कि उत्तरांचल बना था तो ये कहा गया था कि खुशहाली लाई जायेगी, ये किया जायेगा, वो किया जायेगा। ये सही बात है कि खुशहाली लाने का वादा किया गया था अब देखिये न इतने करोड़ों अरबों रुपये किसी की जेब में गये तो वे उत्तरांचल के लोग ही हैं तो खुशहाल हुए हैं, बाहर के थोड़े ही हैं। अभी वे खुशहाल हुए हैं आगे और लोग खुशहाल होंगे। धीरे–धीरे ही काम होगा जो नहीं होंगे उनके लिए जांच कमेटी बैठा दी जायेगी, उस पर गम्भीरता से विचार किया जायेगा। तो मान्यवर, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि अगर चरम फैक्ट्री लगती है तो इस सरकार से पहले लगी, उनसे काम शुरू कर दिया तो उसका श्रेय हमारे माननीय मंत्रिगण ले लेते हैं और अगर कोई काम उस तारीख से पहले हुए तो हमारे नेता सदन कह देते हैं कि भाई ये तो पहले हुआ है किस तारीख को हुआ है हमें बताइयेगा तो यह भी सही है कि

गलत काम उनके जिम्मे और सही काम का श्रेय खुद ले रहे हैं। यह भी चलता है। मान्यवर, एक उन्होंने बात कहीं कि यहाँ टैक्सियां चलती हैं यह बात सही है यह जो माननीय रिक्शा, तांगा, टैक्सी मंत्री हैं (व्यवधान) वो क्या कहते हैं उसको, परिवहन मंत्री बहुत थोड़ा सा इनको सोच लेना चाहिए था, माननीय राम सिंह सैनी जी और अम्बरीष जी से सलाह ले लेते और टैक्सी ले लेते तो उसमें किसी टैक्सी वाले का भी भला हो जाता थोड़ा–बहुत तो कुछ खुशहाली नीचे वालों में भी आ जाती। मैंने तो बहुत पहले ही कहा था कि इंसान खुद कुछ नहीं करता, कुदरत करती है और उसकी जिम्मेदारी बेचारे मंत्रियों पर या इनकी सरकार पर डालना गलत है। (व्यवधान) अब एक बच्चा था वो ऊपर आसमान को पाँव करके सोता था, उसकी माँ ने पूछा कि तू ऐसा क्यों करता है ? उसने कहा माँ मुझे चिंता यह है कि आसमान गिर गया तो उसे रोकेगा कौन ? यही हाल हमारे माननीय मुन्ना सिंह जी का है अब परसों कह रहे थे कि गिद्ध यहाँ से क्यों चले गये। मैंने कहा गिद्धों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार बनने के बाद हमारी आवश्यकता नहीं रही। तो ये सब कुदरत कर रही हैं इसमें इन बेचारों का कोई दोष नहीं है तो मान्यवर, यह बात सही है कि इस पर चर्चा करा ली जाये ताकि ये आपने आप को बिल्कुल ही निर्दोष साबित कर दें इन्हें उसका अवसर मिलना चाहिए, उससे वंचित नहीं रखना चाहिए। अतः आपसे आग्रह है कि इनको भी पूरा मौका दिया जाये। चर्चा कराकर ये अपनी जीत कर लें और संतुष्ट हो जाएं लोग–बाग, कि ये बिल्कुल नहीं है और ये सारे बिल्कुल गलत है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, एक बहुत महत्वपूर्ण लोक महत्व का प्रश्न आपने उठाया, परन्तु न तो तात्कालिक है और न वह निश्चित है। इसलिए मान्यवर, 56 की परिधि में नहीं आता। लेकिन लोग महत्व का है इसको मैं मानता हूँ। मान्यवर, इस बात से आप भिज्ञ हैं कि जब तक यह राज्य नहीं बना था, इस राज्य के बनने की बात तय हो गई थी जब तक नहीं मालूम था कि मंत्रिमण्डल का क्या स्वरूप होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, कितने मंत्री होंगे तब तक मान्यवर, यहाँ पर ये सब कार्य शुरू हो गये थे। (व्यवधान) मान्यवर, उसके अन्दर सम्भवतः अगर मान लें ये बात हम लोगों के सामने आई होती तो हो सकता है हम उसके अन्दर कुछ सुधार करते। यह बात सही है कि जैसे बिल्डिंग जिसको मुख्यमंत्री आवास कहते हैं उसके सुधार में शायद ज्यादा खर्चा आया अगर कोई नई बिल्डिंग बनाई जाती। इसलिए मान्यवर, हमने यहाँ पर शपथ लेने के बाद बहुत जल्दी उसकी जांच के आदेश दे दिये, इन सब कामों की जांच के आदेश दे दिये, क्योंकि कुछ तो सामान सप्लाई किया गया और कुछ निर्माण हुआ है। अब निर्माण में ये आपका भवन भी है तो जैसा कि मैं समझता हूँ कि अच्छा ही भवन हो जिसके अन्दर आप बैठे। जो मंत्रीगण हैं उनको एक सुसज्जित आवास दिया जायेगा।. यह नियमावली के अन्दर है।

मान्यवर, यह भी आपको मालूम है, नियम यह है कि जो मंत्रीगण हैं, उनको एक सुसज्जित आवास दिया जायेगा। यह नियमावली के अन्दर है। मुझे यह कहना उचित नहीं लगता, न मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ से हम और आप आये हैं, वहाँ पर एक मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपये, 10 लाख उसको, 10 लाख उसको, 50 लाख उसको, यह सब बांट दिया। माननीया इन्दिरा जी उस हाउस के अन्दर थी , मामला हाउस में आया, हमने कहा कि वह सभी फाइलों को यहाँ पर लाओ। मान्यवर, इसमें अपनों–अपनों को रेवड़ी बांटी गयी

और हमारे देहरादून के दो–तीन लोग थे, उनको भी लाखों–लाख मिले। तो इस सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी के यह जो मकान हैं, ये सुसज्जित हों, यह नियमावली के अन्दर है। किसी माननीय मंत्री को इस बात का ज्ञान नहीं था कि इसके अन्दर क्या लगा रहे हैं, उसके अन्दर प्रवेश ही उन्होंने बाद में किया। और जितने मंत्री हैं, हमारे विधायक हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इनमें से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि लग्जरी हम लोग कहते हैं, विलासिता के लिए जिसने अपने आपको लगाया हो और आपके लिए मैं नहीं कहता हूँ।

मान्यवर, जो वहाँ उत्तर प्रदेश के अन्दर आपको ज्ञान में है कि जो मुख्यमंत्री रिटायर होता है, उसको एक मकान मिलता है। अब क्या रिवाज हो गया है। माननीय काजी जी, गौर से सुन लीजिएगा। मुख्यमंत्री रिटायर हुए, मैं नहीं कहता कि कौन थे लेकिन कम से कम दो–तीन करोड़ रुपया लगा जो कि पहले से सुसज्जित था और भी कई मुख्यमंत्री रिटायर हुए, सबके मकान इतने सुसज्जित हैं। यहाँ आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैंने कह भी दिया, अधिकारियों को कई बार कह दिया कि किसी दिन कैबिनेट में यह विषय ले आएं और हम नहीं चाहते कि हमारा कोई मुख्यमंत्री रिटायर हो तो उसको कोई मकान मिले क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई गलत उदाहरण नहीं पेश करना चाहते। यह जो यहाँ पर हुआ है, हम लोगों के आने से पहले हुआ है। उसकी हमने जांच करायी है। जांच की रिपोर्ट में कुछ अन्तरिम बातें कही गयी हैं, मैंने उनके ऊपर दोबारा से जांच के लिए कहा है और मैं आपको एक बात का विश्वास दिला सकता हूँ और एक–एक बिन्दु की हम जांच करेंगे। आपने जितने बिन्दु उठाएं हैं, वे सब रिकार्ड के अन्दर आ गये हैं, उनकी जांच करेंगे। यह भी हो सकता है कि आपने किसी बात में ज्यादा दिया हो। अब जैसे मैंने एक दिन पी0डब्लू0डी0 के चीफ को बुलाया, तो मैंने कहा कि ये कह रहे हैं, दो–ढाई लाख की आपकी मेज है, बोला साहब 40 हजार की है, अब वह ठीक है कि 40 हजार की हो या 2 लाख की लेकिन हमको काम ही तो करना है। उसमें थोड़ा कम की हो जाती, छोटी होती, इस तरह से आपने अनेकों बातें कही हैं और उससे हम लोगों को लाभ होता है। अब इसमें एक–एक बात और बताऊँ, यह जो अध्यक्ष हिल्ट्रान और अध्यक्ष वन निगम हैं, उनको वाहन निगम देता है, सरकार नहीं देती है। लेकिन यह भी मेरी नोटिस में लाया गया कि उनको भी सही गाड़ियां नहीं मिलती। उन्हें सही गाड़ियां मिलनी चाहिए। निगम को चाहिए कि एक ठीक गाड़ी दें। उनके सचिव वगैरह दूसरी गाड़ी चलायी जाये। इस तरह मान्यवर, आपने कहा कि हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये। मेरा दुर्भाग्य है कि सोमवार को प्रश्न लगते हैं, मेरे विभाग के, तो कोई सोमवार ही नहीं आया। हम लोग काम कर रहे हैं और जनता का काम कर रहे हैं। जनता का विश्वास हमको मिल रहा है, हमारे सब मंत्री दिन–रात काम कर रहे हैं। आपने देखा कि हमारे सदस्यगण और मंत्रीगण कितनी तैयारी के साथ सदन में आते हैं। यह सरकार काम करना चाहती है, हमसे गलतियां हो सकती है। ऐसे मैं कोई दावा नहीं करता, जो आज आपने कुछ बातें कहीं, बहुत कष्ट हुआ, अगर ये बातें सही हैं, तो मुझे सचमुच कष्ट हुआ, लेकिन मैंने अभी अपने सचिव को बुलाया, कहा कि इन सबकी जांच होनी चाहिए, सब चीजें यहाँ पर नोट होनी चाहिए और हम एक–एक बात का जवाब देंगे और जांच के बाद अगर आवश्यकता होगी, जिस पर हमको एक्शन लेना है, उस अधिकारी पर एक्शन लेंगे, उस पर कार्यवाही भी करेंगे।

उसके बाद भी अगर आवश्यकता होगी तो हम आपके साथ चर्चा करने को तैयार हैं, वह जनता का रुपया है, जनता का रुपया क्यों खर्च हो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मेरे साथ सहयोग करें, हम लोग मिल करके काम करेंगे, हम लोगों का राज्य है और आप थर्ड डिग्री सिटीजन नहीं हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, बहुत सिंसियरिटी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने शासन का पक्ष रखा, हमारा कहना यह है कि इसके अन्दर कितने नीचे से ऊपर तक का इन्वालमेन्ट है कि यह जब तक सदन की कमेटी के नियंत्रणाधीन हो, (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मैं एक बात बता दूँ, जब हमारी जांच की बात करें आपको संतोष नहीं होगा तो हम लोग इस पर विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

जांच की रिपोर्ट आ जाए। (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, हम लोग अभी परामर्श करेंगे, परामर्श करके हम लोग कुछ उच्च स्तरीय जांच करेंगे, क्योंकि हम इस मामले को लाइटली नहीं ले रहे हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, इस सम्पूर्ण सदन का विश्वास आप में है कि निश्चित रूप से यह विशेषाधिकार भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी जांच एजेंसी के बारे में निर्णय करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में निर्णय कर लें, इसमें श्रीमन् आप अपनी व्यवस्था को तब तक सुरक्षित रख लें जब तक शासन तय करके और इस सदन के अन्दर घोषित न कर दें कि किससे जांच हो रही है और उसमें श्रीमन् निश्चित रूप से हम आपके माध्यम से यह भी संतुष्ट होना चाहूँगा कि उच्च स्तरीय जांच हुई कि नहीं।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

हम तय कर लेंगे तो अवगत करा देंगे।

श्री अध्यक्ष–

कब तक अवगत करा देंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

हम लोग 10–15 दिन के अन्दर कर देंगे, आप क्यों हमारी सदाशीलता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि आपने बाहर जा करके बहुत सारी बातें कहीं, आप को अधिकार है, वह तो माननीय अध्यक्ष का अधिकार था कि वह आपको रोकते, लेकिन इन सब विषयों के ऊपर हम अपने माननीय मंत्रियों से सलाह करेंगे और सलाह करके एक उच्च स्तरीय जांच करेंगे फिर हम आपको बता देंगे।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मेरा अनुरोध यह है कि माननीय नेता सदन और हम सब लोग मिलकर तय करते हैं, आपकी व्यवस्था आ जाये, थोडी देर के लिए सदन स्थगित हो जाए।

श्री अध्यक्ष–

नहीं सदन स्थगित नहीं होगा।

विषय की गंभीरता को, विषय के महत्व को माननीय नेता सदन ने स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि हम इसमें हल्के–फुल्के ढंग से जांच के लिए कोई आदेश नहीं कर सकते और इसकी गंभीरता को देखते हुए मंत्री परिषद् के साथियों को विश्वास में लेकर उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनायेंगे। ये आश्वासन उन्होंने दे दिया।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, आपने हमारी पूरी डिबेट को सुना, माननीय नेता सदन ने भी सुना होगा। हमने बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कहीं पर भी हममें से किसी माननीय सदस्य ने, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, किसी भी माननीय मंत्रीगण पर, या माननीय नेता सदन पर या उसके सहयोगियों पर, किसी पर कोई निजी दोषारोपण नहीं किया। ये इसकी खासियत है और मैंने इस बात को कहा था कि हम ये भी स्वीकार कर सकते हैं इनमें से बहुत सारे इस्तेदाक उस दौर के हैं, जब आपके पास अथॉरिटी नहीं थी, इसको चैक करने के लिए। लेकिन पुनः हम ये भी मानते हैं कि गवर्नमेन्ट को इस बिना पर नहीं छोड़ा जा सकता कि वो किसने किया था। हम ये कह रहे हैं कि इसमें नियमों का घोर उल्लघंन हुआ है वित्तीय नियमों का घोर उल्लंघन हुआ है। इसलिए हमने आपसे प्रार्थना की, माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की कि इसके अन्दर चूँकि उच्चस्थ प्रशासनिक अधिकारियों के आवासों के मामले में भी प्रश्न उठा, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस सदन के अन्दर कहें, आप संतुष्ट हो जाएं, आपकी संतुष्टि हमारी संतुष्टि है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुन्ना सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि विषय अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण है। चूँकि राजधानी निर्माण से सम्बन्धित है, जनता से सम्बन्धित है और उन्होंने इस बात की घोषणा सदन में की है कि हम उच्च स्तरीय मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की सलाह लेकर कमेटी बनायेंगे।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, आपसे हमारा अनुरोध है कि ये सदन उठने से पहले मंत्रिपरिषद की बैठक कर लें, ये गंभीर विषय है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकारा और हम ये शक भी नहीं कर रहे कि उन्होंने मन से नहीं स्वीकारा, लेकिन अगर माननीय मंत्रि–मण्डल के सदस्यों से परामर्श करके माननीय मुख्यमंत्री जी कमेटी बना सकते हैं, तो क्या इस सदन को विश्वास में लेकर इस सदन की कमेटी नहीं बना सकते ? तो ये तो विश्वसनीयता का प्रश्न है। मान्यवर, सदन की कमेटी बन सकती है। ये सदन की कमेटी बनाने की घोषणा कर दें, हम ये बात समाप्त कर देंगे।

श्री अध्यक्ष–

यदि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विषय की गंभीरता को न स्वीकारा होता, तो आपका विरोध करना जायज था। विषय की गंभीरता को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकारा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय नेता सदन की हैसियत से सदन को आश्वस्त किया है कि इसकी जांच की जाएगी। इसके बाद तो कोई विषय नहीं रह गया, यदि उस जांच से हम संतुष्ट नहीं होंगे तो उसके बाद व्यवस्था देंगे।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ये और घोषणा कर दें कि कितने दिन के अन्दर जांच करके रिपोर्ट सार्वजनिक कर देंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, अगले सत्र से पहले–पहले।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, "जस्टिस डिले इन जस्टिस डिनाइड" यदि हम न्याय देर से करेंगे तो न्याय न होने के बराबर है। हमारा कहना है श्रीमन् कि हम आपके निर्देशों के विरुद्ध जा करके कुछ नहीं कर सकते। श्रीमन् आप सरकार को स्पष्ट निर्देश दें, सरकार घोषणा करे कि कितने दिन के अन्दर जांच पूरी कर ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है इसमें टाईम बांड बता दीजिये। (व्यवधान)
कमेटी गठित हो करके तीन माह में जाँच हो जायेगी। इसे मैं अग्राह्य करता हूँ।

श्री काजी मो0 मोहिउद्दीन–

मान्यवर, एक बात अपने बारे में, अर्ज कर दूँ। ये भ्रष्टाचार का मामला उठ रहा था अभी बाहर एक फार्म लिए खड़ा था कि अपनी सम्पत्ति वगैरह भरियेगा इसमें। मैंने उससे कहा न भरूँ तो क्या सजा है, उसने कहा सजा कोई नहीं तो मैंने कहा मैं तो नहीं भरता। या तो सजा कीजिएगा वरना मैं नहीं भरता और आपको यह शौक है देखने का कि मेरी सम्पत्ति कितनी है तो मान्यवर, रामनरेश यादव सरकार, बनारसीदास सरकार और उसके बाद, जब उत्तर प्रदेश में मैंने ब्योरा उस वक्त दिया था तो इस वक्त उससे कुछ कम सम्पत्ति है यह रिकार्ड हो रहा है मेरा। इसे ही मेरा लिखा हुआ मान लिया जाये। मैं इतना लम्बा फार्म बिना सजा के नहीं भर सकता।

वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय व्ययक में अनुदानों के लिए माँगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान सं0 25 खाद्य विभाग

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि "31मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25, खाद्य के अन्तर्गत

होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 104251 हजार (दस करोड़ बयालिस लाख इक्यावन हजार) रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।"

मान्यवर, इसके साथ मैं दो और पहले रख दूँ जो मेरे से सम्बन्धित है इसके बाद फिर मैं थोडा बहुत बोल दूँगा। यद्यपि ये अनुदान संख्या–6 में है। मान्यवर, मेरे पास सामान्य प्रशासन है उसके सम्बन्ध में थोडा सा बोल देता हूँ, नियोजन है और सचिवालय प्रशासन है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ। (व्यवधान)

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कल हम लोगों ने आपसे और माननीय राजस्व मंत्री जी से अनुरोध किया था मान्यवर, परम्परा यही है कि राजस्व पर तो चर्चा होती है चकबन्दी जैसे महत्वपूर्ण मामले इसमें आते हैं। मान्यवर मेरा यह अनुरोध है कि राजस्व पर चर्चा कराई जाये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अम्बरीष जी चूँकि पहले कार्यमंत्रणा समिति से पास हुआ, उसके बाद पूरे सदन ने स्वीकृति दे दी है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, आपकी बात सही है, लेकिन आप अगर प्रस्ताव रख देंगे तो पूरा सदन फिर स्वीकृति कर देगा, उसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। मान्यवर, आपकी कृपा हो जाये क्योंकि राजस्व बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और मेरा यह अनुरोध है हमारे सारे सदस्यों की राय यह है कि उसके माध्यम से अपने क्षेत्र की भी कुछ बात आ जाती है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, राजस्व में आपदा प्रबन्धन भी है जिससे निश्चित रूप से (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, आपदा प्रबन्धन तो हो गया । उसका बजट हो गया है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, आंशिक रूप से यह व्यवस्था कर दें।

वित्त, मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल "निशंक")–

श्रीमन्, जो अनुदान है उसमें सामान्य प्रशासन और दोनों एक हैं जिसमें व्यवहारिक कठिनाई के कारण हमें कोई दिक्कत नहीं है। राजस्व पर चर्चा हो हम तो चाहते हैं। सभी सदस्यों के सुझाव आयें। क्योंकि श्रीमन् अनुदान संख्या एक ही है और उस अनुदान संख्या को एक ही साथ पारित होने से विवाद न होने की स्थिति आई है,

इसलिए श्रीमन् मैंने आग्रह किया था। कल ही मैं विधायकगण के साथ बैठा था, सभी लोगों के सुझाव चर्चा के रूप में आये। डेढ़ घंटा लगभग बैठे और चकबन्दी राजस्व पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति होती है। आपको आमंत्रित किया था फिर दोबारा अनुरोध कर रहा हूँ माननीय सदस्य हैं, यदि कोई भी सुझाव होगा, जो भी स्थिति होगी वह हमको बता दें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है अभी माननीय मंत्री जी ने कहा बैठक हुई आप बैठक पार्टी लाइन पर कर रहे हैं, बैठक में तो विधान सभा के सदस्यों को बुलाते हैं, पार्टी लाइन पर बैठक हो तो आप जाने, लेकिन जब सदन में आप घोषणा करते हैं कि हमने माननीय सदस्यों से पूछा तो हमारी घोर आपत्ति है। हमारे पास कोई पत्र नहीं आया, बिना पत्र के न हम आयेंगे। मैंने लगातार बात उठायी कि आप लोग विपक्ष को विश्वास में नहीं लेना चाहते हैं किसी भी मुद्दे पर नीतिगत विषय हो या कोई प्रश्न हो विपक्ष के किसी माननीय सदस्य को आमंत्रित नहीं किया जाता और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया तो माननीय पर्यटन मंत्री जी ने एक चिट्ठी मुझे लिख दी मैं अकेली विपक्ष नहीं हूँ। मुझे पत्र लिखा, पृष्ठांकित सबको था। मैंने कहा, मान्यवर, सबको बुलाकर बात करिये। अब मान्यवर, हम लिखित सुझाव दें, थोड़ा बहुत हमने सीख रखा है। आप बुलायेंगे तो मैं अपना विचार दूँगी, अगर हमको इससे जानकारी नहीं है तो मेरा अनुरोध है कि कृपया आप हमसे सुझाव तो ले लीजिए, आप माने या न माने, यह आपका अधिकार है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसमें माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है। एक व्यवस्था है सदन ने इसको स्वीकृति दे दी है इसलिए इस व्यवस्था का हेड अलग होता तो उसको उठाते। इसको विवाद का विषय न बनाये।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, खाद्य विभाग में वर्ष 2000–2001 के अन्तर्गत धान खरीद का निर्धारित लक्ष्य 5,000 मै० टन के विरूद्ध किसान हित में 64, 331 मै० टन धान का क्रय किया गया। क्रय किये गये धान के देय मूल्य रु0 32.73 करोड़ के विरूद्ध रु0 31.47 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है और 1.26 करोड़ का भुगतान शेष है। शेष में से हाट शाखा पर देय रु0 10.14 लाख के बिल कोषागार में भेजे जा चुके हैं जिसका भुगतान शीघ्र हो जायेगा और अन्य शेष रु0 1.16 करोड़ अन्य क्रय एजेंसियों पर देय है जिसका किसानों को भुगतान क्रय एजेंसियों द्वारा क्रय किये गये धान से बने चावल की प्राप्ति होने पर ही किया जाना सम्भव हो सकेगा। लेवी चावल क्रय के अन्तर्गत वर्ष 2000–2001 में राइस मिलों से कुल 92,368 मै० टन लेवी चावल क्रय किया गया जिसके लिए देय मूल्य रु0 80.59 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है और शेष रु0 2.70 करोड़ (कुमायूँ सम्भाग में) के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। गेहूँ खरीद का कार्य केन्द्रीय खरीद योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत क्रय किया जा रहा है समस्त गेहूँ भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रेषित कर दिया जायेगा। इस वर्ष राज्यान्तर्गत गेहूँ क्रय के लिए सहकारिता

विभाग की सहकारी समितियों के द्वारा 181 तथा एफ0सी0आई0 के द्वारा 27 क्रय केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। इस वर्ष गेहूँ खरीद के लक्ष्य 1.56 लाख मै0टन के विरूद्ध दिनांक 15-05-2000 तक क्रय केन्द्रों द्वारा कुल 94,300 मै0टन गेहूँ का क्रय किया गया है जिसके सापेक्ष 62,000 मै0टन का सम्प्रेषण एफ0सी0आई0 को किया जा चुका है इस वर्ष गेहूँ का समर्थन मूल्य रु0 610/- प्रतिकुन्तल निर्धारित है। गेहूँ क्रय हेतु प्रारम्भ में शासन द्वारा 10 करोड़ रु0 रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसायटी को उपलब्ध कराया गया था। रिजर्व बैंक द्वारा माह अप्रैल तथा मई की गेहूँ खरीद हेतु रु0 51 करोड़ की सी0सी0एल स्वीकृत की गई है जिसमें से रु0 15 करोड़ आहरित कर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसायटी को उपलब्ध करा दिया है। गेहूँ खरीद हेतु एफ0सी0आई0 अपने क्रय केन्द्रों के लिए बोरों की व्यवस्था स्वयं कर रही है और सहकारी समितियों के क्रय केन्द्रों हेतु बोरों की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। वर्तमान में बोरों की कोई समस्या नहीं है। खरीद प्रारम्भ होने से पहले 50 किग्रा के 23.5 लाख बोरे उपलब्ध थे और उ0प्र0 से और 5 लाख बोरे उपलब्ध कराये जाने हेतु सहमति हो गयी है।

गैस गोदाम निर्माण योजनान्तर्गत बागेश्वर, चम्पावत, मुनस्यारी, बेरीनाग, सल्ट, धारचूला, एवं पिथौरागढ़ में गैस गोदाम निर्माणाधीन है और इस वर्ष नैनीताल में गैस गोदाम हेतु रु0 10 लाख प्राविधानित है। ऊखीमठ, पोखड़ा, घनसाली, दुगड्डा लम्बगॉव, दुनाकोट, चणियाला, जखोली, गजा, थत्यूड, नागनाथ पोखरी एवं थराली में भी गैस गोदाम प्रस्तावित है जिसका प्रस्ताव आई0ओ0सी0 के मानकानुसार ग0म0नि0 निगम से प्राप्त होना है, शीघ्र प्राप्त कर अनुपूरक बजट में प्रस्ताव किया जायेगा।

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 25, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य सुझाव देना और विभागीय नीति की आलोचना करना।

श्री अध्यक्ष-

आपका भाषण जारी रहेगा।

(सदन 1 बजकर 40 मिनट पर भोजनावकाश के लिए स्थगित हुआ)

भोजनावकाश हेतु सदन का स्थगन।

सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में अपरान्ह 3.00 बजे पुनः आरम्भ हुई।

उ0प्र0 के सजायापता पुलिस कर्मियों को उ0प्र0 में वापस भेजने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। उस दिन कार्य स्थगन का प्रश्न आया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया था कि जो लोग पुलिस विभाग में कार्य कर रहे हैं, और भेजे गये सजायाफ्ता हैं उन्हें वापस कर देंगे। कल डी0जी0पी0 ने जी0टी0वी0 पर ये बयान दिया कि हम उन्हें वापस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार

ने उन्हें लेने से इन्कार कर दिया। चूँकि डी0जी0पी0 पुलिस का हैड है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में बयान दिया था, वो सात दिन तो हो गये। हमने प्रश्न नहीं पूछा, कल जी0टी0वी0 पर सुना तो हमारे मन में ये शंका पैदा हुई कि वो सजायाफ्ता अधिकारी जाने वाले नहीं।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, हमारा प्रयत्न तो यही है कि वो जायें लेकिन ये बात भी सही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें ले नहीं रही है। उसी तरह टीचर्स का मामला है, हम बड़ी दिक्कत में हैं, हम आपकी मदद लेंगे।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मेरा अनुरोध इसमें यह है कि अगर माननीय नेता सदन चाहते हैं तो एक प्रस्ताव हाऊस की तरफ से ही पास होकर केन्द्र को चला जाए कि ये–ये दिक्कतें हैं और केन्द्र सरकार हमारी इन दिक्कतों का निराकरण करा दे। अगर आप सहमत हों, तो हम लोग कर देते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, हम कोशिश कर रहे हैं, अगर आपकी जरूरत पड़ेगी तो कहेंगे।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन अगर चाहें, तो उनके नेतृत्व में हम लोग सर्वदलीय रूप से भी प्रस्ताव भेज सकते हैं। भारत सरकार, जिसे आर्बीट्रेटर की भूमिका इसमें अदा करनी चाहिए। प्रश्न ये आ गया कि नहीं ले रहे, उत्तर प्रदेश वाले, तो धींगामुश्ती तो करेंगे नहीं।

श्री अध्यक्ष–

उसमें तो भारत सरकार के पास जाने के लिए सक्षम हैं, क्योंकि लास्ट निर्णय तो भारत सरकार ने करना है। वो सरकार का मामला है। अगर कहीं पर दोनों स्टेट्स की बीच में मामला तय नहीं होता तो उसको भारत सरकार ने डिसाइड करना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माननीय अम्बरीष जी, आप कृपया जारी रखें।

वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय व्ययक अनुदान माँगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान सं0 25 खाद्य, अनुदान सं0 6 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन, अनुदान सं0 7 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा सामान्य सेवायें

*श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का बजट अभी प्रस्तुत किया और ये भी सही है कि जैसा हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी तो बहुत सादे हैं, इनके मंत्रियों ने तो फाइल कवर भी दिये, कागज भी अच्छे सजा कर दिये, कलम भी दिया लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो पन्ने देकर यह

[*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।]

साबित कर दिया कि भाई मैं इनसे भी सादा हूँ। मान्यवर, यह बजट बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने खाद्य आपूर्ति मंत्री के रूप में इसमें केवल धान कितना खरीदा गया, कितना पेमेंट हो गया और लेवी चावल की बात, गेहूँ खरीद की बात की। गेहूँ एफ0सी0आई0 खरीद रहा है और जो हमारी सोसाइटी खरीद रही है, उनके बारदाने की व्यवस्था करना हमारा काम है और इसके अलावा सिर्फ गैस गोदाम की योजना के बारे में अपनी कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका में चर्चा की है लेकिन मेरा जो अनुमान था, वो सही निकला और मेरा अनुमान यही था कि ये सरकार गरीबों के प्रति गंभीर नहीं है। इसलिए इस पूरे पत्रक में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जिसके माध्यम से हम गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों तक आम जरूरत की वस्तुएं पहुंचाने का काम करते हैं, उसमें अनाज भी शामिल है और उसके साथ-साथ मिट्टी का तेल आदि भी शामिल है इसकी कोई चर्चा इस बजट में नहीं है और ये बड़ी दुखद बात है कि हम पूरी आबादी के बड़े हिस्से को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सब चीजें उपलब्ध कराते हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में कुछ कहते हैं, तो हमें भी ये जानने का अवसर मिलता कि सरकार की सोच क्या है? यद्यपि हम लोग अभी भी उस पर अपने विचार रखेंगे लेकिन अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार आते तो सरकार का पक्ष भी जानने को मिलता।

मान्यवर, आज हालत यह है कि जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, देहात और शहर दोनों की बात करना चाहता हूँ आधे समय तो दुकानें बन्द मिलेंगी और उस पर एक नोटिस चिपकी मिलेगी कि तेल लेने गये हैं। लोगों को न चीनी मिलती है न राशन मिलता है और नतीजा यह है कि सारा सामान ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है और इसमें पूरे विभाग की मिली भगत रहती है। होता यह है कि मिट्टी का तेल का 200 लीटर का ड्रम है। 4 ड्रम किसी को मिलने हैं तो कम से कम 25 प्रतिशत उसका कमीशन होता है वह कहता है कि 4 ड्रम पर दस्तखत करो और 3 ड्रम ले जाईये। तो मान्यवर, ये जो सारी स्थितियां है फेयर प्राइज शाप की, उसका एक उद्देश्य था, चूँकि यह बात देखने में आई कि अगर फेयर प्राईज शाप नहीं होगी तो अन्न, मिट्टी का तेल या जो अन्य चीजें हैं उनकी कालाबाजारी होने लगेगी इससे गरीब आदमी के लिए बहुत परेशानी हो जायेगी, उसे अधिक मूल्य पर सामान खरीदना पड़ेगा। कई बार इन चीजों का अभाव हो जाता है। इसलिए हम गरीब को ये राहत दे सकें इसके लिए ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कल्पना की गई थी। ये गरीब के लिए बहुत बड़ा सहारा हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब अपना उत्तर भाषण करें तो हमारी इन फेयर प्राईज शाप्स के बारे में जरूर अपने विचार रखें। ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह स्थिति है कि वहां जो हमारा पंचायतीराज एक्ट है उसके मुताबिक ग्राम पंचायत की एक बैठक होती है, उसमें डीलर का नाम तय होता है और उसके बाद उस डीलर को ये सारी वस्तुएं मिलती हैं, लेकिन इनमें जो भ्रष्टाचार का स्रोत है उस पर यदि अंकुश न लगाया गया तो इसका जो उद्देश्य है, वह विफल हो जायेगा। माननीय मंत्री जी ने लिखा भार एवं माप विनियमन 65 लाख 68 हजार। मान्यवर, मैं समझता हूँ कि जो वेतन बांट-माप निरीक्षक को मिलता है वह कितना काम कर पा रहा है। पेट्रोल पम्प की चेकिंग, सीमेन्ट की चेकिंग में सीमेन्ट के कट्टे को 4 बार जमीन में पटका, 1 किलो सीमेन्ट कम कर दिया। इन सब चीजों की चेकिंग नहीं हो पा रही है जिसके कारण आप उपभोक्ता को लूट का शिकार

होना पड़ता है। खाद्य आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी यह भी है कि जितने हमारे पेट्रोल पम्प हैं या जो तेल बेचने का काम करते हैं, इस सब की शुद्धता की जांच करने का दायित्व भी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अगर सदन को बताने का कष्ट करें कि इस छः महीने में खाद्य आपूर्ति के लोगों ने कितने नमूने पेट्रोल पम्प के लिए, कितने की जांच की। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि एक पेट्रोल पम्प से एक वकील साहब रोज तेल लेते थे और कम्पनी के बताने के मुताबिक उनका एवरेज नहीं आया तो वे कम्पनी में गये, कम्पनी ने कहा गाड़ी तो आपकी सही है, लेकिन पेट्रोल में जरूर गड़बड़ी है। उन्होंने पेट्रोल डलवाया और उसको तुरन्त नपवाया, तो भारी मात्रा में पेट्रोल कम पाया गया। 2–1 दिन तो पेट्रोल पम्प बन्द रहा, उसके बाद से तेल बिक रहा है। ये काम की माप आपूर्ति विभाग का है। शासन की सैकड़ों गाड़ियां चलती हैं, वे इन्हीं से तेल लेती हैं, कितने देते हैं इसकी भी जांच करना खाद्य आपूर्ति विभाग का काम है, लेकिन शासन भी लुट रहा है, उपभोक्ता भी लुट रहा है और खाद्य आपूर्ति के जो अधिकारी हैं" रोम जल रहा था, नीरो बंशी बजा रहा था" मान्यवर, यह हाल है इनका काम एक तो है कि जिले में जब कलेक्टर जाये तो उसकी व्यवस्था खाद्य आपूर्ति विभाग के लोग करते हैं, राशन भी यही जुटायेंगे तो जब सैंया भये कोतवाल तो फिर डर अध्यक्ष जी किसी का है नहीं। जब डी0एम0 के घर खाद्य आपूर्ति विभाग सामान पहुँचा रहा है और चिंता का विषय यह है कि सब कुछ तब हो रहा है जब माननीय मुख्यमंत्री जी के अन्तर्गत यह विभाग है। अब कोई छोटे मंत्री के अन्तर्गत हुआ होता और होता रहता तो लगता कि पता नहीं इन मंत्री जी की बात मुख्यमंत्री जी सुनते है या नहीं, इनका प्रभाव कम होगा, लेकिन अध्यक्ष जी यह विभाग तो स्वयं मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, ये विभाग तो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं और इसके बाद ये सब अनियमितताएं चलती रहें डी0एस0ओ0 इतने पावरफुल हों कि ये सब कुछ घपले करने के बाद भी किसी का बाल बांका न हो जो उनकी जिम्मेदारी है उसको भी अंजाम देने का काम न करते हों, न सैम्पलिंग करेंगे, बांट–माप–तौल वाले बिल्कुल करने को तैयार नहीं हैं, कौन कम तौल रहा है, कौन ज्यादा तौल रहा है, ठीक बट्टे हैं कि नहीं। उनका काम तो एक लाइसेन्स देकर बैठ गये, यह बट्टे वाला घूमता है अपने आप, कि लाओ मुहर लगा दूँ और एक पॉलिश लगा देता है और रंग फेर देता है। जो मीटर है वेट एण्ड मेजर के, कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं है। बांट घिस गये या कम तौल रहे हैं ये इस विभाग के काम हैं।

मान्यवर, मैं आशा करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जब उत्तर भाषण दें तो उन पर जरूर चर्चा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने धान खरीद की बात कहीं और उसके बारे में सारे आंकड़े भी दिये। तो मान्यवर, 6 महीने हो गये धान के सीजन को भी लगभग 2–3 महीने समाप्त हुए हो गये हैं। उसके बाद भी 2.70 करोड़ रुपया कुमायूँ में लेवी चावल का बकाया हैं और धान का भी अभी 1 करोड़ 26 लाख रुपया बकाया है। मान्यवर, मेरा यह कहना है कि 4–5 करोड़ रुपये अभी भी बकाया हैं। तो क्या शासन यह विचार करेगा जिन किसानों का धान शासन ने लिया और उनको 3–4 माह हो गये, पेमेन्ट नहीं हुआ। तो मान्यवर, हम गन्ने की रोज बात करते हैं सैनी साहब सवाल भी उठाते हैं, हम लोग कहते भी हैं, मंत्री जी कहते भी हैं कि 14 दिन के बाद हम ब्याज देने की गारन्टी देंगे।

14 दिन के बाद जो मिल मालिक पेमेन्ट नहीं करेगा गन्ना मूल्य पर शासन उसको ब्याज दिलायेगा, मिल मालिक से दिलायेगा। मिल मालिक नहीं देगा तो उसकी आर0सी काटनी पड़ेगी। यहाँ हम ब्याज दिलायेंगे शासन को यह अधिकार कहां है कि 14 दिन बाद ब्याज दिला देंगे और शासन अगर 4 महीने पैसे नहीं देगा, 4 करोड़ रोक लेगा, तो मान्यवर, वह ब्याज नहीं देगा। तो ठीक है आप पैसा रोक लीजिए, लेकिन उसका ब्याज देने का काम करिये और अगर आप ब्याज देने का काम नहीं करते है तो कैलकुलेट कर लें उसका कितना ब्याज बैठता है, उसका उतना भाव लें किसान की कमी आ गई, इतनी हानि तो मान्यवर, उसको हो गई। मेरा यह अनुरोध है कि उस पर भी शासन को विचार करना चाहिए। गेहूँ खरीद के बारे में कई सवाल भी उठ चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बारदाने की कमी नहीं है। यह बात सही है, सरकार ने बहुत प्रबन्ध करा दिये लेकिन इसमें 2 मुख्य बिन्दु थे, उनकी तरफ शासन ने आज तक संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। एक बिन्दु यह था कि गेहूँ की खरीद हो रही है, खूब गेहूँ खरीदा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक दिन यह भी कहा कि इतना गेहूँ पिछले साल भी नहीं खरीदा गया। यह बात सही है, नहीं खरीदा गया, इसलिए नहीं खरीदा गया क्योंकि पिछले साल किसान को उम्मीद थी कि फसल पर गेहूँ सस्ता होगा, फसल के बाद गेहूँ का भाव बढ़े इसलिए उसने उस गेहूँ को रोक कर रखा, साल के आखिर में किसान को घाटा हो गया। गेहूँ का भाव उसकी आशाओं के अनुरूप नहीं बढ़ा तो इस साल उसने यह फैसला कर लिया कि सारे गेहूँ का अभी निस्तारण करना है, अभी उसका विक्रय करना है तो इसलिए गेहूँ ज्यादा आ रहा है ऐसा नहीं है। मान्यवर, समस्या यह है कि किसान को एक योजना के तहत डराया जाता है कि तेरा गेहूँ खराब है, 10 कमियां बता दी जाती हैं, अगर ऐसा है कि गेहूँ ज्यादा हो गया तो माननीय कृषि मंत्री जी भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी लिखकर आंकड़े बता दें कि पिछले साल कितना पैदा हुआ था और इस साल कितना पैदा हुआ। किसान अपना गेहूँ मजबूरी में आढ़तियों को बेचता है वह उससे कम दाम में लेगा, क्योंकि शादी का सीजन है, गन्ने का सीजन खत्म हो गया। इस वक्त गेहूँ का ही पैसा उसके पास आना है, अभी बरसात के तीन महीने उसके पास कोई पैसा आयेगा नहीं। जब तक धान और गन्ना नहीं चलेगा। तो फिर वह आढ़तिया 610 रुपये सरकारी एजेन्सी को बेचता है और उससे जो सरकारी एजेन्सी के लोग हैं उनमें चाहे कोऑपरेटिव के लोग हों, एफ0सी0आई0 के लोग हों, उनकी आढ़तियों से मिलीभगत होती है। इस प्रकार किसान के साथ लूट हो रही है, किसान का शोषण हो रहा है। इस पर भी विचार करना आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दें, ये जवाब न दें कि बारदाने की कमी है। बारदाना तो बहुत है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि फर्टिलाइजर को देखने का काम भी हमारा फूड एण्ड सिविल सप्लाई वालों का है। नकली खाद बिक रही है, कितनी बिक रही है, कहाँ बिक रही है, कम तौल रहा है, ज्यादा तौल रहा है, यह भी किसानों से जुड़ा हुआ सीधा-सीधा सवाल है, तो मा0 मुख्यमंत्री जी से आशा करूँगा कि जब अपना उत्तर भाषण देंगे तो इस मुद्दे पर भी प्रकाश डाल दें, कि खाद के कितने मामले नकली बेचने के आये और कितने नहीं आये, लेकिन यह जानकारी देने का कष्ट करें कि हमारी खाद्य आपूर्ति विभागों के लोगों ने कितनी बाहर जाकर बेची। कम से कम निरीक्षण करने का काम किया और मान्यवर, मैं यह भी चाहूँगा कि यह महत्त्वपूर्ण विभाग है इसलिए जो सारे बिन्दु मैंने रखे, माननीय मंत्री जी उनका उत्तर भाषण में जवाब देंगे। धन्यवाद।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अभी अम्बरीष जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया मैं उसका समर्थन करती हूँ। मान्यवर, कई प्रश्न इस सदन में आ चुके हैं और सम्भवतया उसके उत्तर देने का परिणति बनी है या नहीं बनी, मैंने ध्यान आकर्षित किया था प्रश्न के माध्यम से, ऊधमसिंह नगर सर्वाधिक चावल और गेहूँ पैदा कर रहा है, 90 प्रतिशत भोजन देता है, यह आंकडा सरकारी है मेरा नहीं है। यदि यह सरकारी आंकड़ा सही है तो यह उनका अधिकार है कि शिकायत करें, मुझसे यहाँ पर कहते हैं कि 15 लाख टन लेवी का गोदामों में पड़ा हुआ है, अब उसे क्यों नहीं यह सरकार बेच रही है। उसके बेचने की व्यवस्था हो ताकि गोदाम भी खाली हों और अगर वह 98 का चावल है तो वह इतना पुराना चावल भी न हो जाये कि वह सड़कर बेकार हो जाये। मान्यवर, गेहूँ के भण्डारण की स्थिति यह है कि एफ0सी0आई0 के पास जगह नहीं है। गोदामों की अन्य राज्यों ने अपनी व्यवस्था की। हमारा नया राज्य बना है, ठीक है कठिनाई है, हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि पूरनपुर में जाकर गोदाम लिया, जिसमें काफी कैपेसिटी भी है, तो मान्यवर, अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो कम से कम निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में भी कुछ अवश्य बना लिया जाये। क्योंकि एफ0सी0आई0 केन्द्र का विषय है तो हम अपनी व्यवस्था करें और भारी उपज आप को तराई के क्षेत्र से मिलेगी, ऊधमसिंह नगर से भी, देहरादून से भी और हरिद्वार से भी मिलेगी, यह प्रमुख क्षेत्र हैं जिनसे अच्छी फसल मिलेगी। तो मान्यवर, हम भण्डारण के बारे में परेशान हों इस ओर भी आपका ध्यान होगा। मान्यवर, मैं पुनः इस पर बल दे रही हूँ। मान्यवर, अपमिश्रण के लिए यह विशेष अभियान भले ही उत्तर प्रदेश में न चल पाये हों, लेकिन अपमिश्रण और कम तौल, इन दोनों को हम प्रमुखता नहीं दे पाये, तो मान्यवर, आपके नेतृत्व में मैं यह अपेक्षा आवश्य करती हूँ कि बहुत सख्त आदेश इसमें हों कि जो इसके उत्तरदायित्व को सही तरीके से नहीं करेंगे तो उनको दण्डित किया जायेगा, उनको निलम्बित किया जायेगा, अच्छे कार्य करने वालों को इनाम और इस तरह के कार्य करने वालों को दण्डित किया जायेगा।

यह जरूर अपेक्षा हम इस सरकार से करते हैं और चाहती हूँ कि वह खाद्य एवं आपूर्ति विभाग दोनों में, दोनों की व्यवस्था के बारे में अधिक सख्ती से आदेशों का पालन करायें। मान्यवर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मेरी समझ से यह तो एक तरह से असफल हो गया। इसकी भावना गरीब को भोजन उपलब्ध कराना, चीनी गेहूँ, चावल कम दाम पर उपलब्ध कराना, लेकिन यह भावना सफल नहीं रही, सब ब्लैक हो जाता है। चीनी तो स्वीकार कर लिया है, सदन में स्वीकार कर लिया था उत्तर देते समय कि हम चीनी नहीं उपलब्ध कराये, लेकिन जिन के पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की दुकानें हैं, वह लोग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, और वह उससे मुनाफा कमाते हैं, इस सिस्टम को हम कैसे सुधारें इस पर हम चिन्तन भी कर सकते हैं और विचार भी।

मान्यवर, गेहूँ का समर्थन मूल्य 610 रुपया है। आप कहेंगे हमने तो 610 रुपया किया, आप 610 में बेचिये, लेकिन ये सही है कि जो छोटे किसान हैं जो सोचते हैं 610 लेने के लिए हमें खड़ा रहना पड़ रहा है, तो कम दाम में बेच रहे हैं, अपने रुपये की आवश्यकता के लिए उद्यमी जिस तरह से उधार लेकर काम करता है, उसको देखते हुए ये स्वाभाविक है। आपने गैस गोदाम पहाड़ में बनायें हैं, वहाँ पर सख्त जरूरत है, जरूर बनवा दीजिए, 10 लाख आपने प्राविधानित भी कर दिये हैं। ये कुछ मुद्दे, जो आपकी भी

जानकारी में है, लेकिन इन पर कटमोशन के माध्यम से बल दे रही हूँ, अगर इस दिशा में ठोस प्रयास करेंगे, तो एक आदर्श प्रणाली बन सकेगी। अतः मैं माननीय अम्बरीष जी द्वारा प्रस्तुत कटमोशन पर बल देती हूँ।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अम्बरीष कुमार जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करते हुए अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खाद्य मंत्री जी द्वारा जो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, उस पर नजर डालने से निश्चित रूप से कुछ अच्छी बातें भी देखने को मिली, जैसा कि माननीया इन्दिरा ह्रदयेश जी ने अभी जिक्र किया पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ जगहों पर गैस गोदाम बनाये जाने की। इसी सदन के अन्दर हम रोज चिन्ता व्यक्त करते हैं कि आज अगर पर्यावरण संरक्षण की बात होनी है, तो उसका विकल्प भी प्रस्तुत करना होता है, किस तरह से जो बायोटिक प्रेशर है, वो घटे, जंगलों के ऊपर से। एक ही रास्ता है कि कुकिंग गैस आसानी से वहाँ पर उपलब्ध हो सके। इस दिशा में एक और सुझाव है कि चकराता भी अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है, पूरे तहसील के अन्दर कोई गैस गोदाम नहीं है, यहाँ के लोग पूर्णतया जंगलों पर आधारित हैं, जंगलों पर से दबाव घटे इसके लिए व्यवस्था करें। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी, कुछ आपने सहानुभूति भी इस क्षेत्र के राईस मिलर्स के साथ में बरती, आपको याद होगा, पिछले दिनों मैं आपके पास लेकर आया था कि गढ़वाल क्षेत्र के जो राईस मिलर्स थे, उनको लेवी के चावल का उठान न हो पाने की वजह से भुगतान नहीं हो पा रहा था। उनके सामने इस बात का संकट पैदा हो गया कि उस चावल को रखें कहां, स्टोरेज कैपिसिटी उनके पास ज्यादा नहीं थी, आपने उस प्रेशर को घटाने के लिए कुछ धनराशि मुक्त कराई, अभी भी कुछ जगह इस तरह की परिस्थिति बनी है। लेवी के चावल की उठान बहुत तेजी से हो, इसका अनुरोध मैं आपसे अवश्य करूँगा। वर्तमान में जो हमारी सबसे बड़ी कठिनाई है, वह है गेहूँ किसानों की, इस प्रदेश के अन्दर दो बड़ी अजीबोगरीब स्थितियां पैदा हो गई। एक क्षेत्र वो है, जहां पैदावार हुई ही नहीं, एक क्षेत्र वो है जहाँ रिकार्ड पैदावार हुई, हो सकता है, सामान्य हो, जैसा माननीय अम्बरीष कुमार जी ने कहा लेकिन बाजार में सारा गेहूँ निकालने के लिए उन्होंने भीड़ लगा दी। मौसम की खराबी की वजह से उनकी जो परेशानी है, उनके बारदाने को लेकर, तौल को लेकर, उसको दूर करने की व्यवस्था करें।

माननीय अध्यक्ष जी, इस समय चूँकि बजट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं अब मैं यह कहूँ कि काशीपुर में नहीं हुआ, किच्छा में यह नहीं हुआ, हरिद्वार में यह नहीं हुआ तो इसका ज्यादा फायदा नहीं है। बजट के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें प्रॉसपेक्टिव प्लानिंग के लिहाज से, भविष्य में आने वाले जो इंतजाम हैं उसके नजरिये से हम बात करें। उस नजरिये से श्रीमन् यह जरूर कहूँगा कि धान की खरीद के समय जो स्थिति भण्डारण की पैदा हुई थी, आपको इधर का उधर लाना पड़ रहा था, कहीं और जगह ले जाना पड़ रहा था। मण्डी समिति के अध्यक्ष भी सदन के सदस्य हैं तो कम से कम कहीं न कहीं इस बात के लिए तैयारी होनी चाहिए। काश, ऊपर वाला करे कि आने वाले दिनों में हमारा कृषि उत्पादन बढ़े, पहाड़ों पर भी अच्छी फसल हो, वहाँ के लोग भी बेचने की

स्थिति में हों, भण्डारण क्षमता इस प्रदेश के अन्दर बढ़ानी चाहिए। इसके बारे में कोई न कोई साफ–सुथरा कार्यक्रम सरकार को ले करके आना चाहिए, उसको तवज्जों देने की जरूरत है। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसके द्वारा फेयर प्राईज शाप के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आप आपूर्ति करते हैं सभी चीजों की, उनके अन्तर्गत आपने पता नहीं देहरादून जनपद से या तो फिर इस काम्पलेक्स के शिकार हो गये कि देहरादून में यदि अस्थाई राजधानी है तो देहरादून की कोई बात मत सुनिये। बहुत बडा कोई कारण नहीं है, मार्जिनल आप इसमें घटत–बढ़त करते तो बात समझ में आती। आज देहरादून जिले में यह स्थिति हो गई कि यहाँ मिट्टी के तेल की जो आपूर्ति होती थी ग्रामीण क्षेत्रों में उसको 2 श्रेणियों में आपने रखा। एक था एल0पी0जी0 जिसके पास है और एक था जिनके पास एल0पी0जी0 नहीं है। जिनके पास एल0 पी0 जी0 नहीं है उनका मानक था 10 लीटर प्रति माह का। अचानक क्या हुआ कि उनका मानक आपने 5 लीटर प्रति माह कर दिया।

आज देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति यह है कि मिट्टी के तेल के लिए आदमी परेशान है, वो धक्के खाते फिर रहा है। उसका मुझे कारण मालूम पडा कि उ0प्र0 ने दोहरा लाभ उठा लिया। जो उत्तरांचल का कोटा है वो भी उन्होंने ले लिया और भारत सरकार को यह भी कह दिया कि उत्तरांचल का कोटा अलग हो गया, हमारे यहाँ इतनी सार्टेज आ गई। उन्होंने उसको दोहरे तरीके से ले लिया और यहाँ पर मिट्टी के तेल की कमी आ गई। फिर भी मुझे जहाँ तक मालूम पडा 700 के0एल0 के करीब टोटल उत्तरांचल के अन्दर जो भारत सरकार से घट कर आया वह 700 के0एल0 के करीब था। उस 700 के0एल0 को आप सभी जिलों में बराबर समानुपातिक तरीके से घटाते मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अकेले देहरादून जिले का जितना भारत से घटकर आया, उतना आपने देहरादून में घटा दिया उससे आज संकट पैदा हो गया और सबसे ज्यादा संकट इसमें श्रीमन् मुझे हो रहा है। मेरे क्षेत्र में हाई स्कूल, इण्टर कालेज ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो छात्र–छात्राएं हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में हर गांव में स्कूल–कालेज नहीं हैं। गैस आज भी पर्वतीय क्षेत्र में एक लग्जरी है, आज भी मिट्टी का तेल ही उनका सहारा है। आज उनको मिट्टी का तेल मिलना बन्द हो गया। तो श्रीमन् मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप इसके ऊपर ध्यान दें कि मिट्टी के तेल का जो कोटा घटाया गया है उससे ग्रामीण क्षेत्र की जनता और छात्रों को भारी नुकसान हो रहा है।

देहरादून में जिस छात्रावास में रह करके मैंने खुद अध्ययन किया उस छात्रावास में भी अलग से हम लोगों को मिट्टी के तेल का परमिट जारी होता था, उससे हम लोगों को मिट्टी का तेल अलग से मिलता था। तो छात्रों को यह परमिट की सुविधा भी दी जाये और इस कोटे को भी शुरू करें। श्रीमन्, मैंने कल भी कहा था कृषि के ऊपर भी बांट–माप का जो विषय हैं इसका मैं एक शानदार उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे गाँव का एक कृषक जो अपनी अदरक मण्डी समिति में तुलवाने ले जाता है, वह घर से तौल करके आता है 4 कुन्तल। वहाँ आ करके उसे कह दिया जाता है कि तुम्हारा केवल 360 किलो है, उसमें से पूरा 40 किलो घट जाता है। 2–4 किलो घट जाये बात समझ में आती है। 40 किलो घट जाये उसकी समझ में नहीं आया, उसने प्रतिरोध किया। कुछ काश्तकार उसके समर्थन में इकट्ठे हो गये और उन्होंने उसको दूसरे तराजू पर तुलवाया तो पूरा का पूरा 40 किलो का फर्क निकला। तो जो बांट–माप विभाग है वे जो काम करता है सबसे ज्यादा जरूरी इस बात को ध्यान देना है कि चाहे वो मण्डियों के अन्दर हो, चाहे वो निजी

दुकानदार के यहाँ हो या अन्य कहीं क्या करेंगे वो कहेंगे यह तराजू में कौन सा बांट है, वो कहेंगे 5 किलो का बांट है, इसको दो बार रखकर 10 किलो का पत्थर बनाया, दूसरी तरफ 4 पत्थर रख देंगे और कह देंगे 40 मिलो बन गया। उस पत्थर की कोई माप नहीं है कि कितने किलो का है। हम लोग तब ठगे जाते थे जब पढ़ते थे तो रद्दी का अखबार लेने आता था कबाड़ीवाला हमारे पास। वो 500 ग्राम का बांट रखता था, बाकी पत्थर रखता था कहता था कि इसको मैंने दूना बना दिया, इसको तीन गुना बना दिया और हो गया साहब 2 किलो।

मान्यवर, इस तरीके से बांट--माप और आपूर्ति है तमाम तरह के घपले किसी न किसी रूप में होते है, चीनी की बोरी जब गोदाम से उठाते है उनको कह दिया जाता है कि ले जाइये एक क्विंटल की है, जब उसको तोलते हैं तो 4--5 किलो कम निकलती है, फेयर प्राईज शाप की डीलर की ये सामत है, वह अगर किसी को कम दे तो मुश्किल, पूरा दे तो 4 किलो कहाँ से भरे। वह 4 किलो कहाँ जाती है ठीक है 100 ग्राम 200 ग्राम गिर जाती है, समझ में आता है, लेकिन ये लोग बोरे में एक राड सी डालते हैं तो निकालते हैं। यह सब जानते हैं कोई देखने भालने वाला नहीं है। अगर सप्लाई डिपार्टमेन्ट से पूछो तो वे कहते हैं इससे तो ऊपर के खर्चे पूरे हो रहे हैं तो श्रीमन् यह व्यवहारिक कठिनाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले छात्रों को मिट्टी के तेल का अलग से परमिट मिले, अपने देहरादून का कोटा जो 10 लीटर का था वह आपने 5 लीटर कर दिया उसे कम से कम 8 लीटर कर दीजिए, तमाम सारी बातें है। इसी के साथ मैं माननीय अम्बरीष जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री राम सिंह सैनी--

माननीय अध्यक्ष जी, श्री अम्बरीष जी ने अनुदान संख्या 25 पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस पर मैं बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, खाद्य विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी यह बताया था कि हमने धान का रिकार्ड क्रय किया है, लेकिन मान्यवर, यह देखिये अभी 1.26 करोड़ रु0 धान की जो कीमत है, उसका बकाया है। धान के क्रय को, चावल के क्रय को अभी करीब 6 महीने हुए तो जिस तरह से गन्ने की कीमत का भुगतान ये हमारी शुगर फैक्ट्री बड़ी विलम्ब से करती है और साल--साल भर हो जाता है अभी गन्ना मंत्री जी ने बताया था कि 11 करोड़ रुपया पिछले साल का बकाया था तो 11 करोड़ लगभग इस साल भी बकाया है। इस तरह से 4 करोड़ के लगभग धान और चावल का बकाया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो किसानों का इस प्रकार से उत्पीडन होता है, जो किसान लोन लेता है, उसको 14 परसेन्ट, 15 परसेन्ट ब्याज देना पड़ता है, अगर वह उसका भुगतान नहीं करता है तो जेल में बन्द कर दिया जाता है, जो उसका पैसा है आप उस पर ब्याज भी नहीं देते है। तो इस पारदर्शी सरकार की जो नीति है, मैं कहना चाहता हूँ कि ये सबके लिए बराबर होनी चाहिए। दूसरे गेहूँ की खरीद में आज भी जब कि कृषि मंत्री जी ने सटीक उत्तर नहीं दिया, हमने सवाल किये उन्होंने कह दिया बहुत अच्छी व्यवस्था है। मान्यवर, आज भी मैं चैलेन्ज के साथ कह सकता हूँ चाहे ऊधमसिंह नगर हो, चाहे हरिद्वार हो आज भी लोग मेरे पास आये थे, अम्बरीष जी के पास आये थे, अगर मान्यवर, कोई टैक्टर ट्राली पर गेहूँ ले जाता है तो शाम तक उसका नम्बर नहीं आता है और जो परसों बारिश हुई थी उसमें गेहूँ भीग भी गया है, जो मान्यवर, आपने क्रय किया था वह भी भीगा है। मैं कहना चाहता हूँ इस तरह की

व्यवस्था होनी चाहिए कि आज हम इतना गेहूँ खरीदेंगे तो इस तरह से चिन्हित कर दें कि आज फलां–फलां गाँव का इतना गेहूँ खरीदेंगे, ताकि वहाँ का किसान परेशान न हो और उसके समय का अपव्यय न हो।

मान्यवर, इस तरह से यह आपके टाइम का, इनर्जी का अपव्यय न हो यह मैं कहना चाहता हूँ।

दूसरी बात मान्यवर, अभी यह बाट और माप वगैरह की बात कहीं गई है यह जो हमारे जितने भी वेन ब्रिज गंगा के क्रय के लिए लगे हुए हैं, उनमें 5–5, 6–6 कुन्टल का फर्क आपको मिलेगा, तो मान्यवर, चाहे पेट्रोल पम्प हों, और चाहे वेन ब्रिज हों और चाहे कोई भी हो, वहाँ पर इस तरह की घटतौली होती है, अभी हरिद्वार में 2 दिन बन्द रहे पेट्रोल पम्प फिर खुल गये तो इस प्रकार की जानकारी जब माननीय मुख्यमंत्री जी को मिली, उसकी प्रभावी कार्यवाई उस व्यक्ति के विरुद्ध होगी, जब तक दूसरों की आँखे खुलेगी नहीं तो यह घटतौली होती रहेगी। फेयर प्राईस शॉप के विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि गाँव में हम लोग परेशान हैं, वहाँ पर फेयर प्राईस शॉप के माध्यम से वस्तुओं का जितना वितरण होता है, वह ठीक प्रकार से नहीं होता है और जो वहाँ पर गाँव के लिए चीनी आती है, तेल आता है, उसका वितरण नहीं होता है और उसमें ब्लैकमेलिंग होती है, उसमें इंस्पेक्टर मिले रहते हैं और फेयर प्राईस शॉप वाले मिले रहते हैं। रोजाना प्रधानमंत्री जी दूसरा प्रस्ताव करेंगे, कल को तीसरा प्रस्ताव करेंगे और वहाँ पर गाँव में माननीय मंत्री जी भारी असंतोष इसके कारण फैला हुआ है, किसी को भी मिट्टी का तेल और चीनी नहीं मिलती है और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, सारा ब्लैक हो रहा है तो इसकी भी नीति का निर्धारण आप करिये, ताकि लोगों को ये सब वस्तुयें मिल सकें। जहाँ तक गैस की बात है, गैस में भी जो गैस के सिलेण्डर हैं, किसी भी गैस के सिलेण्डर को यदि आप खोल करके देखें तो उसमें गैस कम मिलेगी, तो यह सारा का सारा उत्पीड़न किन का हो रहा है, कंज्यूमर का हो रहा है, तो यह हमारे शासन का दायित्व है। माननीय मुख्यमंत्री जी यह जो सब ब्लैकमेलिंग हो रही है, घटतौली हो रही हैं इनकी आप चेकिंग करें।

मान्यवर, एडेलट्रेशन जो दूध में हो रहा है, तथा मिट्टी के तेल में है, डीजल में है, यह सरसों के तेल में है और यहाँ तक होता है कि बासमती का चावल खरीदा जाता है उसमें दूसरा चावल मिला दिया जाता है, दूसरा चावल मिला दिया जाता है, तो इस तरह का जो एडेलट्रेशन मिश्रण जो होता है, इसकी भी चैकिंग माननीय मुख्यमंत्री जी होनी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अम्बरीष जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूँ।

श्री ईसम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जब हम लोग विदाई ले रहे थे उत्तर प्रदेश से तो मान्यवर, हमने एक बात कहीं थी विदाई समारोह में हीरों की, कि हमारे माननीय सभापति जी हीरा हैं, हमने एक बात कही थी कि यदि हीरे को मुकुट में लगा दिया जाये तो बहुत अच्छा रहता है और मुकुट राजता है, राजा के सिर पर। तो यहाँ राजा भी है, मुकुट भी है। तो हमने पहले भी बधाई दी है, मैं मान्यवर एक बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक खाद्य एवं आपूर्ति की बात है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। इस सम्बन्ध में माननीय अम्बरीष कुमार जी के कटमोशन पर बल देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

मान्यवर, मैं दो–तीन सुझाव और देना चाहता हूँ, चावल लेवी की बात आयी है, अक्सर यह देखा गया है कि जब कोई अधिकारी लेवी उठाता है, तो मानकता के आधार पर वह आइटम, जो लेवी में आता है, वह सही नहीं होता। दूसरी बात यह कह सकते हैं कि उसमें पौष्टिकता की कमी रहती है और जो अधिकारी लेवी उठाता है, वह इसके लिए दोषी है, उनके लिए सजा का प्राविधान होना चाहिए। जहाँ तक धान की बात आयी है, मेरे हरियाणा के एक मित्र मलिक आये, वैसे तो हर जगह प्रभावित हुए क्योंकि सरकार ने 540, 510 का मूल्य निर्धारण किया था, यू0पी0 में बता रहे थे कि हमारे यहाँ तो किसान लोग इतने जागरूक हैं कि हम लोगों को 360 करोड़ की भरपाई सरकार से की है, जो किसानों को नुकसान हुआ, मेरा कहना यह है कि यहाँ किसान इतने जागरूक नहीं है, पहली बात तो उनको नुकसान होना नहीं चाहिए, अगर नुकसान हो, तो सरकार को उसकी भरपाई के लिए कोई व्यवस्था जरूर बनानी चाहिए। इसके अलावा एक बात आयी, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों की, यह भी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में आता है। यह एक किस्म का को–ऑपरेटिव सिस्टम ही है, सहयोग करना और गरीब जनता को सुविधा उपलब्ध कराना। मेरा सुझाव ये है कि जैसे, मिट्टी के तेल की बात आयी, मैंने देखा है, मिट्टी का तेल जो डीलर उठाता है, वो उसकी दुकान पर न जाकर पेट्रोल पम्प पर चला जाता है, चाहे वो डीजल में मिल जाए। चाहे पेट्रोल में मिल जाय। इसीलिए आम जनता को उसकी आपूर्ति नहीं होती। पहले हम यह देखते थे कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में मिट्टी के तेल, गेहूँ, चावल के साथ–साथ साबुन, कपड़ा या अन्य दूसरा सामान भी मिलता था। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में गरीब आदमी ही सामान लेने जाता है, और उन्हीं के हित के लिए ये होते भी है। अक्सर यह देखा गया है कि एडवरटाइज के माध्यम से मार्केट में सामान का रेट बहुत बढ़ा हुआ होता है। जैसे, पेप्सी की एक बोतल को लें, उसके पानी की कीमत 1 रुपया 35 पैसे होती है और मार्केट में उसका रेट होता है, 10 रुपया। इस तरह की आम जीवनोपयोगी जो चीजें हैं, गरीबों के लिए, तो उसके लिए भी व्यवस्था सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से होनी चाहिए, ये मेरा सुझाव है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय अम्बरीष कुमार जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

काजी मो0 मोहिउद्दीन–

मान्यवर, यह एक तरफा बात हो रही है। अब कोई यहाँ बेचारा डी0एस0ओ0 तो है नहीं जो अपनी बात कह दें। मैं ही कह देता हूँ। सारे के सारे डी0एस0ओ0 के पीछे पड़ गये। मोमिन खां मोमिन ने एक शैर कहा था :

" इश्के बुतां, गमें रोजगार, यादे खुदा।
थोड़ी सी उम्र में क्या–क्या करे कोई।"

मान्यवर, एक डी0एस0ओ0, जिले में 5–5, 7–7 मंत्री नाजिल रहते है। मंत्री लोग तो 4 रुपये का बिल लिया, पी0ए0 से कहते है बिल दे दिया? जी सरकार, दे दिया, कितना है, बरा कितना तो पूछते भी नहीं, दिया और चले आये। हजार हो, 2 हजार हो, 5 हजार हो तो आखिर वो कौन करेगा। (व्यवधान) कोई पुराना अधिकारी हो उससे पूछ लीजिएगा आप 700–700, 800–800 रुपये का उस सस्ते जमाने में बिल दिया करता था। (व्यवधान) अब डी0एम0 की रसोई का भी इन्होंने बताया, वो भी करना पड़ता है, अपने बच्चों का भी पालन–पोषण है। आखिर एक आदमी पर इतने सारे उसके पीछे पड़

जाएं तो मान्यवर, थोड़ा उसका बोझ हल्का हो तो कुछ बात बने। मान्यवर, गेहूँ की खरीद के बारे में आपने कहा। मेरा गेहूँ भी नहीं बिका, कई बार भेजा लौट–लौट करके आ गया। कभी बन्द है, कभी कुछ है। मान्यवर, हिटलर ने एक मिनिस्टर रख रखा था इस बात के वास्ते कि कोई गलत बात कही जाये तो उसको इतनी बार दोहराओं, इतनी बार दोहराओं कि वह सही हो जाये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अपनी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे मिनिस्टर रखे हैं। अब जब मैं सुनता हूँ कि गेहूँ खरीद लिया गया, खरीदा जा रहा है तो मुझे तो लगता है जैसा मेरा गेहूँ भी बिक गया है। हिटलर की बात मुझे समझ में आ रही है बहुत ही सही आदमी था पता नहीं क्यों गड़बड़ा गया बेचारा। मान्यवर, एक बात है गांव में गैस आज भी नहीं मिलती और जा रही है सारे गांवों में, या तो ब्लैक से खरीद कर ले जाते है और बीच–बीच में पकड़े भी जाते है। कभी एस0डी0एम0 जाकर खड़े हो जाते है, कभी डी0एस0ओ0 का कोई नुमाइन्दा जा करके खड़ा हो जाता है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि गाँव में भी गैस का इंतजाम कीजिएगा, वरना वे फिर या तो लकड़ी जलाते है और वहाँ हमारे इलाकों में तो सरकारी लकड़ी है नहीं या फिर गाय, भैंस का गोबर जलाते हैं जो कि देश की सबसे बड़ी सम्पति है। तो गांवों में भी गैस उपलब्ध कराए और मैं अपने साथियों से इस बात पर भी जोर दूँगा:

"इश्के बुतां, गमे रोजगार, यादे खुदा।
थोड़ी सी उम्र में क्या–क्या करें कोई।"

इसका ध्यान भी रखें। धन्यवाद।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, माननीया श्रीमती इन्दिरा जी, माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी, माननीय राम सिंह सैनी जी ने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ और जो काजी साहब ने बात कहीं कि गाँव में गैस नहीं है। अभी शायद केन्द्र सरकार ने कोई योजना चलाई भी थी कि इतनी आबादी का अगर गाँव होगा तो वहाँ हम गैस की योजना देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अगर केन्द्र सरकार की योजना के मुताबिक गाँव में गैस एजेन्सी खुलवा दें तो बड़ी कृपा होगी।

मान्यवर, यही गैस की स्थिति हैं गैस के सिलेण्डर कम्पनी से ही कम आते हैं और इसके साथ–साथ बाजारों में पैक प्रोडक्ट बिकते हैं, उसमें लिखा रहता है, इतने किलोग्राम का है। उनकी भी जांच होनी चाहिए। ये गैस कम्पनीयां घटतौली का काम करती है। इन्हीं सुझावों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से आशा करता हूँ कि वे इनका भी समावेश करेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मैं बहुत आभारी हूँ, हमारे साथियों का कि आपने हमारा ध्यान कुछ विषयों की ओर आकृष्ट किया। आपने यह पूछा कि हम बी0पी0एल0 में कितना देते हैं और किस तरह से वितरण हो रहा है। 2403 मीट्रिक टन बी0पी0एल0 में जाता है, चावल 2077 मीट्रिक टन जाता है और ए0पी0एल0 में जाता है, 5097 मीट्रिक टन। अब जो यह

व्यवस्था है, जो हमारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं, उनकी व्यवस्था बहुत पुरानी चली आ रही है। इसके अन्दर कहीं–कहीं सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि जो ह्यूमन एलीमेंट है, वह हर जगह है। दुकानदार इसलिए कम तौलता है , उसे किसी और को देना है लेकिन हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। जहाँ हम पकड़ लेंगे, वहाँ हम उसको बख्शेंगे नहीं। पेट्रोल में 1,238 जगह निरीक्षण हुआ, चालान 90 जगह हुआ और 1,12,900 रुपया वसूला गया। एल0पी0जी0 में 564 जगह चालान हुआ। 25 जगह, 19,100 रुपया जुर्माना किया गया। मैं इसलिए आंकड़े दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सरकार चुप बैठी है। हममें कमियां होंगी लेकिन सरकार की नीयत में कहीं कमियां नहीं दिखाई देंगी। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। चावल में जो देय धनराशि थी, वह 112 करोड़ रुपये थी। अब 109 करोड़ रुपये रह गयी है। गेहूँ के अन्दर जो थोड़ा सा भुगतान रह गया है, उसको भी जल्दी–जल्दी हम कर देंगे। अभी मैंने आपके सामने रखा था, लेवी चावल का 2.7 करोड़ रु0 था गेहूँ में जो बकाया है, वह हम लोग तुरन्त दे रहे हैं। एक बात गोदाम की कही गयी, आपको यह जानकार हर्ष होगा कि हमको 7 रैक्स मिल गयी हैं, उनमें से एक के ऊपर कार्यवाही शुरू हो गयी है। बाकी 6 में भी हम कार्यवाही करेंगे, तो यह जितना एफ0सी0आई0 का माल है, यह सब चला जाएगा। गोदाम हमारे पास है नहीं, हमारे मंत्री जी ने हमारे मण्डी समिति के अध्यक्ष जी ने बड़ी मुश्किल से एक जगह गोदाम ढूँढ़ा। वैसे आप टी0वी0 पर देखिए, पंजाब और हरियाणा का गेहूँ सब पड़ा है, उसके ऊपर चादर तिरपाल पड़ा हुआ था।

मान्यवर, अम्बरीष जी ने कहा था कि आपने आवंटन कितना किया बी0पी0एल0 के लिए, उसका हमने 2060 मीट्रिक टन निर्णय किया और लगभग 1760 वितरित हो गया, चावल 554 मीट्रिक वितरित किया गया। मान्यवर, जो आपने कुछ बिन्दु के लिए हमसे अपेक्षा की है, मैं बताना चाहता हूँ, आपने यहाँ तक कहा था कि वह जो मिलावट है दूध में, मान्यवर, जो हमारे निरीक्षक हैं, उनकी संख्या 4730 हजार, जो दुकाने निलम्बित कर दी गई हैं, 26 हैं, जो दुकाने निरस्त कर दी गई है 36 हैं और मान्यवर, जब्त की गई प्रतिभूति सिक्योरिटी है वह 2 लाख 13 हजार 2 सौ रुपया है, 3–3 हमने एफ0आई0आर0 दर्ज की हैं और जो सामान जब्त किया है, वह 6 लाख 72 हजार 567 रुपया का है, 3/7 में तो मान्यवर, यह जो सरकार है यह निरंतर काम कर रही है, आपको कोई शिकायत शायद हो तो अगले साल अब आप अपने विचार रखेंगे तो आप को कोई दिक्कत नहीं आयेगी, कोई भी विषय नहीं मिलेगा, अभी भी विषय कोई मिल नहीं रहा है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, देहरादून के कोटे के बारे में भी बता दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

जो गैस सिलैण्डर जिन लोगों को मिलते हैं, उनको 3 लीटर प्रति कार्ड मिट्टी का तेल मिलता है और जो बिना गैस सिलैण्डर वाले हैं उनको 5 से 10 लीटर तक प्रति कार्ड मिलता है मान्यवर, जो बिलो पावर्टी लाइन हैं और वे लोग हमारे हैं, मैं उनकी संख्या बता देता हूँ बी0पी0एल0 की कुल यूनिट 18 लाख 90 हजार 288 है, और कुल

यूनिट हैं 1 करोड़ 3 लाख 26 हजार 179, मान्यवर, यह 19.52 प्रतिशत बिलो पावर्टी लाइने है तो मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आपने जो अपना कटमोशन प्रस्तुत किया है, सम्भवतया मैंने सब बातों का जवाब दे दिया है।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे बोल रहे थे जैसे डिबेट की तैयारी हो, पूरे आंकड़े तैयार करके आए थे जैसे हम लोग भी कभी डिबेट में करके आते थे, तो अच्छा लगा माननीय मुख्यमंत्री जी डिबेट की तैयारी करके आए लेकिन सन्तुष्टि नहीं हुई, इसलिए अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25, खाद्य के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25, खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 104251 हजार (दस करोड़ बयालिस लाख इक्यावन हजार) रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 820251 हजार (बयासी करोड़ दो लाख इक्यावन हजार) रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 820251 हजार (बयासी करोड़ दो लाख इक्यावन हजार) रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा सामान्य सेवाएं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 3530387 हजार (तीन अरब तिरपन करोड़ तीन लाख सत्तासी हजार) रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा सामान्य सेवाएं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 3530387 हजार (तीन अरब तिरपन करोड़ तीन लाख सत्तासी हजार) रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2001

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं राजस्व मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल "निशंक")--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

प्रतियां वितरित की जाएं।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2001 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2001 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3, अनुसूची खण्ड–1, प्रस्ताव और शीर्षक

उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2001

31 मार्च, 2002 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये।

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1. यह अधिनियम उत्तरांचल विनियोग अधिनियम, 2001 कहा जायेगा।

उत्तरांचल की समेकित निधि में से वर्ष 2001–2002 के लिए 45,05,75,27,000 रुपये का दिया जाना

2. ऐसा विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तरांचल की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सब का कुल योग उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2001 (उत्तरांचल अधिनियम संख्या–4 सन् 2001) की अनुसूची के स्तम्भ–3 में निर्दिष्ट धनराशि को सम्मिलित करके 4505,75,27,000 रुपये (चार हजार पांच सौ करोड़, पचहत्तर लाख, सत्ताइस हजार रुपये मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तरांचल की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान/क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में) विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3	4	5
1.	विधान सभा	राजस्व:	62361	3448	65809
		पूंजी:	0	0	0
2.	राज्यपाल	राजस्व:	0	29343	29343
		पूंजी:	0	0	0
3.	मंत्रि परिषद्	राजस्व:	35000	0	35000
		पूंजी:	0	0	0
4.	न्याय प्रशासन	राजस्व:	225030	97261	322291
		पूंजी:	0	0	0
5.	निर्वाचन	राजस्व:	43812	0	43812
		पूंजी:	0	0	0
6.	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व:	1116372	22	1116394
		पूंजी:	0	0	0
7.	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय तथा सामान्य सेवायें	राजस्व:	5143673	6806760	11950433
		पूंजी:	134500	2509646	2644146
8.	आबकारी	राजस्व:	38106	0	38106
		पूंजी:	0	0	0
9.	लोक सेवा आयोग	राजस्व:	7342	0	7342
		पूंजी:	0	0	0
10.	पुलिस एवं जेल	राजस्व:	1669161	10	1669171
		पूंजी:	100001	0	100001
11.	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व:	6828480	16	6828496
		पूंजी:	190319	0	190319
12.	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व:	1656613	0	1656613
		पूंजी:	157395	0	157395
13.	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व:	2216058	0	2216058
		पूंजी:	125000	0	125000

अनुसूची – क्रमशः

1	2	3		4	5
14.	सूचना	राजस्वः	109939	0	109939
		पूंजीः	0	0	0
15.	कल्याण योजनायें	राजस्वः	1002055	0	1002055
		पूंजीः	68100	0	68100
16.	श्रम और रोजगार	राजस्वः	229120	0	229120
		पूंजीः	0	0	0
17.	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्वः	1630906	2355	1633261
		पूंजीः	24740	0	24740
18.	सहकारिता	राजस्वः	92733	0	92733
		पूंजीः	84143	0	84143
19.	ग्राम्य विकास	राजस्वः	1609627	0	1609627
		पूंजीः	142538	0	142538
20.	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्वः	1458188	0	1458188
		पूंजीः	358746	0	358746
21.	ऊर्जा	राजस्वः	331045	0	331045
		पूंजीः	1000000	0	1000000
22.	लोक निर्माण कार्य	राजस्वः	1344308	10555	1354863
		पूंजीः	2322551	0	2322551
23.	उद्योग	राजस्वः	268779	0	268779
		पूंजीः	32507	0	32507
24.	परिवहन	राजस्वः	139156	100	139256
		पूंजीः	27124	0	27124
25.	खाद्य	राजस्वः	139382	0	139382
		पूंजीः	1001	0	1001
26.	पर्यटन	राजस्वः	184682	0	184682
		पूंजीः	163017	0	163017
27.	वन	राजस्वः	2516335	1198	2517533
		पूंजीः	28500	0	28500
28.	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्वः	521483	55	521538
		पूंजीः	16830	0	16830
			15847535	14263	15861798
	योग		35596758	9460769	45057527

उद्देश्य और कारण

संविधान का अनुच्छेद 204 इस बात की अपेक्षा करता है कि विधान सभा द्वारा अनुदानों की मांगे स्वीकृत किये जाने के बाद राज्य के विधान मण्डल में एक विनियोग विधेयक पुरःस्थापित किया जाय। राज्य द्वारा विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है अतः–

इस विधेयक में उत्तरांचल की समेकित निधि में से 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों तथा राज्य की समेकित निधि पर भारित व्यय के लिए अपेक्षित समस्त धनराशियों के विनियोग की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2001 (उत्तरांचल अधिनियम संख्या 4 सन् 2001) द्वारा किये गये विनियोग की धनराशियां भी सम्मिलित हैं।

(डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")
मंत्री,
वित्त।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड' 2 से खण्ड–3 तक अनुसूची खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2001 पारित किया जाएं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2001 पारित किया जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। पारित तो हो गया लेकिन आमतौर पर परम्परा यह है कि विनियोग विधेयक के लिए समय निर्धारित होता है।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

जब प्रस्ताव पारित हुआ, उससे पहले प्रस्तुत हो गया।

श्री अध्यक्ष–

यदि ऐसी कोई परम्परा है, तो उसको दिखवा लेंगे।

उत्तरांचल की चीनी मिलों को पर्याप्त गन्ना आपूर्ति हेतु गन्ना कमाण्ड क्षे0, उ0 प्र0 से लेकर उत्तरांचल में सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में श्री अम्बरीष कुमार सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत संकल्प

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि "इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल की चीनी मिलों को पर्याप्त गन्ना आपूर्ति हेतु गन्ना कमाण्ड क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तरांचल में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रयास किए जाऐं।"

श्री अध्यक्ष–

माननीय अम्बरीष जी आपके संकल्प पर भाषण जारी रहेगा।

अनन्तिम विधान सभा का कार्यकाल अधिकतम् एक वर्ष निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत संकल्प

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि "यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि अनन्तिम विधान सभा का कार्यकाल अधिकतम् एक वर्ष निर्धारित किया जाए।"

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी आपका भाषण जारी रहेगा।

रुड़की नगर में सड़कों की सोचनीय स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम सिंह सैनी सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मा0 मुख्यमंत्री का वक्तव्य

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

[उत्तरांचल राज्य में रुड़की शहर का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। अतः रुड़की शहर के सुनियोजन विकास एवं सड़कों आदि के सुधार हेतु शासन सजग है। नगर पालिका रुड़की के द्वारा अपने स्रोतों से यथा सम्भव सड़कों का पुनर्निर्माण एवं सुधार किया जा रहा है, फिर भी रुड़की शहर की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार एवं प्रशासक, नगर पालिका, रुड़की को निर्देशित किया जा चुका है कि वे शहर के सुनियोजित विकास, सड़कों के पुनर्निर्माण एवं सीवरेज की व्यवस्था में सुधार के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करा दें। प्रशासक द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध होते ही प्रदेश की वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत यथा सम्भव स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार किया जायेगा।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा कार्य संचालन नियमावली के निमय 51 के अन्तर्गत श्री अम्बरीष कुमार, मा0 विधायक द्वारा दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

["उत्तरांचल प्रदेश में कार्यरत मद्यनिषेध अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन न मिलने के सम्बन्ध में"

उत्तरांचल राज्य में कार्यरत मद्यनिषेध अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन का प्राविधान तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा फरवरी, 2001 तक के लिए किया गया था। इसके पश्चात इनके वेतन एवं अधिष्ठान का प्राविधान उत्तरांचल राज्य के प्रस्तुत बजट में अनुदान संख्या–15 के अन्तर्गत किया गया है।]

नियम 52 की चर्चा के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, इस पर व्यवस्था का प्रश्न है। नियम–52 की चर्चा का लिखित (व्यक्यान) फिर चर्चा का क्या मतलब ?

श्री अध्यक्ष–

नहीं, लिखित उत्तर नहीं आना चाहिए। चर्चा के बिन्दुओं पर सहूलियत हो इसलिए उत्तर लिखित में आया है।

6 मई, 2001 को ओलावृष्टि से पर्वतीय क्षेत्र में फसलों को भारी नुकसान के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

मान्यवर, दिनांक 6–5–2001 का करीब 5 बजे शाम से 6.10 बजे तक पर्वतीय क्षेत्र के जिलों में एक भयंकर ओलावृष्टि और बारिश से कृषकों को भारी नुकसान हुआ है। जब ओलावृष्टि हुई तब मैं क्षेत्र में था। 100–150 ग्राम तक ओलावृष्टि हुई, बहुत अधिक मात्रा में ओलावृष्टि हुई, और किसानों की खड़ी फसल को जिन क्षेत्रों में गेहूँ कटना बाकी था उन क्षेत्रों में फसलों को नुकसान हुआ और उसके साथ–साथ जो हमारे फल उत्पादक थे धानाचूली से लेकर रामगढ़, मोतिया पाथर, अल्मोड़ा, रानीखेत, पन्ना नाला में भारी संख्या में ओलावृष्टि हुई जिससे बहुत अधिक नुकसान हुआ। आप अनुमान लगा सकते है जब पेड़ों की पत्तियां तक नहीं रहीं, टहनियां टूट गई तो इसमें कितना भारी नुकसान

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कृषकों को हुआ होगा। एक ओर सूखे की चपेट और दूसरी ओर भयंकर ओलावृष्टि इससे करोड़ो रुपये का नुकसान कृषकों को हुआ है और बे–मौसमी सब्जी वहां के लोगों की आय का मुख्य साधन हैं। वहाँ पर लोगों ने गोभी, शिमला मिर्च, तरोई, लौकी, टमाटर आदि बो रखा था, उसको भारी नुकसान हुआ है। किसानों की कमर इस ओलावृष्टि से टूट गई है। श्रीमन् मैं निवेदन करना चाहता हूँ जो हमारे किसान थे पहले सूखे की चपेट में थे, दूसरी ओर इस ओलावृष्टि से किसानों, फल उत्पादकों और सब्जी उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ है। रोटी के लिए आज किसान मोहताज हो गया है मान्यवर, अभी एक सूचना यहाँ पर आई है, इसमें लिखा है कि 50 प्रतिशत से कम नुकसान पर यहाँ पर कोई प्रावधान सरकार की ओर से नहीं है। मैं इस बात पर निवेदन करना चाहता हूँ कि इससे पहले जो सूखाग्रस्त क्षेत्र था और दूसरी ओर ओलावृष्टि और भयंकर बारिश से नुकसान हुआ तो 50 प्रतिशत क्यों वो तो 100 प्रतिशत नुकसान हो गया। सूखे से गेहूँ को नुकसान हुआ और ओलावृष्टि से फल उत्पादकों को नुकसान हुआ।

मान्यवर, भैसियाछाना में दो लोग बह गये, वे नहाने गये थे अचानक बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, वे दोनो अनुसूचित जाति के थे जिनका नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चन्दन राम, दूसरा राजू राम ये व्यक्ति उफनते हुए नाले में बह गये। अब मान्यवर इसमें जो सूचना आयी है (कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बोलते रहिए आपको रोका नहीं जा रहा है।

श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

मान्यवर, इसमें जो कहा गया है मैंसियाछाना के पियारी गांव में दो लोगों की मृत्यु हो गई, और इसमें लिखा गया है कि उनकी लापरवाही से मौत हुई। मान्यवर, लापरवाही से कोई कूद तो नहीं गया, वे पानी की कमी के कारण नाले में नहाने गये थे छोटा सा गधेरा था, भयंकर ओलावृष्टि हुई और बहने से मृत्यु हो गई। मान्यवर, अगर 50 परसेन्ट से कम नुकसान होता है तो सरकार मुआवजा नहीं देती है। मान्यवर, पहले सूखे की वजह से लोगों का नुकसान हुआ था, और फसल चौपट हुई थी, अब सोचा था हमारा जो फल उत्पादन क्षेत्र है इस समय भयंकर ओलावृष्टि से वह चौपट हो गया, पेड़ों में पत्तियां तक नहीं रही सब झड़ गई है। किसान आज रोजी रोटी के लिए मोहताज है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये दोनों अनुसूचित जाति के लोग है उनको कम से कम राहत राशि दे दी जाय। उनके परिवार वालों को धनराशि मिलनी चाहिए। वे बहुत ही गरीब घर के लोग है, मेरा क्षेत्र भी पड़ता है, जो भी अनुमन्य राशि आप देना चाहते हैं उनको दे दीजिए। दूसरा मुनश्यारी नाला है हमारे सोमेश्वर के पास मान्यवर, मा0 नारायण राम दास जी है उनका भी क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर दो बैल बह गये। दो बैल बहने

से प्रति बैल दो हजार मिलता है तो मान्यवर, उनको बहुत कम राशि मिली है। मैं निवेदन करता हूँ कि जितने भी लोग उस क्षेत्र के प्रभावित हुए हैं उनको राहत राशि देने की कृपा करें। मा0 हमारा जो रानीखेत वाला क्षेत्र है, मा0 मंत्री जी यहां पर हैं पूरा क्षेत्र हौलबाग से लेकर पनवानौला से लेकर सारे क्षेत्र मोतिया आदि में पिछले वर्ष बहुत ज्यादा ओलावृष्टि हुई थी, बादल फटा था, उस क्षेत्र के अन्दर मोटर मार्ग अस्त–व्यस्त हो गया था, कई जानवर वहाँ पर बह गये थे, ओलावृष्टि से वहाँ का जनजीवन तबाह हो गया। वहाँ किसान रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गये हैं, डी0एम0 के माध्यम से सूचना आयी है इसमें लिखा है कि 50 फीसदी से कम नुकसान होता है तो कोई धनराशि नहीं दी जाती है। मानवता के आधार पर आप कृपया इस क्षेत्र में राहत राशि बांटने की कृपा करें। मान्यवर, मुझे पुनः निवेदन करना है जो अनुसूचित जाति के दो लोग बह गये हैं, आप इसी सदन से घोषण कर दीजिए।

मैं अनुरोध करना चाहूँगा इस सदन से कि उन किसानों को, फल उत्पादकों को, सब्जी उत्पादकों को। आज इस सदन से आपके माध्यम से सरकार को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि उनको कम से कम जो भी वांछित धनराशि हो, जो अनुमन्य हो उसकी आज ही घोषणा करें।

श्री भारत सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी रघुनाथ सिंह चौहान ने ओलावृष्टि के ऊपर जो अपना वक्तव्य दिया है, वह सही है और हम सभी लोग जानते हैं कि उत्तरांचल में बहुत बड़े हिस्से में ओलावृष्टि हुई है और आज से 2–3 दिन पहले तूफान भी आया, जिससे हमारी घाटियों के जितने फल थे, आम के, लीची के पेड़ तक तोड़ दिया और इस तरह से पहाड़ों में तमाम आपदा आती रहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि एक जो फसली बीमा सरकार की है किसानों के लिए फसली बीमा का प्रविधान करते हुए उसमें बहुत नामिनल पैसा किसानों से लिया जाता है और सरकार भी कुछ देती है तो यह जो हमारी बीमा कम्पनी हैं, उनको आमंत्रित करके और सभी किसानों का फसली बीमा किया जाये, इससे बहुत बड़ा लाभ उनको होगा। यह प्राकृतिक जो आपदा हुई है, यह पहले भी हुई है, आज भी हो रही है और कल भी होगी, इसलिए एक परमानेन्ट रैमेडी जिसको कहना चाहिए स्थाई उपचार, ऐसी रिलीफ हम को करना चाहिए, एक और बात विसंगति है, अभी यहां पर एक रिपोर्ट आई है कि 50 परसेन्ट से कम 50 परसेन्ट किसको दिया गया है जब ओलावृष्टि गिरती है, पहाड़ के लोगों को तो मालूम है, ओला उस गांव के कुछ खेतों को समूह नष्ट कर देता है और वहां पर ओला नहीं गिरता है, एक गांव में ओला गिरता है दूसरे गांव में नहीं गिरता है और इस तरह से अगर हम कहें कि 50 परसेन्ट नहीं आये उस गांव से, तो जो और किसान थे, उनको नुकसान होगा, तो इसका जो मूल्यांकन है, नीतिगत जो बात हुई, हम इस पर राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आपदा में इसको समाहित कर दें और राजस्व मंत्री

जी से मैं कहूँ गांव के गाँव को यूनिट मान करके इसको किया जाये ऐसा नहीं कि एक पट्टी पर, तो मेरा निवेदन है कि इसमें एक नीतिगत नीति बनानी पड़ेगी और किसानों को हमेशा इन आपदाओं से जूझना पड़ता है, तो मैंने निवेदन किया कि कोई आपदा का ऐसा फण्ड बनाए राजस्व मंत्री जी करें, मुख्यमंत्री करें, ऐसी व्यवस्था करें कि नामिनल किसानों को दिया जाये पैसा और जानवरों का भी और शेष जो खेती की है, उसको भी किया जाये।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद पिथौरागढ़ में 2 मई, 3 मई, 6 मई और 15 मई को चार बार ओलावृष्टि हुई, 15 मई को जनपद पिथौरागढ़ मुनस्यारी क्षेत्र में गोरी नदी के पास जिमी घाट के पास एक लकड़ी का पुल था, वह पुल बह गया, जिससे मिलान के क्षेत्र के लोगों का मुनस्यारी क्षेत्र से सम्पर्क टूट गया, यदि 15 दिन के अन्दर वह पुल नहीं बना तो उस क्षेत्र के लोगों के लिए वहां खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो जायेगी और जो जनजाति के क्षेत्र के लोगों की बकरियां हैं, उनके सामने नमक की समस्या हो जायेगी यदि 15 दिन के अन्दर पुल नहीं बना तो हैलीकाप्टर से यहां पर राशन पहुँचाना पड़ेगा। दूसरा पुल हमारे रसगानी के पास में है, वह भी बह गया है, उस क्षेत्र के लोगों के बीच का सम्पर्क टूट गया है, मान्यवर, 15 मई को गंगोलीहाट क्षेत्र में कालिका मंदिर के पास एक पेड़ के गिर जाने से हमारा बहुत पुराना धर्मशाला भी टूट गया है और वह बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया है, उसके बगल में एक मकान था वह मकान भी ध्वस्त हो गया। और 6 मई को धारचूला में छिरकला के पास धौली गंगा नदी के पास एक पुल था, वह पुल भी बह गया, जिससे धौली गंगा से सम्पर्क के जो रूट हैं वहां से भी उसका सम्पर्क टूट गया है।

मान्यवर, अगर 10–15 दिन के अन्दर पुल नहीं बना तो उस क्षेत्र में खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। जनपद की जो रिपोर्ट जिलाधिकारी द्वारा आयी, उसमें 50 प्रतिशत दिखाया गया। जबकि कालिका और धारचूला में फसलों का नुकसान 80–90 प्रतिशत तथा फलों का नुकसान 50 प्रतिशत आया है मान्यवर, इस समय तो फल अंकुर दे रहा है, ओलावृष्टि होने के बाद माल्टा और संतरे में रस नहीं होता है, सेब में दाग हो जाते हैं, इस प्रकार सेब पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, इसलिए फलों को 50 प्रतिशत की जगह 100 प्रतिशत गिना जाए। यदि 51 प्रतिशत दिखाया जाता, तो काश्तकार को मुआवजा मिल जाता लेकिन जानबूझ कर हर साल 50 प्रतिशत बताया जाता है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस पर सर्वे करा कर काश्तकार का जितना नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा दिया जाय।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो वक्तव्य में सूचना आयी, जनपद देहरादून के विकास खण्ड चकराता के सम्बन्ध में, चकराता में सेब के बागान ओलावृष्टि से नष्ट हो गए, उसका जिक्र नहीं है, उत्तरकाशी जिले के नौगांव में सेव की फसल चौपट हो गयी, मैं सूचना दे रहा हूँ सत्यापन तो आप स्वयं अपने स्तर से करा लें और माननीय सुफाल जी ने जो बात कही, मैं उनको दोहराता हूँ, ओलावृष्टि से अन्य फसल का तो 60–70 प्रतिशत नुकसान होता है लेकिन फल, सेव, टमाटर वगैरह, जो बच जाता है, उसका बाजार में विपणन नहीं हैं, वो दागी हो जाता है, इसलिए इसका पुनर्मूल्यांकन और जो व्यवहारिकाता है, उसको संकलित करने की कृपा करें।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबन्धन मंत्री (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, वास्तव में जो राहत राशि है, यह कम है इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार ही हम इनको देते हैं। इनका 75 प्रतिशत पैसा भारत सरकार देती है और 25 प्रतिशत पैसा हम देते हैं। हमने 5–2–2001 को एक पत्र अपनी तरफ से भारत सरकार को लिखा है कि जो भी राशि यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों के लिए दी जाती है, यह बहुत न्यून है इसको बढ़ाया जाए। यह भी हमको ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार में इस विषय को लिया गया है और इस पर कार्यवाही चल रही है। वर्तमान में जो नुकसान हुआ है, खुद मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी नुकसान हुआ है लेकिन जो गाइड लाइन 50 प्रतिशत की उनकी बनी है, जब तक केन्द्र सरकार उसमें चेंज नहीं करती है, तब तक हम चेंज कर पाने में अपने को समर्थ नही पा रहे हैं लेकिन हम लोग अलग बैठक करके इसको पुनः केन्द्र को भेज रहे हैं कि इसको आप चेंज करें। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूँ, यहां जिलाधिकारियों के पास अन्टाइड फण्ड भी नहीं है, बहुत दिक्कत उनको आ रही है इसलिए सरकार ने यह तय किया है कि हम अपने जिलाधिकारियों को कम से कम 50–50 लाख रुपया अपने आपदा राहत फण्ड से दे दें, इसकी कार्यवाही फाइनल स्टेज पर है। आज ही हमारी वित्त सचिव से भी बात हुई है बाकी जो नुकसान हुआ है, उसका आंकलन पूरी तरह से नहीं हुआ है, यह अभी जारी है, इसमें हम गाइड लाइन के अनुसार मुआवजा दे रहे हैं। पशुओं की डैथ पर, आदमियों की डैथ पर और फसलों के नुकसान पर, उसको हमने वहां पर देना प्रारम्भ कर दिया है।

मान्यवर, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जितना कष्ट आपको है, उतना ही कष्ट हमें भी है, प्रत्येक माननीय सदस्य को कष्ट है। यह सबकी बराबर चिंता का विषय है। उसको उठाने के लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं, खुद मैं बहुत चिंतित हूँ उसको कैसे उठाएं। माननीय मुन्ना सिंह जी ने जो कहा है उसको मैं दिखवा लूँगा।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, हरिद्वार जनपद में ओला वृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। क्या हरिद्वार के जिलाधिकारी को भी 50 लाख मिलेंगे।

श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

मान्यवर, जनहित की कोई बात नहीं कही गई है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसको मैं अपने स्तर से दिखवा लेता हूँ। एक योजना है पारिवारिक लाभ योजना। अगर परिवार का कोई कमाऊ व्यक्ति मरता है तो उसको कुछ पैसे मिलते हैं। (व्यवधान) मान्यवर, मैं, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ। हमारी ऐजेन्सी ने रिपोर्ट दी है आदमी को जल्दी रहती है, लापरवाही से भी ऐसा हो जाता है। लापरवाही से आशय क्या है इसको मैं दिखवा लेता हूँ।

श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

मान्यवर, वे अनुसूचित जाति के लोग हैं। जो भी वांछित हो, मुआवजा मिल जाना चाहिए।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाऐं

श्री अध्यक्ष–

नियम–51 के अन्तर्गत श्री लाखीराम जोशी जी की नगर पालिका परिषद्, टिहरी के अधि0 अधि0 व अन्य कर्मचारियों को नियम विरुद्ध पदोन्नति के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है, इसे मैं आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज रहा हूँ।

बजट के धन्यवाद प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों के उद्‌गार

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, इस बजट सत्र में मैं अपने आपको रोक नहीं पा रहा हूँ, आपकी प्रशंसा करने से। इतनी कम आयु में इस पीठ पर बैठकर इसकी गरिमा को बढ़ाया है। जिस प्रकार से आपने निर्णय दिये, जिस तरह सबकी बात को सुना है। इससे मुझे हर्ष भी होता है और मान्यवर, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि कभी जिस सदन में मैं उत्तर प्रदेश के अन्दर पीठ पर बैठता था, उस सदन के अन्दर आप एक सदस्य, एक सक्रिय सदस्य के रूप में काम करते थे। आपकी योग्यता पर कभी किसी को शक नहीं रहा। जब आप सदन में अपने प्रश्नों को उठाते थे, बहुत ही विद्वतापूर्ण तरीके से अपनी बात को उठाते थे।

मान्यवर मैं आपको हृदय से बधाई देता हूँ और मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस सत्र के अन्दर इतनी योग्यता के साथ काम निभाया है लोग सदैव आपको स्मरण रखेंगे। आपके इस कार्य से प्रेरणा लेंगे। मान्यवर, मैं नेता राष्ट्रीय कांग्रेस दल श्रीमती इन्दिरा हृदयेश की योग्यता उनकी प्रत्येक विषय के ऊपर पकड़ और उनके तर्क से अपनी बातों को कहना और उसके अन्दर भी विशेष बात यह रही कि उन्होंने कभी सदन में कटुता नहीं आने दी। हम लोग जब यहाँ बैठते हैं, हम

लोगों के सामने यह प्रश्न रहता है बहुत से ऐसे मामले जिनके अन्दर विरोधी पक्ष यह बात रखेगा अपनी बात कहेगा अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, आपने कोई विषय नहीं छोड़ा जो कि आपने अपने कर्तव्य का पालन किया और पार्टी के सिद्धान्तों को लेकर पार्टी के द्वारा जो आपको निर्देश मिले हों आपने लगातार इस सदन के अन्दर अपनी वाणी से, अपनी योग्यता से हम सब लोगों को प्रभावित किया है। मान्यवर, मैं आपको बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, नेता समाजवादी पार्टी श्री सैनी जी हम सब लोगों के वरिष्ठ सदस्यों में से हैं, मैं उनको वर्षों से जानता हूँ जब वे विधान सभा में थे और एक बार वे लोकल आथरिटी से या टीचर कांस्टीट्वेंसी से चुनाव लड़े थे तो मैं उनका कार्यकर्ता था मैंने आपके लिए काम किया। आपने सदन के अन्दर कभी ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जिससे हम लोगों को कष्ट हो और इन्होंने गांव के खासकर हरिद्वार क्षेत्र के ग्रामीणों की समस्याओं और किसानों की समस्याओं को बखूबी से और योग्यता के अनुसार दिखाया, मैंने कहा आप की बात नहीं लेंगे मगर आपने कभी जिद नहीं की इसके लिए मैं माननीय सभी सदस्यों को जो हमारे सामने बैठे हैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि सदन के अन्दर बहुत अच्छा काम चला उसमें आपकी बड़ी भूमिका है। मान्यवर, हमारे मा० काजी साहब बहुजन समाज पार्टी के हैं उनकी योग्यता में कहीं कमी नहीं है लेकिन उन्होंने इस सदन के अन्दर सदैव जब भी कभी कोई खालीपन आ गया उसको हल्का करने के लिए अपनी शेर और शायरी और अपने अनुभव से इस सदन को प्रभावित किया और मैं तो विशेष रूप से और हमारे सभी मा० सदस्य उनका बहुत आदर इसलिए करते हैं क्योंकि वरिष्ठ सदस्यों में से हैं और सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं इस सदन के अन्दर। मा० काजी जी ने इस सदन में जो कुछ भी हमारे सामने बातें की वह सब लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं कभी भी हमने उनकी बात को हल्के ढंग से नहीं लिया। मान्यवर, हमारे भाई अम्बरीष जी बहुत योग्य सदस्यों में से हैं। हरिद्वार से आप आते हैं। आपकी जो योग्यता है आपने उसको प्रदर्शित किया। हर विषय के ऊपर आपने अपनी योग्यता का परिचय दिया है और यह भी मैं आपको बताऊँ कि हमने कभी अपने बहुमत से उनकी बात को काटने का प्रयत्न नहीं किया।

यह तो ठीक है, आप भी जानते हैं कोई भी विधेयक है उसको पारित करना है, कोई भी प्रस्ताव है पारित होना चाहिए, हमने आपकी बात को पूरा महत्व दिया और बहुत से विषयों पर आपकी योग्यता है, ज्ञान है। मैं आपको बधाई देता हूँ, आपके आने से सदन में हम लोगों को बहुत लाभ हुआ है और माननीय चौहान साहब तो मेरे अनुज हैं। एक बार तो मैंने उनको कच्ची उम्र का कहा था, लेकिन मान्यवर, चौहान साहब की योग्यता का कोई मुकाबला नहीं, आपकी भाषण कला, आपका हर विषय के ऊपर ज्ञान और इस छोटी सी उम्र के अन्दर आपने जितनी विद्वता हासिल की है उसके हम कायल हैं, आप के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में आप और सफलता प्राप्त करें, आपको मैं बधाई देता हूँ। माननीय ईसम सिंह जी हमारे साथ विधान परिषद् में थे, बहुत गम्भीर सदस्यों में से आप हैं, आपने अपनी गम्भीरता से अपने विषयों को सदैव इस सदन के अन्दर बहुत प्रभावी ढंग से रखा और हम लोगों का आपने सदैव मार्गदर्शन किया और मैं आप को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, इस सत्र के अन्दर आप सब लोगों का इतना अच्छा सहयोग, इतना प्यार, इतना आदर मिला है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, मैं उसको सदैव अपने हृदय में संजोये रखूँगा।

मान्यवर, हमारे मंत्री मण्डल के जो सदस्य हैं, माननीय कोश्यारी जी है, माननीय वित्त मंत्री जी हैं, मा0 वन मंत्री जी हैं, मा0 पर्यटन मंत्री जी हैं, मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, मा0 कृषि मंत्री जी हैं और हमारे राज्य मंत्रियों में खेल-कूद मंत्री बहन हमारी निरूपमा गौड़ जी हैं और तीरथ सिंह जी, खेल-कूद मंत्री जी, मान्यवर, कई बार लोग यह सोचते हैं कि हम लोगों के अन्दर सामन्जस्य नहीं है, मैं पढ़ता रहता हूँ या हम लोग मतभेद रखते हैं या हमारे अन्दर कोई प्यार नहीं है। मान्यवर, इस पर इस सत्र में यह दिखा दिया कि हमारा यह पूरा पक्ष, जितने हमारे माननीय सदस्य हैं उन्होंने इतना उपयोगी सुझाव दिया, इतने अच्छे भाषण दिये, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि हमारे सदस्यगण बहुत योग्य हैं और माननीय मंत्रीगण द्वारा ही हम यहाँ पर कुछ कर पाये हैं। यह बात सही है कि जो फुटबाल का कैप्टन होता है उसकी तारीफ की जाती है, लेकिन वास्तव में जो खिलाड़ी हैं, वहीं सब कुछ करते हैं और मैं इन सब को, हमारे मंत्रीगण को, हमारे सभी मा0 सदस्यों को बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि लगातार आपने अपनी उपस्थिति रखी है, कभी मुझे ऐसा अवसर नहीं आया कि मैं यह कहूँ कि हमारे कोई माननीय सदस्य अनुपस्थित हो गये हों या किसी ने कोई गलत बात कह दी, बहुत सक्रियता से अपनी बात कहीहै। तो मान्यवर, मैं इनके अतिरिक्त जो हमारे इस विधान सभा के सचिव हैं और विधान सभा के जो अन्य कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं हमारे मार्शल हैं, हमारे डिप्टी मार्शल हैं और जितने हमारे रिपोर्टर्स हैं, जो यहाँ पर सफाई करते हैं और वरिष्ठतम अधिकारियों को मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, जो हमारे पत्रकार बन्धु हैं, उन्होंने निरंतर यहां पर आकर रिपोर्टिंग की, यहाँ के एक-एक बात को सुनकर अपने लेखन के द्वारा जनता तक पहुँचाया, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना कष्ट किया यहाँ पर बैठ करके यहाँ की रिपोर्टिंग की और वहाँ पर समाचार पत्र द्वारा दिया। मान्यवर, मैं आप को एक बार फिर से धन्यवाद देकर कि आपने इस सदन का बहुत अच्छा संचालन किया, मैं यह आशा करता हूँ कि हम लोग जब दोबारा मिलेंगे तो और अधिक तैयारी से मिलेंगे।

*श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मुझे प्रसन्नता है, इस विधान सभा में हम सब लोगों को नए राज्य के गठन में बैठने का अवसर मिला और उसमे भी अधिक मुझे प्रसन्नता है कि लम्बे समय तक आपके साथ विधान परिषद् में और हमारे अन्य साथियों के साथ हमें बैठने का अवसर मिला, एक दूसरे को बहुत नजदीक से हम लोग जानते रहे। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जिस दिन स्पीकर के रूप में आप इस पीठ पर बैठे, क्योंकि विधान परिषद् में जब हम बैठते थे, तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि पूरे दिन और पूरे समय आप अध्ययन करते थे, मुझे याद है कि एक संशोधन जब मैंने राज्य के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया तो आपने मुझे इंगित किया, एक नया सदस्य उतने कठिन संशोधन को पकड़ करके मुझे इंगित करे, तो मुझे मन में हंसी आयी, इसका मतलब बहुत बारीक अध्ययन किया। ये सही है कि अनुभव से अधिक ज्ञान प्राप्त होता है लेकिन इतने ही समय में जब हम लोग कभी आपका ध्यान आकर्षित करते रहे, ये आपसे आपके कक्ष में मिलते रहे तो बड़ी उदारता पूर्वक आपने सबको अवसर दिया। हम आपके बड़े आभारी हैं और बहुत लम्बा जीवन राजनीति में आपको बिताना है, आप और अधिक तरक्की करें, आगे बढ़ें, ऐसी मेरी शुभकामना है। मैं अपनी शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ।

[*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।]

मान्यवर, नेता सदन को तो मैं क्या कह सकती हूँ, केवल बोलते समय मन ही भर सकता है, क्योंकि 14 वर्ष तक तो एक सदन में रहे, आप पीठ पर बैठे रहे और मैं सदस्य के रूप में, आप जब यहाँ से बोलते हैं, तो मुझे याद आ जाता है कि पीठ भी है और नेता सदन भी हैं, दोनों का अनुभव, नेता सदन के रूप में अब और पीठ का अनुभव उत्तर प्रदेश में। आपके सामने काफी संकट रहता है, बहुत सी चीजों का दबाव भी आपके ऊपर रहता है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि विधान परिषद् में जिन्हें बैठने का मौका मिला, मंत्रीगण के रूप में जिन्हें आने का मौका मिला, वहाँ पीठ से जो निर्देश आपने दिये, वो ऐतिहासिक हुए और ये अवसर पीठ पर बैठे हुए हमारे वर्तमान स्पीकर साहब को भी वहाँ मिला। तो आपसे भी हमने मार्ग दर्शन लिया और मान्यवर, एक बड़ी विशेषता जो आपकी रही है, बहुत संवेदनशील हैं, बड़े उदार हैं और मन में कोई कडुवाहट नहीं रखते। जब आप ये कह रहे थे कि लोग अखबार में छाप देते हैं कि हममें प्यार कम है, तो अगर ये आपसे कम भी प्यार करेंगे तो आप अपने प्यार से इन्हें वशीभूत कर ही लेंगे, ऐसी मान्यता हमारी है। क्योंकि विपक्ष में बैठते हुए बहुत से मतभेद हो जाते हैं लेकिन उन मतभेदों को सदा भुलाकर, जो आत्मीयता और जो अपनापन आपने दिया, क्योंकि नए राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में आए और एक लम्बा अनुभव रहा, शासन सत्ता के लोगों के नजदीक रहने का बड़े–बड़े व्यक्तित्व के मुख्यमंत्री बने रहने का और साथ में आपका दरवाजा सदैव खुला रहता है, हम लोग विधायक हैं, उसका लाभ नहीं, मैं देखती हूँ कभी भी किसी किसी भी समय चाहें, सैल फोन पर आप उपलब्ध हैं और अपने कक्ष में उपस्थित हैं, तो पूरी बात सुनते हैं और मुख्यमंत्री के पास जाने में जो पुलिस की रोक–टोक होती है, वो नहीं है। आपने तो हमें ये भी नहीं महसूस होने दिया कि आप सत्ता की इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में रहते हुए हमारा ये अनुभव था कि मुख्यमंत्री से मिलना कठिन होता है। अगर विरोध पक्ष की ये भावना रही आपसी रिश्तों की तो, उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। यहाँ किसी बात के लिए आपने इंकार किया हो, ऐसा नहीं है कहीं कोई कमी रही तो उसे हमेशा स्वीकार किया, ये आपका बड़प्पन है।

मान्यवर, एक लम्बे समय का मेरा अनुभव है सदन में बैठने का, मैंने अनुभव किया ये सच है कि हमारे मंत्रीगण काफी मेहनत करते हैं। उनका अनुभव कम हो सकता है, वे नये हो सकते हैं, बहुत से लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में मैंने पहली बार देखा और सुना और शायद उन्हें पता नहीं बाहर उनकी प्रशंसा भी मैंने की कि तैयारी करके आते हैं और नीयत भी ठीक दिखाई देती है। ये कबूल कर लेते है कि हाँ, ये कमी है इसे हम कर देंगे कोई पॉलिटिकल टैक्टिक्स नहीं प्ले करते हैं, क्योंकि पुराने मंत्रियों को मैंने देखा कि बात उड़ा देते थे, लेकिन यह अच्छी बात है कि हमारे मंत्रीगण कोई बात उड़ाते नहीं हैं और यह स्वीकार कर लेते हैं कि ऐसा हम करेंगे। इसमें कुछ लोग नये हो सकते हैं, कुछ चीजों की जानकारी कम हो सकती है पर इसमें कोई शक नहीं कि वे काफी मेहनत करते हैं और उनकी नीयत भी कुछ कर दिखाने की है। छोटा हमारा राज्य है, हम कुछ कर दिखायें, इस राज्य की तरक्की हो, ये आगे बढ़े ऐसी नीयत है। इसलिए मंत्रिमण्डल के उन तमाम लोगों को सदन में जिन्हें सुनने का इतने नजदीक से मुझे अवसर मिला, मैं बधाई देती हूँ और आपके जिस ढंग के उत्तर रहे हैं उससे लगता है कि सब परिश्रम कर रहे हैं और यही भावना बनी रहे, हमारा राज्य तरक्की करे ऐसी भी अपेक्षा मैं करती हूँ। हमारे कुछ माननीय सदस्यगण बराबर बैठे रहे, पुनेठा जी चले गये हैं। मैं जब प्रश्न काल आता है तो उनके प्रश्न देखती हूँ उससे मुझे लगता है कि

काफी प्रश्न उठाते हैं। अच्छा लगा क्योंकि जो शीट आती है कार्यसूची की उसका अध्ययन करते हैं। असेम्बली में चुनकर आने वालों में भारत सिंह रावत जी और काजी मो० मोहिउद्दीन जी रहे हैं। ये तो सन् 68 में विधान परिषद् में आ गये टीचर सीट से, जिसमें मैं 74 में आई तो यहाँ काफी पुराने लोग हैं। 74 से भारत सिंह रावत जी आये, लगातार विजयी होते हैं। राम सिंह जी मुझसे पूर्व विधान परिषद् में आये। बेहड़ जी की मैं प्रशंसा करती रहती हूँ। चुफाल जी, राजेन्द्र जी, कपूर साहब ये सभी हर समय यहाँ रहते है और ऐसा लगता है कि नया राज्य बना है तो उसके प्रति ये बड़े संवेदनशील हैं कि हमसे उत्तरदायित्व के निर्वहन में कहीं कोई चूक न हो जाये। मान्यवर, प्रतिपक्ष में तो आपने कहा ही काजी जी चले गये वे रहते हैं तो शेर–शायरी कर देते हैं, कभी ज्यादा भी कर देते हैं उसे भी झेलना पड़ता है। मान्यवर, मुझे तो झेलना पड़ता है, आप तो उनसे प्रसन्न हैं। अम्बरीष जी की मैं बहुत तारीफ करूँगी। उनके बारे में मुझे अनुभव नहीं था। आज लगता है कि पढ़ते है, पढ़कर आते हैं, हमसे मशविरा करते हैं, लेकिन 300 का औचित्य ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और मुझे इसका बड़ा आनन्द आता है, चूँकि औचित्य का प्रश्न संविधान से जुड़ा होता है अध्ययन करने वाला व्यक्ति उसे नहीं ला सकता है। विधान सभा में बैठने वाले लोगों को नियमावली और कान्स्टीट्यूशन का ज्ञान होना चाहिए। उस परम्परा का वे निर्वहन कर रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देती हूँ। मुन्ना सिंह जी का तो खैर कोई जवाब ही नहीं है जनवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। मैंने इनकी बड़ी खुशामद की कि इधर आ जाओ, अब ये नही माने। मैंने कहा इधर नहीं आते तो उधर ही चले जाओ ये उसके लिए तैयार नहीं हुए। अब मुन्ना सिंह जी ने पार्टी बना ली है।

मान्यवर, मा० मुन्ना सिंह जी ने पार्टी बना ही ली है ये अपने ढंग से पार्टी का नेतृत्व भी कर रहे हैं दिशा भी दे रहे हैं, विद्वान हैं पढ़ते–लिखते हैं, सदन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे है। राम सिंह जी तो मैंने बता दिया इनके उत्तराधिकारी के रूप में इस सीट पर आये, पुराने साथी हैं, मंत्री रह चुके हैं। ईसम सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, मान्यवर, जब ये दौरा करते हैं पूरे क्षेत्र का जब मैं अखबार में पढ़ती हूँ कि आ गये तो मैं सोचती हूँ सभी ये ही बटोर के न ले जायें ये ऊधमसिंह नगर, खटीमा तक दौरा करते हैं और अपनी सम्भावनायें तलाश करते रहते हैं। वैसे तो हम विपक्ष में एक साथ हैं लेकिन सबकी सम्भावनायें अलग–अलग हैं। सारे विरोध के बावजूद हमारा आपसी सम्बन्ध और सौहार्द बना रहना चाहिए क्योंकि रचनात्मक सहयोग विरोधी सुझाव का विरोधी होता है क्योंकि वे अवसर हम सबको मिल चुका है सभी पार्टियाँ सरकार को इसके साथ में सचिव साहब को, सारे स्टाफ को, कर्मचारियों को, मार्शल को उनका बड़ा सहयोग रहा हम पुराने हैं आदी हैं, बुरा भी लग जाता है तो सभी सहयोग करते हैं कभी कोई नोटिस देने को नहीं मिला तो हम साढ़े आठ बजे आते हैं अपनी नोटिस देने के लिए वे खुद ही आते है फिर उसका फोटो स्टेट कराते है। मान्यवर, इस लिए कह रही हूँ सबका सहयोग है, प्रेस को इसलिए धन्यवाद देती हूँ कि अभी एक साथी से कहा मैंने तुम लोग 10 बजे तक बैठते हो तो उन्होंने कहा क्या पता सदन में कब कौन सी बात हो जाय। कुछ महत्वपूर्ण अखबार हैं वे यहाँ बैठे रहते है उन सब का सहयोग रहा, उन अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति, अधिकारियों के प्रति क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को काफी कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन वह महत्वपूर्ण अंग है। जो देर तक यहाँ बैठे रहते हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, बजट सत्र इतना महत्वपूर्ण सत्र होता है हालांकि 11 दिन का सत्र था। जिस प्रकार से विवेकपूर्ण निर्णय और निर्भीकता से निष्पक्षता के साथ आपने अपनी पीठ से जो निर्णय दिये हैं हम लोग सब आपका आभार व्यक्त करते हैं। मान्यवर, संसदीय परम्पराओं के निर्वहन में आपके निर्णय आपकी योग्यता और आपकी कार्यशैली, इस सदन का कार्य संचालन मैं कह सकता हूँ कि संसदीय परम्पराओं में एक मील पत्थर सिद्ध होगा और आने वाले विधायक, आने वाले अध्यक्ष आपके निर्णयों से आपकी परम्पराओं से निश्चित रूप से प्रेरणा लेंगे, हम लोग सब आपसे प्रभावित हुए हैं, हमने कभी समझा ही नहीं कि जब भी हम आपके चेम्बर में जाते हैं, जब कोई आपसे बात कहते हैं आपने मान्यवर, इस गरिमा का, उसकी परम्पराओं का निर्वहन किया और कभी हमने यह नहीं समझा कि आपने किस प्रकार का पक्ष या विपक्ष में कोई भेदभाव किया हो। आपके निर्णय हमेशा निष्पक्ष रहे हैं। मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से आपको बधाई देना चाहता हूँ और ईश्वर आपको चिरंआयु करें, अभी तो आपको इस कम उम्र में सर्वोच्च पद मिला है, हम तो आशा करते हैं कि भविष्य में आपको सर्वोच्च पद इस राज्य का मिले। जहाँ तक हमारे मा० मुख्यमंत्री जी का सम्बन्ध है मा० मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा उनसे मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध बहुत पुराना है और वास्तव में जब हमने यहाँ 68 में चुनाव लड़ा था जितनी मेहनत और जिस प्रकार से इन्होंने चुनाव को गति दी थी अपने परिश्रम से वह मुझे आज भी याद है इन्होंने रात दिन एक कर दिया था और मैं तो कहता हूँ कि मेरे जीवन में जो मुझे उस समय चुनाव में सफलता मिली थी उसमें भारी योगदान मा० मुख्यमंत्री जी का रहा। आज मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, मैं तो उम्र में उनसे छोटा हूँ और उनका आदर बड़े भाई की तरह करता हूँ।

आपके व्यवहार में, आपकी निष्पक्षता में कहीं भी कोई कोर–कसर नहीं है, आप हरिद्वार जाते हैं और मान्यवर हम नीचे बैठे रहते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री यह देखते हैं कि मैं तो कहना चाहता हूँ कि जैसे बहुगुणा बहुत दूर से कहते थे, वह इस प्रकार की जो शैली थी, मुख्यमंत्रियों की उनमें। मैं कहना चाहता हूँ सी०बी०गुप्ता, बहुगुणा जी और नारायण दत्त तिवारी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, चौधरी चरण सिंह भी मेरे साथ थे, लेकिन उसी प्रकार की परम्पराएं, उसी प्रकार का व्यवहार, उसी प्रकार की कोई भी हमारी मांग होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव कहते हैं कि आप इतना क्यों विचलित होते हैं, हम हरिद्वार की हर एक बात मानेंगे, जो भी बात कहते हैं, उसमें कम से कम हाँ में जवाब तो देते हैं, कम से कम ना में जवाब तो नहीं देते हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह चिरंआयु हों और जीवन पर्यन्त यहाँ के मुख्यमंत्री बने रहें, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ और जहाँ तक हमारे दूसरे सहयोगी, हमारे मंत्री परिषद् के सदस्यों का सम्बन्ध हैं, तो तैयारी के साथ सदन में आना, अपनी बातों को सटीकता के साथ कहना, उत्तर ठीक देना और हमारी बातों को बिल्कुल निष्पक्षता के साथ कहते हैं मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आज हमें यह नहीं लगता कि वह पक्ष और हम प्रतिपक्ष के हैं, उत्तर प्रदेश में तो थोड़ा बहुत मैं यह अनुभव करता था, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा–बहुत पार्टी लाइन पर काम होता है, लेकिन मान्यवर, मंत्रियों का व्यवहार मैंने यहां देखा है, जो काम हम लोग लेकर जाते हैं, जो न्यायसंगत होता है, निश्चित रूप से वहाँ होता है, मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, जितना कृषि के सम्बन्ध में

[*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।]

और गन्ने के सम्बन्ध में उन्होंने तीव्रता से निर्णय लिये हैं, मैं इन्हें भी बधाई देता हूँ, सारे मंत्रिमण्डल को बधाई देता हूँ। जहाँ तक हमारे पक्ष के माननीय सदस्यों का सम्बन्ध है, सभी हमारे साथी रहे हैं, कोई विधान सभा में, कोई विधान परिषद् में, उनकी योग्यता, उनकी कर्मठता, लगनशीलता और यहाँ की परफार्मेन्स के विषय में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, सब बहुत योग्य हैं, सब की परफार्मेन्स बहुत अच्छी हैं, हमारे प्रतिपक्ष के अम्बरीष जी की योग्यता है, आप देखते हैं कि किस प्रकार से इनको विषयों के रखने का ढंग है। किसी भी विषय को उठाते हैं, तो गम्भीरता के साथ उठाते हैं, बहुत निर्भीकता से उठाते हैं। भाई मुन्ना सिंह चौहान जी के बारे में सभी ने कहा कि यह तो लाजवाब हैं, इनको उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी देखा हैं, इनका परफार्मेन्स अद्वितीय रहा है और आज भी वह उसी का पालन कर रहे हैं, भाई ईसम सिंह जी जो हमारे प्रदेश बसपा के अध्यक्ष भी हैं और यहाँ पर भी कितनी गम्भीरता से रहते हैं और आपने देखा है कि यह हर विषय में यह अपनी बात को न्यायसंगत और मजबूती के साथ, तर्कों के साथ रखते हैं।

मान्यवर, जहाँ तक माननीया इन्दिरा जी की बात है, इन्दिरा जी और हमने उत्तर प्रदेश में साथ–साथ शिक्षक संघ में काम किया, हम लोग एक–एक, डेढ़–डेढ़ महीनों साथ–साथ जेल में रहे और अध्यापकों के संघर्ष में हम लोग कन्धे से कन्धा मिलाकर चलते थे। 68 में इन्होंने मेरा एक बहुत बड़ा काम नैनीताल में किया था, उस समय भी ये कालेज की प्राचार्या थीं और मैं भी एक इण्टर कालेज का प्रिंसिपल था। इनकी योग्यता, इनकी परफार्मेन्स और विषयों को उठाने का इनका ढंग अद्वितीय है। शिक्षाविद भी हैं, आप शिक्षकों के साथ–साथ क्षेत्र के लोगों से भी जुड़ी हैं। मैंने देखा कि इनका क्षेत्र में कितना मान है, सम्मान है।

माननीय काजी जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, उनकी शेरो–शायरी से, उनके चुटकुलों से, उनकी कुशाग्र बुद्धि के बल पर दिये गये तर्कों से यहाँ का गंभीर वातावरण भी खुशहाल हो जाता है। मैं सचिव विधान सभा को भी बधाई देना चाहता हूँ और मार्शल तथा विधान सभा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी मैं बधाई देता हूँ, जिनके सहयोग से ये सारे पेपर वर्क सम्पन्न हुए हैं। मान्यवर, प्रजातंत्र में चौथा खम्भा हमारा प्रेस का होता है। प्रेस के भाईयों ने जो निष्पक्षता के साथ यहाँ की कार्यवाही को पेपरों में छापा है। उनके लिए मैं उन्हें मुबारक बाद देना चाहता हूँ और निष्पक्षता हमारी संसदीय परम्पराओं की धुरी और आधार है। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना इतना समय यहाँ पर लगाया। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मान्यवर, आप सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के अन्दर कोई बात कहना और इस सदन के किसी कार्य का तब तक मूल्यांकन करना जब तक आपके बारे में कुछ न कहा जाये तो सार्थक नहीं होगा। श्रीमन् हम लोग पहले भी कहते थे कि आपकी कैसी अजीब व्यथा है, नाम रख दिया आपका, स्पीकर। एण्ड स्पीकर इज वन हू सैण्ड दैम स्पीच और आपको कदाचित कई बार इस बात पर विश्वास करने में भी बड़ा आश्चर्य होता है, इस अद्भुत कला में कई मायने में उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी अपने आदरणीय स्पीकर महोदय के बड़े कायल थे उनकी विद्वता के, लेकिन हम आपके इस बात के कायल हैं कि आपका

विवेक, अपनी भाषा, अपने आचार–व्यवहार पर एक जबरदस्त संयम है। आपने सम्भवतः बहुत सारी चीजों पर संयम कायम कर रखा है एक अवसर अभी तक ऐसा नहीं आया कि सदन की कार्यवाही के दौरान रात को साढ़े दस बजे तक आप सदन की कार्यवाही से किसी समय उठकर गये हो और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है, कहा जाता है कि कुछ लोग जब किसी पद पर बैठते हैं तो उनकी गरिमा बढ़ जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जब वे पद पर बैठते है तो उस पद की गरिमा बढ़ जाती है। मैं कह सकता हूँ कि इस पीठ पर विराजमान होने से इस पीठ की गरिमा बढ़ी है और वास्तव में जो हमारी शंकाएं थी कम आयु, कम अनुभव उसको आपने अपने विवेक और अपने संयम से, अपने न्याय संगत विचार से निश्चित रूप से आपने सब को मोहित किया है। इस सदन का संचालन जिस निष्पक्ष भाव से जो बराबर का संरक्षण इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को, माननीय मन्त्रिगण को मिला उसके लिए श्रीमन् मैं आपका कृतज्ञ हूँ और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है जो व्यवस्थाएं इस दौरान आपकी गरिमामय पीठ से आपके द्वारा दी गई वे निश्चित रूप से नजीरें तो बन ही गई, लेकिन भविष्य में आने वाली पीढ़िया भी उसे बड़े सम्मान के साथ कोट किया करेंगी। कहने में छोटा सा सदन है। मैं कई बार कहता भी हूँ कि आज कल तो क्वालिटी का जमाना है। क्वालिटी इज बेटर दैन क्वांटिटी। आज की तारीख में संख्या बल से ज्यादा उसकी गुणवत्ता पर हम बात करते हैं तजुर्बे में छोटा होने की वजह से, उम्र में छोटा होने की वजह से कदाचित कई मर्तबा संयम की कमी हो जाती है, कई बार त्रुटि कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस बात की कोशिश रहती है कि यह नया प्रदेश बना, नई विधान सभा है यहाँ जो कुछ हम करेंगे वह परम्पराओं का निर्माण होगा तो लिहाजा ऐसा कोई कृत्य हम लोगों से न हो जिससे गलत परम्पराओं का निर्माण हो। मुझे यह कहते हुए इस सदन के अन्दर बैठ करके कम से कम इस बात की बहुत खुशी है कि माननीय नेता सदन, जिनके पास बहुत लम्बा–चौड़ा संसदीय अनुभव है, जिनको कई बार हम लोग संसदीय परम्पराओं के नाते कई बार मैं तो कहता भी हूँ आप पितामह हैं, भीष्म पितामह की तरह, फादर फीगर हैं, हाउस के लिए और उसी तरीके से हमारे दूसरे जो अति वरिष्ठ सदस्य हैं आदरणीय काजी जी, आदरणीया इन्दिरा जी, आदरणीय भारत सिंह रावत जी, आरदणीय राम सिंह सैनी जी निश्चित रूप से आप लोगों की उपस्थिति इस सदन के अन्दर हम लोगों के लिए जहाँ एक सोर्स ऑफ इन्सपरेशन हैं वहीं आप लोगों की उपस्थिति मात्र हमारे लिए एक मार्गदर्शन का काम करती है और निश्चित रूप से कदम–कदम पर हमें लाभ मिलता है। आप सतर्क भी करते हैं कि कौन सी जगह पर अपनी हद को संसदीय परम्पराओं की तरह समझना चाहिए। कहाँ तक नहीं।

मान्यवर, मैं जो कह रहा था कि "क्वालिटी इज बैटर दैन दि क्वांटिटी" इस बात को लेकर सजग रहने की जरूरत है और अच्छी बात है कि यह सदन सजग भी है। उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी विधान सभा के अन्दर हम लोग बहुत कोशिश करते थे कि सदन के कामकाज में अपना योगदान करें। संसदीय जनतंत्र की बुनियादी पक्ष और प्रतिपक्ष के रचनात्मक और सौहार्दपूर्ण रिश्तों पर टिकी हुई है जिस दिन बौद्धिक धरातल पर हमारा जो विचारों का आदान–प्रदान है, वह निजी सम्बन्धों में कटुता पैदा करने लगता है, उस दिन कहीं न कहीं संसदीय जनतंत्र को नुकसान पहुँचता है। ये निश्चित रूप से इस सदन की बड़ी उपलब्धि है कि इस सदन के अन्दर अभी तक एक भी क्षण ऐसा पैदा नहीं हुआ,

जहाँ पर हमारे विचारों का टकराव या अपने विचारों का जो आदान–प्रदान है, उसमें कहीं निजी कटुता झलकती हो और ये सुखद आश्चर्य है, यह सुखद अनुभव है, कम से कम आपके लिए, क्योंकि आप इस सदन के सर्वोच्च पीठ पर विराजमान हैं और चर्चायें हो रही हैं कि यह सदन संख्या बल के लिहाज से बेशक छोटा हो लेकिन गुणवत्ता के लिहाज से, चाहे डिबेट हो, चाहे माननीय मंत्रीगण के प्रश्नों के उत्तर का स्तर हो या सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे जाने का स्तर हो, उसको लोगों ने यह माना है कि देश और प्रदेश की अन्य विधान सभाओं से हमने उच्च स्तर का काम किया है यह हम लोगों की उपलब्धि हैं। जिसके लिए हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि भविष्य में हम संकल्प लें कि किसी भी दशा में हम अपने स्तर को गिरने नहीं देंगे। श्रीमन्, हमारे जो बुजुर्ग सदस्य हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीया इन्दिरा जी, आदरणीय काजी जी, आदरणीय राम सिंह सैनी जी, आदरणीय भारत सिंह जी, आज लोगों का जो सानिध्य मिला, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत कृतज्ञ हूँ। सभी से मेरा पहले से परिचय था, किसी न किसी रूप में। ईसम सिंह जी से हमारा बहुत कम परिचय था। यहाँ सौभाग्य भी मिला, हम अगल–बगल में बैठते हैं। लेकिन मुझे पहली दफा लगा कि किसी संवेदनशीलता और गम्भीरता के साथ आप सदन के अन्दर चीजों को उठाते हैं तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी सरकारी पक्ष की अपनी सीमाएं हैं। हमारी अपनी प्राथमिकताएं हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी और दूसरे माननीय मंत्रीगण जितनी भी उत्तेजनावश हम उसे कहें, लेकिन जिस सहनशीलता के साथ नेकनीयती के साथ प्रयास करते हैं कि हमारे प्रश्न–उत्तरों, हमारी शंकाओं का समाधान किया जाए और उसके माध्यम से इस प्रदेश की जनता की सेवा की जाये। वह सराहनीय है। माननीय अम्बरीष जी का जहाँ तक सवाल रहा, तो हम उत्तर प्रदेश विधान सभा में इस बात के लिए प्रचलित थे कि यदि अम्बरीष जी दिखायी देते, तो लोग समझते थे कि मुन्ना सिंह चौहान यहीं–कहीं होंगे। अगर मुन्ना सिंह चौहान दिख गये, तो लोग समझ जाते थे कि अम्बरीष जी भी इधर ही होंगे। इसलिए कुछ कहें या न कहें, बहुत कुछ हैं, बड़े भाई हैं, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, समझा है। हमारे तमाम सारे मित्र थे पुनेठा जी ने मेरी बहुत मदद की है मैं सभी के प्रति बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इस सदन के किसी भी कार्य को संचालित करना, तब तक संभव नहीं है, कि आपका आशीर्वाद न हो और आपके जो सहयोगी हैं, आदरणीय सचिव, विधान सभा और उनके अधीनस्थ सभी अधिकारी, कर्मचारी, हाऊस के सेवक मार्शल, डिप्टी मार्शल, सुरक्षा कर्मी, उनका बहुत बड़ा योगदान सदन को कायम करने में है और हमें वे इनेबिल करते हैं, इस बात के लिए हम कितनी दक्षता के साथ अपनी सेवाओं को सदन को दे सकें। चाहे हमारी नोटिसेज हों, चाहे हमारे कागज–पत्र जुटाने में हमें सामग्री उपलब्ध कराने में, मैं उनके प्रति अपने हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीमन्, चूँकि उत्तर प्रदेश विधान सभा का ही मैं मूल सदस्य हूँ, बहुत चाहते हुए दीर्घाओं का तो संज्ञान नहीं लूँगा, लेकिन श्रीमन्, एक बार पुनः आपके प्रति जरूर आभार व्यक्त करूँगा और माननीय मुख्यमंत्री जी, इस नाते कि पूरा सहयोग सत्ता पक्ष से भी उनकी तंत्र की तरफ से, हम लोगों को इस बात के लिए मिलता है। कम से कम एक सबसे बड़ी उपलब्धि इस दौर की मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं पारदर्शिता आयी है, वह लोहे का दरवाजा हमने हटाने का काम किया है मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में इस पर्दे को भी हटा दें, जो जनतंत्र की बुनियादी भावना है, एक वातावरण में अपने विचारों का, अपने गतिविधियों का संचालन करें। मैं पुनः आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

*श्री ईसम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, इस बार प्रथम बजट अधिवेशन में आपके द्वारा जिस ढंग से सदन चलाया गया, ऐसा नहीं लगा, या ऐसा महसूस नहीं हुआ कि किसी तरह की कोई दिक्कत हो, सदन में चाहे पक्ष के लोग हों, या विपक्ष के लोग हों, उन्हें महसूस हो, क्योंकि वैसे तो जिस पार्टी से आप लोग चुनकर आये हैं, आप अध्यक्ष हैं विधान सभा के। तो कभी भी आपने अपने आप को ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ यह तो खुशी की बात है और अच्छी बात है, संवैधानिक प्रक्रिया भी है, विधान सभा की नियमावली भी है तो मैं कहना चाहूँगा कि पहले तो खुशी मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब शपथ ली पहली खुशी तो तब हुई और दूसरी खुशी तब हुई जब आप विधान सभा अध्यक्ष की कुर्सी पर शपथ लेने के बाद विराजमान हुए और सदन की कार्यवाही में आपके द्वारा साबित किया गया कि एक देहात में कहावत है कि भैंस बड़ी नहीं होती अकल बड़ी होती है, यह आज आपके द्वारा साबित कर दिया है तो इसके लिए आपकी दीर्घआयु के लिए मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से आप को बहुत–बहुत बधाई। जहाँ तक माननीय नेता सदन की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी विधान परिषद् में भी हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है और यहाँ भी बेशक हम लोग विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, विधान परिषद् की कार्यवाही हम लोग जब देखते थे, हमारी पार्टी के माननीय विधान परिषद् सदस्य ने श्री गया सिंह किदवई जी ने एक औचित्य का प्रश्न उठाया था, मुझे याद है जब एक विवाद शपथ के बारे में चला माननीय मुख्यमंत्री श्री राज नाथ सिंह ने शपथ नहीं ली तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना गैर संवैधानिक है, यह प्रश्न उठाया था तो माननीय नेता सदन ने उस टाईम में अपनी बात रखी थी, बखूबी से निर्णय दिया और हम लोग यह सोच भी नहीं सकते थे और समय–समय पर यहाँ भी अपना मार्गदर्शन दिया, यहाँ भी मार्गदर्शन दे रहे हैं तो दूसरी एक खुशी की बात यह हैं कि हम को उत्तरांचल विधान सभा में बैठने के बाद ऐसा लगता नहीं है, जैसा उत्तर प्रदेश में लगता था, बड़ा कटु अनुभव हमने लिया है, उत्तर प्रदेश में कि कुछ पक्ष और विपक्ष के लोगों में बड़ा तनाव सा रहता था, ऐसा हमने महसूस किया है, जो सच्ची बात है, लेकिन यहाँ इस तरह की और बात नहीं है ऐसा हमने महसूस बिल्कुल नहीं किया है और विपक्ष के जितने भी माननीय सदस्य हैं आपका सहयोग चाहे सदन की बात हो, सदन से बाहर की बात हो, बराबर मिलता रहता है तो यह बहुत बड़ी खुशी की बात है।

मान्यवर, हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से आपको शुभकामनाएं, आपकी दीर्घायु हो। आपने कहा कि हम इधर ऐसा काम कर देंगे कि 15–20 साल तक इधर ही बैठे रहेंगे, हम तो ये कहना चाहेंगे कि आप 15–20 साल नहीं बल्कि 30 साल तक उधर बैठे रहें, आप और 30 साल तक जीवित रहें। हमारी शुभकानाएं आपके साथ हैं।

माननीय मंत्रिमण्डल के जितने भी सदस्यगण हैं, चाहे वह गम्भीर स्थिति में रह कर उत्तर दें या हंसी–मजाक में दें। अपना–अपना स्वभाव हैं। सदन की जितनी भी कार्यवाही चली है, उसमें हमको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आपकी तरफ से ऐसा कोई व्यवहार हुआ हो और बखूबी गम्भीरता से हर बात को लिया है, महसूस किया है और लगता है कि जो हमारे सुझाव गये हैं। उन पर आप विचार भी करेंगे। हमारी पार्टी की

[*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।]

तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई। सत्ता पक्ष के माननीय विधायकों ने जो प्रश्न किये और जो भाषण दिए हैं, उनसे हम बहुत प्रभावित हुए हैं, इसलिए भी प्रभावित हुए हैं कि सत्ता पक्ष में रहने के साथ-साथ आप लोगों ने विपक्ष का रोल भी किया है और लोकतंत्र में यदि सत्ता पक्ष मजबूत है तो विपक्ष भी उतना ही मजबूत रहना चाहिए। यहाँ पर हम मानते हैं कि संख्या के हिसाब से विपक्ष कमजोर है हमारा सहयोग सत्ता पक्ष के विधायकों ने किया, तो आपको भी बहुत-बहुत बधाई हो। इसके साथ-साथ विधान सभा के सचिव जी बहुत ही गम्भीर व्यक्ति हैं, अगर कोई बात हो जाती है, तो उसको महसूस भी करते हैं। सुझाव भी देते हैं। इनके स्टाफ के लोग भी बड़ा सहयोग करते हैं, हमारी तरफ से तथा हमारी पार्टी की तरफ से आप लोगों को भी बधाई हो। मार्शल और उनके सहयोगियों का भी बहुत सहयोग रहता है, आपको भी बधाई हो। जहाँ तक विपक्ष के माननीय सदस्यों की बात है, श्रीमती डॉ0 इन्दिरा हृदयेश जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की नेता भी हैं। आप सदन में संवैधानिक तरीके से बातें रखती हैं, उन्हें सुनकर हमें बहुत खुशी होती है, वरिष्ठ सदस्य हैं विपक्ष का मजबूती के साथ अपनी बात रखना, तर्क संगत ढंग से रखना, ये बड़ी अच्छी बात है, होना भी चाहिए। आपको भी मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका सहयोग इस सदन के माध्यम से लम्बे समय तक उत्तरांचल की जनता को मिलता रहे।

मान्यवर, इसके साथ-साथ माननीय राम सिंह सैनी जी, नेता समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विधान सभा में बैठते थे, हम लोग विधान परिषद् में बैठते थे। कभी-कभी नाम सुन लिया करते थे। अपने साथी थे सैनी समाज से सम्बन्धित वे बताया करते थे तो सदन में साथ-साथ बैठने के बाद महसूस हुआ कि जो कहा करते थे आज अहसास हुआ सदन में बैठने के बाद और विपक्ष की भूमिका में आपका लम्बा अनुभव है और चाहे वे अनुसूचित जाति के लोग हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हो या हाई कास्ट के लोग हो उनके हित में जो तर्क संगत आप लोगों ने बातें उठाई सदन में जन हितार्थ और रखनी भी चाहिए, बहुत खुशी की बात है तो मैं आपको बधाई देता हूँ और यह आशा करता हूँ, ईश्वर से कि आपकी भी लम्बी आयु हो और क्योंकि जनहित में लम्बे समय तक आप जनता की सेवा करते रहें। माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी हैं, जनवादी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और हमारे विधायक जी हैं, मरोड़ा के राजेन्द्र पाल सिंह जी, आपके बारे में वो चर्चा करते थे बताया करते थे उधर उत्तर प्रदेश में अधिष्ठाता की कुर्सी पर आप विराजमान होते थे, आप सदन में बोलते थे आपके बारे में चर्चा करते थे। यहाँ सदन में आपके साथ बैठने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला बहुत जो आपकी तारीफ वो किया करते थे आज देखने को मिला है। अभी तो कम आयु है इसकी तो मैं आपके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप दीर्घायु हो और 100 वर्ष से आप ज्यादा पहुँचे क्योंकि आप जैसे विद्वान लोगों की जरूरत है उत्तरांचल की जनता को। आप चाहे पक्ष में बैठे या विपक्ष में बैठे, क्योंकि नया राज्य बना है और आप जैसे साथियों की उत्तरांचल की जनता को आवश्यकता है। भाई अम्बरीष कुमार जी माननीय सदस्य, वैसे तो हम लोगों को हरिद्वार में कई बार मुलाकात होती रहती है, लेकिन डिसकस कभी नहीं हुआ। हम लोग विधान परिषद् में बैठते थे, आप विधान सभा में बैठते थे। इस बार उत्तरांचल में सौभाग्य की बात है कि साथ-साथ हम लोग बैठे। आप एम0एल0ए0 थे हम लोग विधान परिषद्

सदस्य थे। अब आप भी एम0एल0ए0 हैं। हम लोग भी एम0एल0ए0 हो गये हैं। साथ–साथ बैठने का मौका मिला है और वैसे तो पहले अधिवेशन में भाई मुन्ना सिंह चौहान जी ने औचित्य का प्रश्न उठा दिया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अन्तर्गत तो हमको तो लगा था कि ये तो हमारे ऊपर चोट कर रहे हैं। विधान परिषद् से जितने भी सदस्य हैं माननीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, माननीया इन्दिरा जी हैं, राणा जी हैं, तीरथ सिंह रावत जी हैं। मैंने तो सोचा भाई 8 विधान परिषद् के सदस्य हैं तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को राय देना चाहता था कि विधान परिषद् यहाँ भी गठित कर दें, लेकिन उसमें संवैधानिक संकट है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत 40 से कम विधान परिषद् के सदस्य हो नहीं सकते और सदन का एक तिहाई होना चाहिए तो यहाँ 70 की विधान सभा है, 23 के करीब बैठते हैं, 120 होते तो शायद 40 की विधान परिषद् बन जाती तो संवैधानिक प्रक्रिया है नहीं हो सकते है। मैं माननीय अम्बरीष कुमार जी के बारे में बात कर रहा था।

मान्यवर, मैं मा0 अम्बरीष कुमार जी के बारे में बात कर रहा था, तो आप वकील हैं और क्योंकि वकील हमने कचहरी में भी देखे है पूरा दिन बैठते हैं मक्खीमार के चले आते हैं। आप ऐसे वकील नहीं हैं, विद्वान हैं मुझे खुशी हुई कि जिस तरह से तर्क संगत बात विशेषकर नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न आपने उठाये हैं और होनी भी चाहिए। यदि विपक्ष के पास इस तरह के लोग नहीं होंगे तो सदन सही ढंग से नहीं चल सकता है। तो मैं आप को भी बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ आपकी दीर्घायु के लिए, आप जैसे साथियों की जरूरत है उत्तरांचल में। वैसे तो हमारे साथ चर्चा करते रहते हैं उ0प्र0 में जाना चाहता हूँ, लेकिन सदन की कार्यवाही देखने के बाद पता चला कि अब नहीं जाना पड़े। इसके साथ मा0 काजी जी हैं जब–जब भी सदन के अन्दर मायूसी छायी है जैसे सुबह की किरण निकलती है फूलों की घाटी में फूलों के ऊपर ओस की बूंदों के ऊपर किरणें पड़ती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं उसी तरह से जब काजी जी अपनी बात कहते थे सबके चेहरे खिल जाते थे और सभी मा0 मंत्रीगण, अध्यक्ष जी नेता सदन और हमारे पत्रकार भाई अधिकारीगण सब के चेहरे खिल जाते थे दाँत एक फूल की तरह नजर आते थे मैं उनके दीर्घायु की कामना करता हूँ। दूसरा हमारे पत्रकारिता से जुड़े लोग जो इस सदन में सहयोग कर रहे हैं उनको भी मैं अपनी ओर से अपनी पार्टी की ओर से बधाई देता हूँ कि इस सदन को सुचारू रूप से उसकी कार्यवाही को देखने के बाद और सुबह 11 बजे से लेकर रात 10 बजे तक सदन की कार्यवाही लिपिबद्ध की और अगले दिन वो प्रसारित हुई, पब्लिक में गई, आपका बहुत योगदान है, आपको बहुत–बहुत बधाई। जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं मैं देखता रहता था जब कोई कठिन प्रश्न आता था तो हमारे प्रशासनिक अधिकारी बार–बार गाईड करते थे, तो यहाँ उत्तरांचल के प्रशासनिक अधिकारियों का भी बड़ा योगदान रहा है आपको भी हमारी ओर से बधाई। दूसरा मैं एकबात कहना चाहूँगा कि काजी साहब यहाँ अभी है नहीं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बुजुर्ग ट्रेन में बैठे जा रहे थे तभी टी0टी0 जानने वाला था जो उसकी हैबिट से वाकिफ था और अपनी बुढ़िया को छोड़ कर आया था और भूल से उसका थैला ले आया साथ में, उस थैले में तो उसके कपड़े नहीं थे लेकिन उसकी बुढ़िया के थे एक लहंगा था जिसे देहाती में ओढ़नी कहते हैं, टी0टी0 ने कहा ऐ बूढ़े टिकट दिखाओ बुढा बोला ये लो जी टी0टी0 ने कहा यह टिकट

तो जनाना है, बूढे ने कहा, अच्छा रुको मैं अभी आ रहा हूँ बाथरूम में घुस गया नीचे लहंगा ऊपर ओढनी ओढ़ लिया, टी0टी0 ने कहा टिकट, तो कहा लो जी। टी0टी0 ने कहा, ये तो मर्दाना है तो सोचने लगा यह तो बड़ी दिक्कत हो गई तो उसने ऊपर का ओढनी उतार दिया और कहने लगा ऊपर मर्दाना देख लो और नीचे जनाना देख लो।

मैं यह बात कहना चाह रहा हूँ कि सदन में देखने से ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ न जनाना है, न मर्दाना है, न सत्ता पक्ष है न विपक्ष तो बड़ी खुशी हुई। मान्यवर, इसके साथ मेरी तरफ से सभी को बधाई हो, मैं बधाई के साथ अपनी बात को यहीं रोकता हूँ। धन्यवाद।

*श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके प्रति शब्दों से तो बहुत हमारे साथियों ने, नेताओं ने आभार व्यक्त किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे पास तो वो शब्द भी नहीं हैं कि मैं आपके विषय में कुछ कह सकूँ और मान्यवर मैं समझता हूँ कि मुझको कुछ आपके विषय में कहने की आवश्यकता भी इसलिए नहीं है कि आप मेरे मनोभावों को अच्छी तरह से समझते हैं और मैं समझता हूँ कि उतना पर्याप्त है, शब्दों में उसके बखान की कोई आवश्यकता समझता नहीं हूँ। मान्यवर, सब लोगों ने आभार व्यक्त किया, सहयोग के लिए, लेकिन जब हम इस सदन में बैठते थे, तो मुझे लगता था कि जैसे महाभारत में संजय से धृतराष्ट्र कह रहे थे "धर्मक्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, संवेतायू च मा मेकम पांडवा आश्चर्य किम कुरुवत् संञेया" संजय मुझे यह बताओ कि धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरे और पांडव के बेटे जब आमने–सामने हैं तो वह क्या कर रहे हैं, कौन किससे लड़ रहा है, युद्ध का समाचार मुझे दो, तो मान्यवर एक दिन ऐसा भी आया कि जब संजय ने समाचार दिया कि आज अर्जुन सामने खड़ा है और सामने भीष्म पितामह हैं, आज का युद्ध सबसे रोचक है, देखने वाला होगा कि अर्जुन अपने भीष्म पितामह पर वाण चलायेगा कि नहीं चलायेगा और मान्यवर, वह चलायेगा तो भीष्म पितामह उन वाणों का जवाब कैसे देंगे, मान्यवर, महाभारत का दिन हुआ और अर्जुन ने जो शुरू में भगवान कृष्ण ने उनको संदेश दिया था जब अर्जुन ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण मेरे सामने तो परिवार के लोग हैं, आप कह रहे हैं कि युद्ध करो, मैं किस पे वाण चलाऊँ, किसके प्राण लूँ, तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि जब युद्ध का मैदान सामने हो तो "संशय आत्मा विनैश्चिति" जिस आदमी की आत्मा में संशय हो तो उसका विनाश निश्चित है, उस को कोई बचा नहीं सकता है, तो मान्यवर, भगवान कृष्ण के उस उपदेश को साकार करते हुए जब अर्जुन ने तीर चलाये तो भीष्म पितामह छाती पर तीर का वार सह रहे थे, खा रहे थे, रक्त निकलता था, लेकिन आत्मा से आर्शीवाद भी निकलता था कि वाह अर्जुन तीर तो बहुत शानदार चलाया, जो शिक्षा मैंने दी थी उसका साक्षात रूप मुझे आज देखने को मिला, तो मान्यवर, जब माननीय नेता सदन कह रहे थे तो मुझको भी लग रहा था कि इस सदन में हमने कोई अवसर छोड़ा नहीं, कोई मौका आया हो और हमने छोड़ा हो, अपने वाणों के तीर व्यंग के तीर पूरे चलाए, लेकिन मान्यवर, मैं अभिभूत हूँ कि आज माननीय नेता सदन ने भीष्म पितामह की भूमिका पूरी की। हमारे तीर चले तो भी उनकी आत्मा से हमारे लिए अशीर्वाद निकला इससे बड़ा गौरव हमारे लिए नहीं हो सकता है।

(थपथपाहट)

[*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।]

मान्यवर, मेरे दर्जे के मुताबित आपने बहुत सोच समझ कर सबसे बाद में मुझे अवसर दिया, मैं सदन में सबसे कनिष्ठ हूँ, आपको तो मान्यवर, मैं कह नहीं सकता, ये अवमानना होगी। अगर आपको मैं ये कहूँ लेकिन आपके बाद सबसे कनिष्ठ मैं ही हूँ। मान्यवर इतना कहना चाहता हूँ कि मुझसे कोई गल्ती हुई हो, त्रुटि हुई हो, ठेस पहुँची हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। विधान सभा के सचिव, मार्शल तथा सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद!

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता सदन, माननीया नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, डा0 इन्दिरा ह्रदयेश जी, माननीय नेता समाजवादी पार्टी, राम सिंह सैनी जी, माननीय नेता जनवादी पार्टी श्री मुन्ना सिंह चौहान जी, बसपा नेता माननीय ईसम सिंह जी, सपा नेता माननीय अम्बरीष कुमार जी, मंत्री परिषद् के संसदीय कार्य मंत्री माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी, वित्त मंत्री डा. रमेश पोखरियाल जी, वन मंत्री माननीय मातवर सिंह कण्डारी जी, ग्राम्य विकास मंत्री डा0 मोहन सिंह रावत गांववासी जी, पर्यटन मंत्री माननीय केदार सिंह फोनिया जी, स्वास्थ्य और आपदा प्रबन्धन मंत्री अजय भट्ट जी, माननीय नारायण राम दास जी, कृषि मंत्री माननीय बंसीधर भगत जी, और राज्य मंत्री श्री नारायण सिंह राणा जी, श्री तीरथ सिंह रावत जी, निरुपमा गौड़ जी और हमारे सदन के सम्मानित सदस्य श्री राजेन्द्र शाह जी, श्री तिलक राज बेहड़ जी, श्री बिशन सिंह चुफाल जी, श्री हरबंश कपूर जी, श्री रघुनाथ सिंह चौहान जी, श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा जी और सदन के वरिष्ठतम सदस्य सम्मानीय भारत सिंह रावत जी। 11 दिन का ये सदन चला और इस सदन ने जिस तरह से अपने संसदीय जनतंत्र को जीवित रखा और संसदीय मर्यादाओं का पालन किया वो वास्तव में प्रशंसनीय है। आप सब लोगों ने अपनी इन मर्यादाओं को कायम रखने में मेरी भूमिका के लिए इस पीठ पर मुझे पदासीन होने के लिए महिमा मण्डित किया। यदि सही मायने में देखा जाए तो संसदीय जनतंत्र और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करने में इस सदन को जो सहयोग मिला, अगर आप सभी लोगों का सकारात्मक, रचनात्मक और सृजनात्मक सहयोग नहीं मिलता, तो हम अन्य प्रदेशों की भांति उसी परम्परा को कायम करते। परन्तु हमने, हमारे इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की भूमिका रही कि कभी भी ऐसा अवसर नहीं आया, जब कहीं कोई गतिरोध पैदा हो, या कहीं कोई ऐसी स्थिति पैदा हो गयी हो, जिससे सदन की मर्यादाएं भंग हुई हों।

हमेशा ही इन 11 दिनों में कोई भी ऐसा अवसर नहीं आया जब ऐसी विचित्र स्थिति पैदा हो गई हो। एक सहयोगात्मक रुख सबका रहा और एक मात्र उद्देश्य यह दिखा कि उत्तरांचल किस तरह से परम वैभव के शिखर पर पहुँचे। यह इस सदन के माननीय सदस्यों का उद्देश्य रहा। इसके लिए मैं आपका ह्रदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस धन्यवाद प्रस्ताव में यदि मैं उल्लेख न करूँ कि विधान सभा सचिवालय के सचिव, यहाँ के मुख्य प्रतिवेदक, प्रतिवेदक, मार्शल, सहायक मार्शल, प्रधान रक्षक, रक्षक, अन्य अधिकारी, कर्मचारी बन्धु, अनुसेवक जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस सदन के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यदि उनका मैं आभार व्यक्त न करूँ तो इस सदन के सफल संचालन की भूमिका अधूरी रह जायेगी। नेपथ्य से जिन लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ उनमें सचिवालय के सभी अधिकारी, कर्मचारी यह सदन अपने इस पहले गरिमामय बजट अधिवेशन के आज अन्तिम दिन इन 11 दिनों का

पुनरावलोकन कर रहा है। और यह हम सब लोगों के लिए मिश्रित हर्ष का विषय है कि हम सब लोग इस सदन के द्वारा रचानात्मक, सृजनात्मक और सहयोगात्मक रुख के लिए हम सभी आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद!

सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने के प्रस्ताव पर मतदान

ऊर्जा, सिंचाई एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "इस सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाये।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है " जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है, उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं।

राष्ट्र–गान

जन–गण–मन अधिनायक जय हे।
भारत भाग्य विधाता।।
पंजाब–सिंधु–गुजरात–मराठा
द्राविड़–उत्कल–बंग।
विन्धय–हिमाचल यमुना–गंगा
उच्छल–जलधि–तरन्ग।।
तब शुभ नामे जागे,
तब शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।
जन–गण मंगलदायक जय हे,
भारत–भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जये हे,।
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं अनिश्चित काल के लिए।

(इसके बाद सदन की कार्यवाही 5 बजकर 47 मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई.)

(महेश चन्द्र)
सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल।

देहरादून 18 मई, 2001

पी0एस0यू0(आर0ई0)18विधान सभा/637–06–01–2003–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।